हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 2012

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 7 मार्च, 2012

	पृष्ठ संख्या
जाट आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग तथा लाठीचार्ज करने संबंधी मामला उठाना	(7)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)3
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)61
सदस्यों का नाम लेना	(7)66
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(7)73
वॉक–आउट्स	(7)85
निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण की निंदा करना/ मंत्री द्वारा वक्तव्य	(7)86
वॉक–आउट	(7)99
अध्यक्ष द्वारा घोषणा– अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(7)99
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव– हरियाणा में राजकीय विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा की दयनीय स्थिति संबंधी	(7)100
वक्तव्य– शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(7)103

मूल्य :

आधे घंटे की चर्चा (7)127

(i) मेवात क्षेत्र में विकास कार्य संबंधी

वक्तव्य– (7)129

(i) वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त चर्चा संबंधी

(ii) गत 10 से अधिक वर्षों से राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा भूमि अधिग्रहण के अधीन निर्णित की गई न्यूनतम दरों संबंधी

वक्तव्य– (7)136

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त चर्चा संबंधी

वर्ष 2012–2013 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण (7)152

बैठक का समय बढ़ाना (7)153

वर्ष 2012–2013 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण (7)153

बैठक का समय बढ़ाना (7)157

वर्ष 2012–2013 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (7)157

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 7 मार्च, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में पूर्वाह्न 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

जाट आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग तथा लाठीचार्ज करने संबंधी मामला उठाना

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, क्वेशचन ऑवर शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। हिसार में जो लोग जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन और धरना दे रहे थे, कल उन पर लाठी चार्ज किया गया है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No interruption in the question hour.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, उन पर गोलियां दागी गई हैं। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह मुद्दा क्वैश्चन ऑवर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि सारे कार्य रोककर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हिसार में जो घटना हुई है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हिसार में जाट आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा जो फायरिंग और लाठी चार्ज किया गया है उस पर क्वैश्चन ऑवर से पहले बहस कराई जाए।

Mr. Speaker : It is a question hour.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is only a question hour and after that I will discuss this issue. प्लीज, आप सभी बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। (शोर एवं व्यवधान) क्वैश्चन ऑवर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह मैटर महत्वपूर्ण है।

Mr. Speaker : After the question hour I will listen to you. Members have a prerogative to ask questions, they get this opportunity very rarely. So, I will not dismiss the question hour in any case. After the question hour I will listen to you.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। क्वैश्चन ऑवर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह मैटर महत्वपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question hour is very important for the Parliamentary practices.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) महिलाएं आज अस्पतालों में पड़ी हैं ओर आप कहते हैं कि क्वैश्चन ऑवर इम्पोर्टेंट है। जो हमने ऐडजर्नमैंट मोशन दी है, सारा काम बंद करके पहले इस पर बहस कराई जाए और यह सरकार तुरंत इस्तीफा दे।

Mr. Speaker : Question hour will not be disturb by me. आप कुछ भी कहिए, क्वैश्चन ऑवर जरूर होगा। (शोर एवं व्यवधान) Question hour will not be suspended.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, क्वैश्चन ऑवर के बाद कोई भी साथी अपनी बात जीरो ऑवर में उठा सकता है। Question hour is sacrosanct, and there is no question of compromise. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लोग उनके हिमायती बने हुए हैं जबकि सच बात ये है कि भावनाएं भड़काने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। लोगों को उंगलियां लगाने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये सब कुछ एक बड़े भारी षडयंत्र के तहत किया जा रहा है और उस षडयंत्र के रचयिता भी यहां हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये हाउस में उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और वहां जाकर के तमाशा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये लोगों की भावनाएं भड़काकर उनसे वॉइलैंस करवाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं। स्पीकर सर, इस प्रकार से this House can not be hell to rensom by a set of party or by individual. Question is already answered let the answer come.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सुरजेवाला जी, कौन उनको भड़काने गया था? आप उनका नाम बताइए। (शोर एवं व्यवधान) अगर कोई गया है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप उसको दूसरों पर डालने लग जाते हो। यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उनसे जो समझौता किया था, वह समझौता इन्होंने लागू नहीं किया जिसकी वजह से आंदोलन फिर भड़क गया और वे लोग रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए।

श्री अध्यक्ष : आप उनको भड़का रहे हैं क्या? पता नहीं आप क्यों इतना इस मुद्दे को ले रहे हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की वैल के समीप आकर खड़े हो गए।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इंडियन नैशनल लोकदल के पदाधिकारी उनको भड़का रहे हैं, I am ready to go on record. हमने इनके कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया है।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी तो इतने समझदार हैं। आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइए। क्वैश्चन ऑवर आपका ही है। It is your question hour क्वैश्चन ऑवर के बाद इस मामले को आप उठा लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, शहीदों ने बलिदान दिया है, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इसलिए इस सदन को इस पर चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें।

डा. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब में कहा है कि उन लोगों को भड़काया जाता हैं उनको किसके द्वारा भड़काया गया उनके नामों का खुलासा भी मंत्री महोदय कर दें। बार–बार इस तरह की राजनीति की जाती है जिसकी वजह से ही प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। पहले ये अपने दूत भेजते हैं, उनके माध्यम से बातचीत की जाती है। और उसके बाद लोगों को गोलियों से मरवाया जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। पहले क्वैश्चन ऑवर को चलने दें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठिए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Questions Hour Criteria for Grant to the Gold Medal Winner Players

***945. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state the criteria fixed for awarding money to such players of Haryana who have won Gold Medals in Games ?

खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

[श्री सुखबीर कटारिया]

विवरण

विभिन्न खेलों के पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार

क्र.सं.	प्रतियोगिता का स्तर	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	ओलम्पिक खेल	200,00,000	100,00,000	50,00,000
2.	विश्व कप/प्रतियोगिता	5,00,000	4,00,000	3,00,000
3.	एशियाई खेल	25,00,000	15,00,000	10,00,000
4.	मानसिक/शारीरिक अशक्त खिलाड़ियों के लिए एशियाई खेल	25,00,000	15,00,000	10,00,000
5.	राष्ट्रमण्डल खेल	15,00,000	10,00,000	5,00,000
6.	मानसिक/शारीरिक अशक्त खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रमण्डल खेल	15,00,000	10,00,000	5,00,000
7.	युवा ओलम्पिक खेल	10,00,000	7,50,000	5,00,000
8.	एफ्रो एशियाई खेल	10,00,000	7,00,000	5,00,000
9.	युवा एशियाई खेल	7,00,000	5,00,000	3,00,000
10.	युवा राष्ट्रमण्डल खेल	5,00,000	3,00,000	2,00,000
11.	एशियाई प्रतियोगिता	4,00,000	3,00,000	2,00,000
12.	राष्ट्रीय/सैफ खेल	3,00,000	2,00,000	1,00,000
13.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	2,00,000	1,00,000	50,000
14.	राष्ट्रीय विद्यालय खेल	15,000	10,000	7,000
15.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	15,000	10,000	7,000
16.	राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव	15,000	10,000	7,000
17.	अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	15,000	10,000	7,000
18.	अन्तर्राष्ट्रीय वैटरन/मास्टर्ज एथलैटिक्स प्रतियोगिता (सभी आयुवर्ग)	35,000	25,000	15,000
19.	राष्ट्रीय वैटरन/मास्टर्ज एथलैटिक्स प्रतियोगिता (सभी आयुवर्ग)	15,000	10,000	7,000

क्र.सं.	प्रतियोगिता का स्तर	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
20.	मानसिक / शारीरिक अशक्त खिलाड़ियों के लिए विशेष ओलम्पिक (अन्तर्राष्ट्रीय)	5,00,000	3,00,000	2,00,000
21.	मानसिक / शारीरिक अशक्त खिलाड़ियों के लिए विश्व मैराथन	1,00,000	75,000	50,000
22.	मानसिक / शारीरिक अशक्त खिलाड़ियों के लिए खेल ओलम्पिक (राष्ट्रीय)	15,000	10,000	7,000

श्री कृष्णलाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कॉमन वैल्थ गेम्ज, एशियन गेम्ज या राष्ट्रीय गेम्ज में हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतकर आये हैं उनमें से कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी गई हैं और कितने ऐसे खिलाड़ियों को नौकरी में प्रोमोट किया गया है?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, जिन खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी परफोरमैंस दी है और मैडल लेकर आये हैं उनको इनाम के रूप में राशि दी गई है। विजेता खिलाड़ियों को 15000 रुपये से लेकर दो लाख, चार लाख और 15 लाख रुपये तक की राशि दी गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो खिलाड़ी कॉमन वैल्थ गेम्ज में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर लाये हैं उनको सरकार ने क्या इनाम की राशि दी है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन खिलाड़ियों को सरकार ने क्रमशः 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपये की राशि दी हैं। ऐशियन गेम्ज में जो खिलाड़ी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर लाये हैं उनको क्रमशः 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये की राशि दी गई है। स्पीकर सर, सरकार द्वारा वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2012 तक 37 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि 7778 खिलाड़ियों को दी गई है जबकि वर्ष 1999 से लेकर 2005 तक पिछली सरकार ने 7 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि खिलाड़ियों को दी थी। वर्तमान सरकार द्वारा 361 खिलाड़ियों को अब तक नौकरी दी गई है जबकि पिछली सरकार ने 136 खिलाड़ियों को नौकरी दी थी। वर्तमान सरकार ने 12 डी.एस.पी. पद की नौकरियां भी खिलाड़ियों को दी हैं।

श्री कृष्णलाल पंवार : स्पीकर सर, वर्ष 2010 के ऐशियन गेम्ज में महिला कबड्डी की टीम की दो खिलाड़ी मनीषा दलाल और कविता जो हरियाणा प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाई थी उनको नौकरी देने से वंचित रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन दोनों लड़कियों को नौकरी देने के बारे विचार करेगी?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, मनीषा दलाल को तो सरकार ने 25 लाख रुपये की इनाम की राशि दे दी है और जब नौकरी के लिए उनका प्रार्थना पत्र सरकार के पास आयेगा तो खेल नीति के आधार पर उनके प्रार्थना पत्र को कंसीडर कर लिया जायेगा। अगर वे सारी कंडीशन को पूरी करती होंगी तो उनको नौकरी दे दी जायेगी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, पिछले ऐशियन गेम्ज में जो खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीत कर लाये थे उनको सरकार ने डी.एस.पी. के पद पर नियुक्त किया था। मेरे हल्के के दो बच्चे कप्तान सिंह और मनीषा दलाल गोल्ड मैडल जीत कर लाये थे और उन दोनों ने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा हुआ है। क्या सरकार इन दोनों बच्चों को भी उसी आधार पर नौकरी देगी जिस आधार पर दूसरे खिलाड़ियों को डी.एस.पी. के पद पर नियुक्त किया गया है?

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, मनीषा दलाल के बारे में तो मंत्री जी ने बता दिया है। मंत्री जी, आप अब कप्तान सिंह के बारे में बता दें।

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, अगर ये खिलाड़ी भी खेल नीति की कंडीशंज को पूरा करेंगे तो इनके नाम भी नौकरी के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे। ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी विभागों या बोर्ड व निगमों में श्रेणी–2 राजपत्रित अधिकारी लगाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप कप्तान सिंह के बारे में बताएं।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ये कप्तान सिंह का प्रार्थना पत्र हमारे पास भेज दें, हम इस बारे में देख लेंगे।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सुनीता सिंह चौकर वर्ष 2011 में माउंट एवरेस्ट में विजय प्राप्त करके आई और वर्ष 2010 में ममता सौदा जीतकर आई। ममता सौदा को तो डी.एस.पी. लगा दिया गया और उसको 21 लाख रुपये की इनाम की राशि भी दी गई। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब ममता सौदा को नौकरी भी दी गई और पैसा भी दिया गया तो फिर सुनीता सिंह जो 2011 में माउंट एवरेस्ट में विजय प्राप्त करके आई थी, उसको क्यों नहीं नौकरी दी गई और क्यों नहीं पैसा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे 2011 में जो माउंट एवरेस्ट में जीतकर आएं हैं उनको नौकरी और पैसा देने का प्रावधान करेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इस बारे में बताएं कि माउंट एवरेस्ट में जो खिलाड़ी जीतकर आएं हैं उनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कल ही मेरी आदरणीय मैम्बर से बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि ममता सौदा को तो डी.एस.पी. भर्ती किया गया है और आपके एरिया से जो लड़की माउंट एवरेस्ट में विजय प्राप्त करके आई है उसके बारे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बनाई गई रोजगार योजना के तहत विचार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि जो मैम्बर्ज अपने जिले के किसी विजेता के लिए एप्लाई करेगा उसको ही इस नीति से लाभ मिलेगा या जो कोई भी खिलाड़ी जीतकर आएगा उसको इसका बैनीफिट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि करनाल जिले से भी एक लड़का माउंट एवरेस्ट में जीतकर आया था।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इस बारे में बताएं कि माउंट एवरेस्ट में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या पॉलिसी है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमने जो खिलाड़ी रोजगार योजना बनाई है मैं उसे पढ़कर ही बता रहा था और उसी के तहत हम सबको रोजगार देंगे।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब ही नहीं आ रहा है। हम यह पूछना चाहते हैं कि यह पॉलिसी क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप यह बताएं कि माउंट एवरेस्ट विनर्स के बारे में क्या पॉलिसी है? क्या ये भी किसी गेम्ज में इन्क्लूड होते हैं और इस बारे में पूरी पॉलिसी क्या है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माउंट एवरेस्ट विजेता इस पोलिसी में इन्क्लूड होते हैं और उनको हमारी योजना के तहत रोजगार मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि ममता सौदा की तरह सुनीता सिंह को भी डी.एस.पी. भर्ती किया जाएगा या नहीं?

Mr. Speaker : Mr. Minister, you may answer only Mr. Arora's question.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जैसा सुभाष चौधरी जी ने कहा है कि एक लड़की को तो डी.एस.पी. लगा दिया गया और दूसरी लड़की को नहीं लगाया तो मैं भी मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी पॉलिसी क्या है? क्या आप पिक एण्ड चूज करते हो या पॉलिसी का कोई आधार है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यह पॉलिसी कब बनी?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 28.6.2011 को मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने यह उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार पॉलिसी बनाई। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यह रोजगार योजना बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी विभागों या बोर्ड व निगमों में श्रेणी–2 राजपत्रित अधिकारी वर्ग में नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा एशियाई खेलों में रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट विजेता भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं या नहीं।

Mr. Speaker : Let the Minister reply. (Interruptions) Let him reply.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : क्या पहले माउंट एवरेस्ट विजेताओं को इस पॉलिसी के तहत नौकरी और पैसा दिया गया था? सुनीता सिंह उस पॉलिसी में आती है या नहीं और अगर आती है तो उसको कब तक पैसा व नौकरी दी जाएगी? मेरा यह सीधा सा सवाल है।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 28.6.2011 के बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सुनीता सिंह तो उसके बाद ही जीतकर आई है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताएं कि माउंट एवरेस्ट में जीतने वाले खिलाड़ी इस नीति में कवर होते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि माउंट एवरेस्ट में जीतने वाले लोग इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : मंत्री जी ने यह जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने यह जवाब दिया है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि क्या सुनीता सिंह भी उस पॉलिसी में कवर होती है या नहीं होती।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, there has already been eight supplementaries on this question. अगला सवाल श्री बी.बी. बत्तरा जी का है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, इसका मतलब सरकार खिलाड़ियों के साथ भी भेदभाव करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर जी, आपके सवाल का जवाब आ गया है। मंत्री जी ने बताया है कि माउंट एवरेस्ट विनर्ज भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इन्कल्यूडिड है। (शोर एवं व्यवधान) It is a matter of record. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बतायें कि उस लड़की को सरकारी नौकरी और पैसे दिए जायेंगे या नहीं दिए जायेंगे। यह बताने की बजाय मंत्री जी स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माउंट एवरेस्ट विनर्ज खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में कवर कर लिये गये हैं तो उन्हें सारी सुविधा मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption)

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो सवाल उठाया है वह एक वाजिब सवाल है कैप्टन साहब और हम कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिले थे। जहां तक खेल पॉलिसी का ताल्लुक है तो पहले खेल पॉलिसी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले खिलाड़ियों का जिक्र नहीं था और वे खेल नीति में कवर नहीं होते थे। ममता सौदा को

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

एक स्पैशल केस के तौर पर कंसीडर करते हुए उस समय नौकरी दी गई थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मेरे साथी मेरी बात सुनें। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात रखी कि चाहे as a special case या किसी अन्य पॉलिसी के आधार पर ममता सौदा को नौकरी दी गई है उसी केस की तरह सुनीता सिंह को भी पात्रता के आधार पर नौकरी दी जाये। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इस केस के अतिरिक्त इस समय जितने भी इस तरह के केसिज हैं उनके लिए पॉलिसी बनाकर या किसी दूसरे तरीके से जैसे भी संभव होगा उन्हें नौकरी व आर्थिक मदद देने पर अवश्य विचार किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि एक दलित लड़की को सरकार ने नौकरी दी है तो इनको क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयवीर जी, ममता सौदा कौन है ?

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ममता सौदा एक गरीब बाल्मीकि परिवार से है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन कृष्ण पाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि एक बाल्मीकि की लड़की को नौकरी क्यों दे दी गई ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये उस गरीब लड़की को नौकरी दिए जाने के पक्ष में हैं या विरोध में है।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हो कि ममता सौदा को नौकरी क्यों दी गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि खिलाड़ियों के साथ भी दोगला व्यवहार किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें कि आपने यह क्यों कहा कि ममता सौदा को नौकरी क्यों दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकलवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक गरीब लड़की का विरोध करना विपक्ष के साथियों को शोभा देता है क्या ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अरोड़ा जी, ममता सौदा की अचीवमैंट से पहले इस बारे में कोई पॉलिसी नहीं थी लेकिन ममता सौदा की अचीवमैंट के बाद इस बारे में सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई गई जिसको एप्रीशिएट करना चाहिए। यह पॉलिसी बनी और इन खिलाड़ियों को इन्क्ल्यूड किया गया। अब ये खिलाड़ी नई पॉलिसी के तहत सरकार के अण्डर कंसीड्रेशन है। इस कारण इस बात पर ज्यादा चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है कि इसको क्यों बैनीफिट दे दिया और उसको क्यों नहीं दिया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, अगर आप स्वागत करते हैं तो फिर ठीक है आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाओ और हाउस की कार्यवाही बिना किसी अनावश्यक विघ्न के सुचारू रूप से चलने दो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमने यह कभी नहीं कहा कि उसको क्यों लगाया गया और उसको क्यों नहीं लगाया गया, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि जो खिलाड़ी रह गए हैं उनको क्यों नहीं लगाया गया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, इस विषय में सरकार की तरफ से मिनिस्टर की स्टेटमैंट आने के बाद कुछ कहने के लिए बाकी रह ही नहीं गया है जो माउंट एवरेस्ट विनर्ज हैं वे पहले इस कैटेगरी में शामिल नहीं थे लेकिन ममता सौदा के स्पैशल केस के बाद और आप लोगों के अनुरोध पर माउंट एवरेस्ट विनर्ज को भी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इंक्ल्यूड किया गया है और उनको आगे से कंसीडर किया जायेगा। बस इतनी सी तो बात है जिस पर आप इतना हो-हल्ला कर रहे हैं। यह बात सरकार की तरफ से पहले ही कही जा चुकी है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हमने तो सिर्फ यही बात पूछी है कि जो पॉलिसी अब सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका कल बड़ा गुणगान किया गया उसके तहत सुनीता सिंह को डी.एस.पी. लगाया जायेगा या नहीं और उसको पैसे दिये जायेंगे या नहीं? बात तो सिर्फ इतनी सी है।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो किसी ने नहीं पूछी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, यह बात सुभाष जी ने पूछी थी। (शोर एवं व्यवधान) आप इसको गोल-मोल मत करें।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, उन्होंने यह नहीं कहा कि सुनीता सिंह को डी.एस.पी. लगाया जायेगा या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इस बारे में हमारे साथियों ने जो सुझाव दिए हैं चाहे वे गुर्जर जी के सुझाव हों, चाहे अभय जी के सुझाव हों और चाहे पीछे बैठे साथियों के सुझाव हों we have noted it. We will exmine it and I can assure we will examine it positively. As far as Ms. Mamta Sauda is concerned, she belongs to my constituency, So, I want to say that she comes from a very poor balmiki family. She is also very hard working and very determined girl. By share dint of her hard work, she has gone ahead. सर, दुर्भाग्य की बात यह है कि एक गरीब बाल्मीकि परिवार की लड़की अगर आगे बढ़ती है तो विपक्ष के साथियों को उसके ऊपर एतराज होता है। सच बात तो यह है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर एक गरीब परिवार की लड़की आगे बढ़ती है तो विपक्ष के साथियों को उसके ऊपर क्या एतराज हो सकता है? इस विषय पर विपक्ष के साथियों को भी सहमत होना चाहिए और सत्ता पक्ष के

साथियों को भी सहमत होना चाहिए। मैंने यह कहा कि हम उसको पौजीटिवली, सकारात्मक दृष्टिकोण से एग्जामिन करेंगे। The matter is under consideration.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी कह रहे हैं कि वह अनकी कांस्टीच्युएंसी की लड़की है। यह बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी कांस्टीच्युएंसी की एक होनहार लड़की को नौकरी दिलवाई है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक कांस्टीच्युएंसी के मंत्री नहीं हैं। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं इनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रति बनती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहूंगा कि ममता सौदा को न तो इसलिए नौकरी दी गई है कि वह एक बाल्मीकि परिवार की लड़की है और न ही इसलिए नौकरी दी गई है कि वह एक कांस्टीच्युएंसी विशेष की लड़की है बल्कि उसको इसलिए नौकरी दी गई है कि संतोष यादव के बाद उस लड़की ने नौजवान उम्र में हरियाणा की हर नौजवान लड़की और हर नौजवान लड़के के लिए प्रेरणा बनकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वह एक दलित परिवार से है क्या इनको इस पर भी एतराज है? (शोर एवं व्यवधान) मैं विपक्ष के साथियों से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये हर बात के अंदर जातीय और राजनीतिक समीकरणों की तलाश करेंगे? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त का दुर्भाग्य ही यह है कि कुछ राजनैतिक दल हर बात में राजनीतिक और जातीय समीकरणों में इस प्रान्त को बांटना चाहते हैं। यह प्रान्त राजनैतिक और जातीय समीकरण में बंटने वाला नहीं है। इस प्रान्त में हर गरीब की हम मदद करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त का दुर्भाग्य यह है कि ये हर बात पर राजनीति करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये। जब यह मामला खत्म हो गया था। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, एक बार मेरी बात सुनिये। मेरी सबमिशन यह है..... (शोर एवं व्यवधान) Let me allow to speak.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं कि मैंने जो भी कहा है वह ठीक कहा है। राजनीति और जाति के आधार पर हम प्रान्त का विभाजन नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग यह है कि मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये जाति-पाति की राजनीति करते हैं। ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले जायें। This has to be deleted from the proceedings.

(इस समय भारतीय जनता पार्टी तथा इंडियन नैशनल लोकदल के कुछ सदस्य अपनी सीटों से उठ कर सदन की वैल में आ कर बोलने लगे।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक गरीब की बेटी अगर आगे बढ़ती है तो अरोड़ा साहब को इस बात पर क्यों ऐतराज होना चाहिए। एक गरीब के बेटे–बेटी को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, किसान के बेटे–बेटी को आगे बढ़ने का अधिकार है तथा एक पिछड़े वर्ग के बेटे–बेटी को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। आपको इस पर क्यों ऐतराज होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये हर बात पर राजनीति करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, नौकरी इसलिए नहीं दी गई कि वह किसी विधान सभा क्षेत्र विशेष से हैं बल्कि नौकरी इसलिए दी गई थी कि वह लड़की आज पूरे हरियाणा के नौजवानों के लिए उदाहरण हैं। संतोष यादव और ममता सौदा ये दोनों हरियाणा के नौजवानों के लिए उदाहरण हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सुनीता भी गरीब परिवार से है और वह पिछड़ा वर्ग से संबंध रखती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सुनीता के बारे में भी हमने कहा है कि वह भी हमारी गुड़िया है और हम उस बारे में भी सकारात्मक तरीके से विचार करेंगे। उसको पॉजीटिवली एग्जामिन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) I said that the matter is under consideration.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सुनीता भी एक गरीब ओ.बी.सी. परिवार की लड़की है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : The matter is also under consideration. We will also consider her case. (Interruption)

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, एक साल हो गया लेकिन अभी तक उसका केस कंसीडरेशन में नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सुनीता भी गरीब ओ.बी.सी. परिवार की लड़की है उसको भी वही हक मिलना चाहिए। क्या मंत्री जी ओ.बी.सी. के खिलाफ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister has said that she will be considered. What else you want ? What wrong he has said ? (Interruptions) Very strange, why are you standing here ? (Interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं होता। राजनीति करना तो विपक्ष का काम है। ममता सौदा एक गरीब परिवार की लड़की है। वह पूरे प्रांत के नौजवानों के लिए उदाहरण है। इसमें क्या गलत बात है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द मंत्री जी ने यहां कहे हैं वे शब्द निकलवाए जाएं। ये तो सारा दिन राजनीति करते हैं। ये मासूमों पर गोलियां चलवाते

हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो यू.पी. में हरियाणा का गुणगान करवाते थे लेकिन हुआ क्या; इनका वहां पर बंटाधार हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, छाज तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please go back to your seat. (Interruption) Go back to your seat. (Interruption).

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसमें कोई इतना शोर करने की बात ही नहीं है। मैं अपोजिशन को एश्योरैंस देता हूँ कि पहली लड़की के केस को ध्यान में रखते हुए सी.एम. साहब एक पॉलिसी बनाएंगे which is favourable to all the athletes.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : वे शब्द तो आपने भी कहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है, क्या मंत्री जी को इस तरह की बातें कहने का लाइसैंस मिला हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर वह लड़की दलित परिवार से है तो इसमें क्या गलत शब्द है। वह लड़की पूरे हरियाणा के नौजवानों के लिए एक उदाहरण है, इसमें क्या गलत शब्द है। अगर मैंने यह कहा कि एक दलित की बेटी पूरे हरियाणा के नौजवानों के लिए एक उदाहरण है और उससे बहुत सारे नौजवानों को प्रोत्साहन मिला तो इसमें क्या बुराई है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सारे विपक्ष पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। अगर हम दलित विरोधी होते तो फिर सदन में 10 एम.एल.एज. दलित के न होते। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : I stand by statement. अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से इनको समझ नहीं आया। मैंने यह कहा था कि वह लड़की दलित परिवार से है, और वह लड़की पूरे हरियाणा के नौजवानों के लिए उदाहरण हैं। वह लड़की पूरे हरियाणा के नौजवानों को प्रोत्साहित करती है। आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं क्योंकि मैंने यही कहा था इसलिए इसमें किसी को एजराज नहीं होना चाहिए। वह एक विधान सभा क्षेत्र से है। इसलिए उसको नौकरी नहीं दी गई बल्कि इसलिए दी गई कि वह एक गरीब परिवार से है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा है क्या आप इस बात को ठीक मानते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Allow me to speak. (Interrutpion) First of all, all of you go back to your seats.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम आपसे पूछते हैं कि मंत्री जी ने जो शब्द विपक्ष के बारे में इस्तेमाल किए हैं क्या वह ठीक थे?

श्री अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीटों पर बैठेंगे तभी मैं अपनी बात पूछूंगा, इसलिए आप सब बैठिए। देखिए स्पोर्ट्स के बारे में अखबारों में राजनीति की बात कही जाती है। जिस प्रांत का ये विधानसभा प्रतिनिधित्व करती है, और जिस प्रांत के खिलाड़ियों ने सारे देश में नाम रोशन किया है ऐसे प्रांत के प्रतिनिधियों द्वारा खेल के मामले में किसी भी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना एक अच्छी परम्परा नहीं है। वह भाषा चाहे किसी भी पक्ष से संबंधित क्यों न हो। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और हमें केवल मात्र स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की और उसको आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। श्री सुरजेवाला जी ने जो बात कही है कि एक गरीब बाल्मीकि की लड़की को नौकरी दी गई, इसमें कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कही गई थी। इसी प्रकार से श्री अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा कि हम इस बात के कतई खिलाफ नहीं हैं कि एक गरीब बाल्मीकि की लड़की को उसकी अचीवमैंट पर नौकरी दी गई, इन्होंने भी यही कहा है दोनों की बात में यहां तक कोई गलती नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही थी तो यह गलत है (विघ्न) मैं इसको कंसीडर करूंगा (विघ्न) let me go through it (interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I stand by everyword which I have said (interruption).

Mr. Speaker : He stands by his words. अब मुझे देखना तो पड़ेगा कि what are his words (interruption) जब हाउस की आज की प्रोसीडिंग्ज टाइप होकर आ जाएगी तो (विघ्न) Anything which is objectionable upon reading it will be deleted. (interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो आप गोल मोल बात करते हो इसकी हमें आपसे उम्मीद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैं गोल मोल बात नहीं कर रहा हूं। At least let me examine the record. (विघ्न) अशोक जी आप क्या चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड को एग्जामिन ही न करूं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने आपका स्टाफ बैठा हुआ है आप एग्जामिन करा लो। सुरजेवाला जी ने जो शब्द कहे हैं उन्हें निकलवा कर देख लो। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ही पूछते हैं कि इन्होंने जो शब्द हमारे लिए प्रयोग किये हैं क्या वह ठीक है?

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, जो शब्द सुरजेवाला जी ने कहे हैं उनके लिए वह कह रहे हैं कि "I stand by it".

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम मंत्री जी से नहीं बल्कि आपसे कह रहे हैं कि जो शब्द इन्होंने कहे हैं उनको रिकॉर्ड में ठीक किया जाये। हम आपकी रूलिंग चाहते हैं आप इन शब्दों को रिकॉर्ड में देखें।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, अभी एकदम रिकॉर्ड तैयार थोड़े ही होता है, अभी तो वह टाईप होगा और उसके बाद मैं उसको एग्जामिन करूंगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री द्वारा पूरे विपक्ष पर इस तरह का इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मंत्री जी ने आप पर क्या इल्जाम लगाया है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि विपक्ष दलित विरोधी है इस पर हमें ऐतराज है (विघ्न) इन्होंने हमारे लिए यह कैसे कह दिया? यह बात रिकार्ड से हटवाई जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आपने कह तो दिया कि आप दलित विरोधी नहीं हैं। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, आप हाउस के कस्टोडियन हैं और सदन के सभी सदस्यों को चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, उनको चेयर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और जब आपने कहा कि कि मैं देख लूंगा तो विपक्ष के सदस्यों को आपकी चेयर पर विश्वास करते हुए बात को समाप्त कर देना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैं रिकॉर्ड को पढ़कर देखूंगा और यदि मुझे लगेगा कि मंत्री जी द्वारा कहे गये शब्दों से कोई राजनीतिक रंग आता है या इनसे किसी भी एक व्यक्ति को अथवा किसी एक दल को बांधने की बात होगी तो मैं इन शब्दों को डिलीट कर दूंगा (शोर व व्यवधान)।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जब चेयर की ओर से यह कहा गया है कि रिकॉर्ड को एग्जामिन कर लेंगे तो मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, चेयर पर विश्वास करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए (शोर एवं व्यवधान)। स्पीकर सर, क्वैश्चन आवर चल रहा है और यह हमारे विपक्ष के साथियों की जिम्मेवारी है कि वह पहले इसको पूरा होने दें (शोर व व्यवधान)।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन की यह बात गलत है, जब स्पीकर साहब खुद यह कह रहे हैं कि वह खुद रिकॉर्ड को देखेंगे तो इनको चेयर पर इतना विश्वास तो करना ही चाहिए (शोर व व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ; प्लीज आप बैठो, I will examine it. कोई भी जातीय बात जिससे आपको कष्ट हो रहा है या जिससे आपके ऊपर कोई aspersion cast हो रही होगी तो I will delete it. But if you want कि ये ऐसे ही डिलीट कर दिया जाये तो ऐसा नहीं होगा। मैं पहले रिकार्ड देखूंगा कि कोई आपत्तिजनक बात कही भी गई है या नहीं?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, this is very sad कि सदन में जातिवाद की भावनायें भड़काई जा रही हैं। सुरजेवाला जी ने जो जातिवाद की भावनायें भड़काने वाली बात कही है यदि यह रिकॉर्ड से डिलीट कर दी जायेंगी तो हम बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अनिल जी, let me see कि भड़काने वाली बात कही गई है या नहीं? वैसे इसमें भड़काने वाली बात है कौन सी?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी ने यह कहा कि विपक्ष को यह तकलीफ है कि एक बाल्मीकि गरीब परिवार की बेटी को नौकरी दी गई है। ये शब्द रिकॉर्ड से डिलीट किये जायें (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : ठीक है विज साहिब, मैं आपकी यह बात रिकॉर्ड में लिखवा देता हूं कि एक बाल्मीकि की लड़की को नौकरी पर लगाने में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)।

डॉ अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, समय–समय पर इस तरह की जो बातें हाउस में आती हैं आप उसको हटवा देते हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि बराय मेहरबानी करके इसको भी रिकॉर्ड से निकलवा दें। सारा विपक्ष यही चाहता है। इस तरफ से भी और उस तरफ से भी यह बात आ रही है कि इस तरह की बात नहीं कही गई तो उस बात को रिकार्ड से हटाने में क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आपने इतनी समझदारी से अपनी बात कही है अगर ऐसी बात पहले कह देते तो कितना अच्छा होता।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

उखड़ी हैं सांसें सबकी, ये नाम की नंबरदारी है,
बड़बोलेपन से नहीं चलती सरकारें, ये तुम्हारी अपनी लाचारी है।
सच कहने की, सच सुनने की किससे करें उम्मीद,
सजदाकारों की बस्ती में हर चेहरा दरबारी है।

श्री अध्यक्ष : ये शेर मैंने ही लिखा था।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कई दफा आदमी का जिस तरह का व्यवहार होता है वह उसको शेर के द्वारा बताता है। जैसे इनकी कार्यवाही है वह इन्होंने खुद बखान की है; इनका बहुत–बहुत धन्यवाद।

Sh. Ashok Kumar Arora : Speaker sir, ... (noise & interruption).

Mr. Speaker : I will examine the record. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, did you say anything adverse regarding the opposition ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I can repeat word to word if they will listen. Any doubt that is in their mind is also clarified. अध्यक्ष महोदय, कंटैक्स्ट ये था कि मैंने यह कहा था कि वह गुड़िया ममता सौदा एक गरीब बाल्मीकि परिवार से है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से है। (शोर एवं व्यवधान) श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आप एक इलाके के मंत्री नहीं हैं। बल्कि आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। मैंने कहा कि उसको नौकरी इसलिए नहीं दी गई कि वह एक विधान सभा क्षेत्र से है। उसको मुख्यमंत्री ने नौकरी इसलिए दी क्योंकि वह एक गरीब दलित परिवार से थी और संतोष यादव के बाद वह पूरे हरियाणा के नौजवानों के लिए एक उदाहरण बन गई। कृपा करके यदि आपके मन

में इस तरह का बायस है तो इसे बंद कर दीजिए कि वह एक विधान सभा क्षेत्र से या दलित परिवार से है, इन शब्दों में क्या गलत है। इसलिए I stand by that word, (noinse & interruption) There is nothing unparliamentarily, it is 100 percent correct. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अशोक अरोड़ा जी, मैं आपको इस बारे में बोलने का मौका दूंगा, आप पहले माननीय मंत्री जी को मौका दें।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहूंगी। और जैसाकि पार्लिमैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने भी कहा। जहां तक ममता सौदा की बात है तो जब उस ने ऐवरैस्ट पर चढ़ाई करनी थी। तो उस समय भी उसकी राह में उसकी गरीबी आड़े आ रही थी। हमारे उस इलाके के चाहे संसद सदस्य हैं, या मंत्री हैं या विधायक हैं, उन सबने उस समय उसकी मदद की थी। बहुत से अफसरों ने भी उसकी ऐवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए मदद की। उसने कहा था कि मैं ऐवरैस्ट पर चढ़ना चाहती हूं लेकिन गरीबी की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। जब उसने ऐवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली तो उसके बाद उसको मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स में लेते हुए डी.एस.पी. पद की नौकरी दी। इसमें दलित, विधान सभा क्षेत्र या बाल्मीकि की बात नहीं है। हमने सबने उस गरीब दलित परिवार जिसके रास्ते में केवल पैसे की वजह से बाधा अटक रही थी, उसकी मेहनत को देखते हुए उसकी मदद पहले भी की और चढ़ाई होने के बाद भी सरकार ने उसको पूरा मान सम्मान दिया। इसमें न तो सत्तापक्ष को और न विपक्ष को कोई दिक्कत होनी चाहिए। जहां तक दूसरे वर्ग की बात है, हम उनका भी मान सम्मान करते हैं। अगर कोई इस तरह की अचीवमैंट लेता है तो उसको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार की इन पौलिसीज के कारण हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से गुणगान हुआ है। इसके लिए आपको भी बधाई देनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इशू ये नहीं था लेकिन उसे फिर वहीं घुमा-फिराकर राजनीति करने की बात की जा रही है। हमारे विधायक की तरफ से एक क्वैश्चन था, सप्लीमैंट्री पूछी गई थी कि जिस ढंग से ममता सौदा को नौकरी दी गई उसी तर्ज पर क्या सुनीता को नौकरी दी जाएगी और 21 लाख रुपये इनाम की इनाम की राशि के रूप में दिये जाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब देने की बजाए इस बात को लेकर यहां राजनीति शुरू कर दी गई कि वह लड़की बाल्मीकि परिवार से थी।

Shri Randeep Singh Surjewala : The matter is under consideration and the Government will consider it positively.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी ने राजनीति शुरू कर दी। हमारे एम.एल.ए. साथी श्री जयवीर बाल्मीकि जी बोलने के लिए खड़े हुए थे, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। यह मामला सिर्फ नौकरी का था।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, हमारे सी.पी.एस. महोदय के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी यह ठीक नहीं है। उनको इस बारे में सारी जानकारी थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय हाउस में मौजूद नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय हाउस में नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : श्री जयवीर बाल्मीकि जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय के बारे में पहले से मालूम था। माननीय विपक्ष के साथियों को इस बारे में क्या तकलीफ है कि खिलाड़ी ममता औढ़ बाल्मीकि परिवार से है उसको ईनाम के तौर पर सरकार ने 21 लाख रुपये की राशि दी है और उसको डी.एस.पी. की नौकरी दी है। उसी के बारे में मैंने यह कहा था कि विपक्ष के भाई इस बारे में इतना शोरशराबा क्यों कर रहे हैं। जब एक दलित परिवार की बेटी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए ये इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं और इस बारे में राजनीति क्यों कर रहे हैं। हमें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरा कहना यह है कि मंत्री जी ने एक बात कही है। हम इस बात से सहमत हैं कि हर गरीब की लड़की चाहे वह किसी भी जाति की हो उसको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए लेकिन जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह बहुत अच्छा काम है कि किसी गरीब और दलित की लड़की को डी. एस.पी. के पद पर सरकार ने नियुक्त किया है। हम तो इस बात के लिए सरकार का स्वागत करते हैं और हमने पहले भी इसके लिए स्वागत किया है। मंत्री जी ने जो पहले ब्यान दिया है कि विपक्ष के लोग दलित विरोधी है, उस ब्यान को कार्यवाही से निकाल दिया जाए और इन्होंने जो दूसरा ब्यान दिया है उस को कार्यवाही में रख लिया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यही ब्यान दिया था और दोबारा से भी वही ब्यान दिया है। I stand to it.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इनके ब्यान को देख लें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यही ब्यान दिया था और दोबारा से भी वही ब्यान दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका झगड़ा क्या है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह कहा है कि विपक्ष दलित विरोधी है। हम कोई दलित विरोधी नहीं हैं बल्कि हम तो इसका स्वागत करते हैं कि दलित बच्चों को नौकरी दी जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री अरोड़ा जी ने कहा कि हम दलित विरोधी नहीं हैं तो यह बात रिकार्ड पर आ जायेगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये हाउस के लीडर हैं इनको तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब अब कह रहे हैं कि हम दलित विरोधी नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम हर जाति के हितैषी हैं, हम दलित विरोधी नहीं हैं। दिक्कत तो सुरजेवाला साहब को है। जो सुरजेवाला साहब ने पहले ब्यान दिया है कि विपक्ष दलित विरोधी है उस ब्यान को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मैं उस समय हाउस में नहीं था लेकिन मैंने यह सुना था कि आप यह कह रहे थे कि मैं इस विषय को देख लूंगा और अगर बयान ठीक नहीं होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आपने कह दिया कि विपक्ष दलित विरोधी नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले ही कह दिया है कि I will go through the record and I will also examine the record.

श्री अध्यक्ष : छोटी सी बात थी। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। 42 मिनट इसी प्रश्न पर हो चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, हम भी बाल्मीकि हैं और उधर भी 4 बाल्मीकि हैं। आज इस हाउस में दलितों की संख्या 10 है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, जब बाल्मीकि समाज की लड़की को नौकरी लगाने की बात हो रही थी तो ये उस समय क्यों नहीं बोले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस समय इनको समर्थन करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमने तो समर्थन किया था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Next question please.

Implementation of Sixth Pay Commission

***966. Shri B.B. Batra :** Will the Finance Minister be pleased to state the amount of money paid out of the State exchequer to the employees of the State as a result of the implementation of Sixth Pay Commission recommendations.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Sir, the State Government has implemented the recommendations of Sixth Pay Commission in the year 2008-09 w.e.f. 1.1.2006. The total impact on the State exchequer on account of payment of arrears and increase in salaries and pensions of Government employees and employees of the Government aided institutions from the year 2008-09 to 2011-12 is Rs. 13930 crore.

This includes payment of arrears of Rs. 5125 crore for the period 01.01.2006 to 31-12-2008 and an annual impact of Rs. 330 crore, Rs. 2505 crore, Rs. 2820 crore and Rs. 3150 crore in 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 respectively.

Upgradation of Bus Sub-depot of Palwal

***893. Shri Subhash Chaudhary :** Will the Transport Minister be pleased to state the time by which Palwal sub-depot is likely to be upgraded as Depot?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, Palwal depot is likely to be made operational approximately in two years.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पलवल में जो सब डिपो है उसका दर्जा बढ़ाकर उसको डिपो किए जाने की सरकार की क्या कोई योजना है और यदि है तो इसको कब तक डिपो बनाए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, पलवल के सबडिपो को डिपो में संचालित करने का काम लगभग अगले 2 वर्षों में कर देंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पलवल के साथ–साथ मेवात को भी डिपो मिलने वाला है जोकि बहुत अच्छी बात है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या फिरोजपुर झिरका में भी सब डिपो बनाने की सरकार की कोई योजना है और यदि है तो इसको कब तक लागू कर रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, नूंह में डिपो बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी हम मेवात में भी डिपो बना देंगे। जहां तक फिरोजपुर झिरका का प्रश्न है तो इस बारे में माननीय साथी लिखकर भेज दें हम इस पर गौर कर लेंगे।

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, समालखा बस स्टैंड बड़ा अच्छा बना हुआ है लेकिन उसमें एक साल से हरियाणा रोडवेज की कोई बस नहीं रुकती। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वहां बसें रुकवाने का प्रावधान करवाएं।

Shri Randeep Singh Surjewala : Suggestion noted sir,

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी 5–6 साल पहले रायपुर रानी में बस स्टैंड बनाने की घोषणा करके आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह बस स्टैंड कब तक बनाया जाएगा?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it is a separate question. My Learned member should give a separate notice in this regard and we will reply to that.

Desilting of Nissing Drain

***925. Shri Mamu Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Nissing Drain in Nilokheri Constituency and to widen the bridge constructed on it; if so, the time by which the said works are likely to be completed ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : No sir.

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि निसिंग में ड्रेन की सफाई कब तक होगी और उस पर कितना खर्चा आएगा। मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि उस ड्रेन के पुल को चौड़ा करने के सरकार के क्या नार्म्स हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 25–30 साल पहले वहां फ्लड आया था लेकिन उसके बाद कोई फ्लड नहीं आया इसलिए यह फैसला किया गया है कि इस ड्रेन से कोई नुकसान नहीं होता और पानी फैल कर जाता है इसलिए इस ड्रेन पर कुछ न किया जाए।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ड्रेन के ऊपर पुल को चौड़ा करने के क्या नॉर्म्ज हैं? निसिंग ड्रेन पर जो पुल बना हुआ है वह भीड़ा है और रोड चौड़ा है। क्या उस पुल को चौड़ा किया जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई पुल खराब होगा या मुरम्मत कराने वाला होगा तो उसका कार्य करवा दिया जायेगा और जो पुल टूटने वाला होगा उसे भी बनवा दिया जायेगा। जिस पुल का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह पुल ठीक कंडीशन में है।

Computerization of Records

***950. Smt. Sumita Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to computerize all records and functioning of the office of Registrar of births-deaths?

Health Minister (Rao Narender Singh) : Yes, Sir.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज होली पूजन पर मैं सभी सदस्यों को होली की बधाई देती हूं और कल छुट्टी है इसलिए महिला दिवस की भी सभी सदस्यों को एडवांस में बधाई देते हुए मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सभी सी.एच.सीज. और पी.एच. सीज. में कम्प्यूटर तो दे दिए गए हैं लेकिन कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर बर्थ एंड डैथ रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कम्प्यूटराईज्ड करने के लिए चाहे पुराना रिकार्ड हो या नया रिकार्ड हो, एन.आई.सी. से सोफ्टवेयर बनवाया जा रहा है। बहुत जल्दी वह सोफ्टवेयर बन जायेगा और कम्प्यूटर आपरेटर भी लग जायेंगे। इसके लिए हमने बजट में प्रोविजन भी रखा है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने कहा है कि कम्प्यूटर आपरेटर रखेंगे लेकिन मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि बच्चा पैदा होने पर जब नाम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उस समय बच्चे का नाम नहीं रखा होता और माता–पिता के नाम से ही रजिस्ट्रेशन की जाती है। इस बारे में जो सरकार

[श्रीमती सुमिता सिंह]
की नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 साल का समय रखा हुआ है। जिन बच्चों का नाम 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ऐड करवाना हो तो बहुत दिक्कत आती है। क्या इसके लिए भी मंत्री जी कुछ करने जा रहे हैं?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1995 में यह प्रोविजन किया गया था कि 2010 तक जिन बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में इंटर नहीं है वे करवा लें। अब वह टाईम पूरा हो चुका है इसलिए इसको हम अब एग्जामिन करेंगे।

To set up 11 KV Sub-station at Mohra

***939. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 11 K.V. Sub-Station at village Mohra, tehsil Sonepat ; if so, the status thereof ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : नहीं, श्रीमान्।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माहरा और इसके आस-पास के गांवों में भटगांव से बिजली आती है जो 30 कि.मी. की दूरी पर है। भटगांव में 5 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर है जो कि सफीशियंट नहीं हैं वहां न तो किसानों को बिजली मिलती है और न ही डोमैस्टिक यूज के लिए बिजली मिलती है। वहां के 5 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर को 10 एम.वी.ए. में अपग्रेड करने का केस आया हुआ है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां 10 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी यह है कि गोहाना शहर की बिजली के लिए 10 और 16 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अभी 31 मार्च को गन्नौर में 16 और 20 एम. वी.ए. के ट्रांसफार्मर स्पेयर हुए हैं क्या वे स्पेयर्ड ट्रांसफार्मर गोहाना शहर में लगाये जायेंगे ताकि वहां की बिजली की दिक्कत दूर हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने अपने प्रश्न में मोहड़ा गांव लिखा हुआ था और अब माहरा के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक माहरा का सवाल है, इसको भटगांव से बिजली दी जा रही है। वहां पर जो ट्रांसफार्मर्ज हैं, उनकी कैपेसिटी 5+ 6.3 एम.वी.ए. है, हम उनकी कैपेसिटी को बढ़ा कर 10–10 एम.वी.ए. कर देंगे तो वहां पर नये ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

11.00 बजे

इस भटगांव को हम बजाये हरसाना के मोहाना से जोड़ देंगे जिससे 7.6 किलोमीटर का डिस्टैंस भी कम हो जायेगा। इससे बिजली की समस्या भी दूर हो जायेगी। स्पीकर सर, इसके अलावा माननीय सदस्य ने गन्नौर से गोहाना के अंदर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की बात कही है। इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह मामला इससे कनैक्टिड नहीं है। इसलिए इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे और अगर सम्भावना हुई तो इसे भी कर दिया जायेगा।

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी कांस्टीच्युएंशी बाढ़डा के अन्दर कादमा पावर हाऊस में 132

के.वी.ए. का सब–स्टेशन बनायेंगे और अगर बनायेंगे तो कब तक बनाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह सैपरेट क्वैश्चन है इसलिए इसके लिए माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस दे दें तो इस बारे में उन्हें जवाब दे दिया जायेगा।

Mr. Speaker : Now, next question please.

Shifting of Veterinary Hospital

***996. Shri Rajbir Singh Barara** : Will the Animal Husbandry Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Veterinary Hospital situated in the Main Bazar of Barara, outside Barara city; if so, the time by which the said Veterinary Hospital is likely to be shifted?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : No, Sir.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बराड़ा में जो पशु अस्पताल है वह मुख्य बाजार के अन्दर स्थित है और यह अस्पताल 25–30 साल पुराना है। वहां पर पशुओं को जाने में काफी दिक्कतें आती हैं और कई बार इससे लोगों को चोटें भी आ चुकी हैं तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार को उसे वहां से बाहर निकालने में क्या दिक्कत है?

सरदार परमवीर सिंह : स्पीकर सर, पशु अस्पताल के बाजार के अंदर होने से वहां पर कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई दिक्कत होती तो श्री राजबीर सिंह बराड़ा श्री चौटाला जी की सरकार के समय में इस अस्पताल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा लेते।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the question hour is over.?

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of PHC

***906. Shri Pardeep Chaudhary** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the PHC of Pinjore to CHC ; if so the time by which the abovesaid PHC is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

Electricity Connection from Urban Feeders

***825. Shri Anil Vij :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to connect domestic electricity connections of the villages with the urban feeders of electricity which have come under the limits of Ambala Municipal Corporation due to extension of the limits ; and

(b) if so, the time by which aforesaid proposal is likely to be materialised?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां, श्रीमान।

(बी) हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक चेन – 16/72/2010–4 दिनांक 20.01.2011 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रस्ताव लागू किया जाएगा।

Total Posts of Doctors in Safidon Constituency

***844. Shri Kali Ram Patwari :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) The total number of posts of doctors in the following hospitals of Safidon Assembly constituency.

(i) General Hospital, Safidon City;

(ii) Community Health Centre, Kalwa

(iii) Primary Health Centre, Dhatrath, and

(iv) Primary Health Centre, Siwana Mali ; and

(b) the number of doctors posted in the aforesaid hospitals together with the number of posts of doctors lying vacant ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

कथन

सफीदों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले अस्पतालों में चिकित्सकों के पदों की कुल संख्या और उनमें नियुक्त/प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की संख्या तथा चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

संस्था का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
सामान्य अस्पताल सफीदों	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—	1
	चिकित्सा अधिकारी	9	4	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालवा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
	चिकित्सा अधिकारी	4	1	3
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाटरथ	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाना माल	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1

Extension of Municipal Council Limit

***964. Shri Ghanshyam Saraf :** Will the Minister of State for Urban local bodies be pleased to state —

(a) whether there is any porpoal under consideration of the Government to extend the urban limit of Municipal Council of Bhiwani Assembly Constituency ; if so, the time by which the urban limit is likely to be extended ; and

(b) whether it is a fact that names are being changed in House Tax Record in an improper manner in the office of Municipal Council, Bhiwani; if so, the time by which action is likely to be taken against the delinquent officials ?

शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Offices of Agriculture Department at Jind

***850. Shri Hari Chand Midda :** Will the Agriculture Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the following offices of the Agriculture Department are situated at a distance of seven kilometers from Jind town :—

(i) Agriculture Engineer (Boring Section) ;

(ii) Soil conservation;

[Dr. Hari Chand Midda]

(iii) Cane Development ; and

(iv) Land Water Reservoirs ;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the above mentioned offices to Jind town alongwith the time frame within which the shifting is likely to be taken place : and

(c) if not, reasons thereof ?

कृषि मंत्री (श्री परमवीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) ये कार्यालय हरियाणा कृषि प्रबन्धन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (हमेटी) जीन्द के परिसर में स्थित हैं, जो कि जीन्द शहर की नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित हैं। इन कार्यालयों को हरियाणा कृषि प्रबन्धन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (हमेटी) में रखने का मुख्य कारण जीन्द शहर के अन्दर किसी अन्य सरकारी भवन का उपलब्ध न होना है।

Upgradation of Schools

***873. Shri Rameshwar Dayal :** Will the Education Minister be pleased to stated the total number of GPS, GMS & GHS, upgraded in Bawal Constituency during the period from 1-4-2005 to 31-12-2011?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान् जी, 1.4.2005 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कुल 16 विद्यालयों को स्तरोन्नत किया गया है जिसमें 10 प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय, 3 माध्यमिक विद्यालयों से उच्च विद्यालय और 3 उच्च विद्यालयों से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत किया गया है।

Repair of Roads

***890. Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the roads are lying damaged in Prithla Constituency ; if so, the time by which the damaged roads are likely to be repaired?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी, कुल 274.91 कि. मी. लम्बाई में से केवल 106.53 कि.मी. की मरम्मत की आवश्यकता है। जिन सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है, के बारे विवरण निम्न है :—

(i) 45.24 कि.मी. की 8 सड़कों के सुधर/मरम्मत का कार्य 35.49 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है तथा 30.06.2012 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है, सिवाए एक सड़क को छोड़कर जिसे 31.01.2013 तक पूर्ण किये जाने की

संभावना है।

(ii) 14.10 कि.मी. की 5 सड़कों की मरम्मत के लिये 5.22 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है। 2 सड़कों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा 3 सड़कों की निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। मरम्मत कार्य के 31.03.2013 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

(iii) शेष 47.19 कि.मी. का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसलिये समय सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

Accummulation of Dirty Water

***868. Master Dharam Pal Obra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that dirty water of residential areas of village Behal accumulates in the Bus Stand and on Bhiwani-Behal main road; if so, the time by which the nullah to drain out the dirty water is likely to be constructed?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, गांव बहल के रिहायशी क्षेत्रों का गंदा पानी जो कि बस स्टैण्ड में तथा भिवानी–बहल मुख्य सड़क पर खड़ा रहता था, को अब कच्चे नाले की खुदाई कर निकाला जा चुका है। इस कच्चे नाले को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के तहत छह माह के भीतर पक्के नाले के रूप में, परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, जिसकी कुल लम्बाई 1.5 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 19.50 लाख रुपये होगी।

Electricity Connection in Dhanies

***876. Smt. Saroj Mor :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to—

(a) Provide Electricity connection in Dhanies ;

(b) Remove Electricity wires from the roofs of Houses ; and

(c) Replace old\damage electricity wires in Narnaund constituency; if so, the time likely to be taken to complete aforesaid works?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां महोदय।

(ख) हां महोदय। यदि परिसर लाल डोरा के भीतर है तो निगम के खर्चे से घरों की छतों से बिजली के तारों को हटाने का प्रावधान पहले से ही है। लाल डोरे से बाहर आने वाले स्थानों के लिए लाईन की शिफ्टिंग का पूरा खर्चा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र नारनौंद में पुराने/क्षतिग्रस्त बिजली के तारों को बदला जा रहा है और कार्य अगस्त–2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

Illegal Construction on Scheduled Roads

***861. Smt. Kavita Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state the District Wise number of illegal constructions in violation of the Punjab Scheduled Roads Act, 1963, on the National Highways and Scheduled Roads in the State that have been regularized ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, नियमित किए गए निर्माणों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	जिला	नियमित निर्माणों की संख्या
1.	अम्बाला	275
2.	भिवानी	19
3.	फरीदाबाद	109
4.	फतेहाबाद	169
5.	गुड़गांव	113
6.	हिसार	192
7.	झज्जर	295
8.	जींद	81
9.	कैथल	62
10.	करनाल	383
11.	कुरुक्षेत्र	588
12.	महेन्द्रगढ़	44
13.	मेवात	28
14.	पलवल	कोई नहीं
15.	पंचकूला	205
16.	पानीपत	491
17.	रेवाड़ी	210
18.	रोहतक	178
19.	सिरसा	142
20.	सोनीपत	329
21.	यमुनानगर	648
	कुल	4561

Encroachment upon Forest Land

***832. Sh. Aftab Ahmed :** Will the Forest Minister be pleased to state :—

(a) the total forest land available in Faridabad and Gurgaon Districts togetherwith the Range-wise detail thereof ;

(b) how much forest land in District Faridabad and Gurgaon has been encroached upon/occupied illegally togetherwith the details thereof ; and

(c) the steps being taken to vacate these illegal occupations and encroachments ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, विवरणी सदन के पटल पर रख दी गई है।

विवरणी

(क) फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिलों में क्रमशः 6929.825 हैक्टेयर व 8897.27 हैक्टेयर कुल वन भूमि उपलब्ध है।

फरीदाबाद मण्डल में फरीदाबाद व बल्लभगढ़ नामक 2 रेंजें हैं। इन 2 रेंजों फरीदाबाद व बल्लभगढ़ रेंज में क्रमशः 5909.51 हैक्टेयर व 1020.51 है। वन क्षेत्र है।

गुड़गांव मण्डल में गुड़गांव, सोहना और पटौदी नामक 3 रेंजें हैं जहां कुल वन क्षेत्र क्रमशः 2517.22 हैक्टेयर, 6074.95 हैक्टेयर और 305.10 हैक्टेयर है।

(ख) फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिलों में क्रमशः 0.8429 हैक्टेयर व 23.11 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा है। अनैक्श्चर 1ए और 1 बी में जिला वार विवरण संलग्न है।

(ग) गुड़गांव जिला के अन्तर्गत सभी 223 दोषियों को सम्बोधित नियमों के तहत बुक किया गया है और भूमि को खाली करवाने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद में अभियोजन की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

फरीदाबाद जिले के अन्तर्गत सभी 24 उल्लंघनाओं में सड़कों को चौड़ा करने हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

Annexure 1-A

Encroachment of Forest Land in Faridabad Division

Sr. No.	Name of Range	Name of the road (KM/RD)	Type of violation	Area in square meter	Action taken	Compensation claimed (Rs.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ballabhgarh	DM road km 42-43 L side	Kacha path for passage	280	RO's has been directed to take action to remove violation vide letter No. 1522-23 dated 16-7-2010	Non compoundable offence	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
2.	Ballabhgarh	DM road km 43-44 L side	-do-	104		-do-	
3.	Ballabhgarh	DM road km 43-44 L side	-do-	32		-do-	
4.	Ballabhgarh	DM road km 44-45 L side	-do-	312		-do-	
5.	Ballabhgarh	DM road km 44-45 L side	-do-	276		-do-	
6.	Ballabhgarh	DM road km 44-45 R side	-do-	500		-do-	
7.	Ballabhgarh	DM road km 41-42 L side	-do-	336		-do-	
8.	Ballabhgarh	DM road km 40-41 R side	-do-	135		-do-	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Ballabhgarh	DM road km 44-45 R side	Kacha path for passage	300	RO's is directed vide letter No. 1522-23 dated 16-7-2010	Non compoundable offence	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
10.	Ballabgarh	DM road 31-32 R side	-do-	300	Damage report No. 497/49605 dated 10-3-2006	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
11.	Ballabgarh	DM road 33-34 R side	-do-	640	Damage report No. 497/49606 dated 18-3-2006	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
12.	Ballabgarh	DM road 38-39 L side	-do-	396	Damage report No. 497/49607 dated 18-3-2006	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
13.	Ballabgarh	DM road 39-40 L side Jharseti	-do-	119	Case is pending in Spl.Environment Court, Faridabad vide PC No. 81/07	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
14.	Ballabgarh	B/garh Dhauj Sohna road	-do-	281	Case is pending in Spl.Environment Court Faridabad vide PC No. 88/07	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
		Total B/garh Range		4011			

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faridabad	DM road km 29.8 R side	Kacha Path for passage	396	Case is pending in Spt. Environment Court, Faridabad vide PC No. 89/07	Non compoundable offence	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
2	Faridabad	DM road km 29.8 R side	-do-	440	Case is pending in Spt. Environment Court, Faridabad vide PC No. 86/07	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
3	Faridabad	Surajkund Ankhir road km 0-1 L side	-do-	109	Damage report No. 2562 dated 16-3-2006	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
4	Faridabad	DM road 25-9.50 L side	-do-	120	Case is pending in Spt. Environment Court, Faridabad vide PC No. 82/07	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
5	Faridabad	DM road 26.5 R side	-do-	525	Damage report No. 19/1820 dated 6-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
6	Faridabad	DM road km 29 R side	-do-	375	Damage report No. 19/1823 dated 10-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
7	Faridabad	Bhadkhal Ankhir road	-do-	375	Damage report No. 2565 dated 18-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Faridabad	Bhadkhal Suraj Kund road	Kacha Path for passage	795	Damage report No. 2564 dated 16-3-06	Non compoundable offence	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
9	Faridabad	Bhadkhal Suraj Kund road	-do-	705	Damage report No. 2563 dated 16-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
10	Faridabad	Bhadkhal Gurgaon road	-do-	128	Damage report No. 2566 dated 18-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
11	Faridabad	DM road km 28.2	-do-	450	Damage report No. 19/1822 dated 10-3-06	-do-	Case for diversion of land in widening of NH-2 has been sent to MOEF.
		Total Faridabad Range		4418			
		Total Faridabad District		8429			

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

Annexure 1-B

Details of encroachment in Gurgaon Forest Division

Sr. No.	Name of Offenders	Name of site	Dr. No.	Type of offence	Area in Sqm.	P.C. No.	Ref. No.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sh. Rajbir Project Manager C/o Vatika Pvt. Ltd. GA Road Km 7-8 L/s VPO Badshapur Distt. Gurgaon	G.A Road Km 7-8 L/s	30/21 dated 9.11.05	All the offenders have been booked under relevant	810	13-G/06-07	510/06
2.	Sh. Aman Bagga JMD C/o JMD Garden V. Islampur P.O. & Distt. Gurgaon	G.A Road Km 3-4 R/s	27/21 dated 9.11.05	Preparation of path and Encroachment 1215 m2	1215	12-G/06-07	509/06
3.	Sh. S.K. Jain Pankaj Sharma M/s Orchid Green Pvt. Ltd. (Vipul) G.A. Road Km. 4-5 R/s Distt. Gurgaon	G.A Road Km 4-5 R/s	32/21 dated 10.11.05	Preparation of path and Encroachment 540 m2	540	12-G/06-07	525/06
4.	Sh. S.C. Nagpal, J.E. PWD B&R Division No. 1 GA Road Km 1-2 L/s	G.A Road Km 1-2 R/s	22/21 dated 6.10.05	Preparation of path and Encroachment 2400 m2	2400	21-G/06-07	
5.	Sh. Raj Kumar Mangla S/o Ram Kishan Mangla, Mangla Estate Subji Mandi, Gurgaon	G.A Road Km 9-10 R/s	27709/278 Dated	Preparation of path and Encroachment 532 m2	532	22-G/06-07	789/06
6.	Sh. Ashok Mangla S/o Jai Narayan Vs. PO Badhshahpur Distt. Gurgaon	G.A Road Km 8-10 L/s	27710/278 Dated	Preparation of path and Encroachment 1029 m2	1029	23-G/06-07	527/06
7.	Sh. S.C. Nagpal, JE PWD B&R Division No. 1 GA Road KM 1-2 L/s	Civil Line More Chowk	15/22 dated 6.10.05	Preparation of path and Encroachment 500 m2	500	24-G/06-07	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Sh. Bairaj, JE &SS Rathi SDO Sub Division No. 2 MEJC Division HUDA Distt. Gurgaon	Pataudi Gurgaon Road Km 0-2	49/22 dated 11.11.05	Preparation of path and Encroachment 2000 m2	2000	25-G/06-07	Govt.
9.	MCJC Division HUDA Gurgaon	Gurgaon Sultanpur F/Nagar Road	58/22 dated 20.12.05	Preparation of path and Encroachment 3000 m2	3000	26-G/06-07	Govt.
10.	Executive Engineer PWD B&R Provincial Division No. 1 Distt. Gurgaon	Chandu Kalia Was Iqbalpur	59/22 dated 21.12.05	Preparation of path and Encroachment 3200 m2	3200	27-G/06-07	Govt.
11.	Sh. Subhash Jangra, JE HUDA Anil Verma SDO HUDA Gurgaon Division No. 2	GA Road 4-8 L/R	35/21 dated 2.12.06	Preparation of path and Encroachment 6890 m2	6890	30-G/06-07	Govt.
12.	Sh. Amit Mehta C/o Mehta Petrolium (I.O.C.I.) Comercial Khwaspur Bus Stand R/s Pataudi Road	Gurgaon Pataudi Road Km 19-20 R/s	83/8 dated 18.3.06	Preparation of path and Encroachment 360 m2	360	42-4/06-07	792/06
13.	Sh. Dharma S/o Nihal C/o Pardhan Hotel Khwaspur Gurgaon Pataudi Road	Gurgaon Pataudi Road Km 19-20 R/s	85/8 dated 24.3.06	Preparation of path and Encroachment 720 m2	720	44-G/06-07	790/06
14.	Sh. Billu S/o Lila Ram Sanpka C/o Bilu Hotel Gurgaon Pataudi Road KM 22-23 L/s	Gurgaon Pataudi Road Km 22-23 R/s	88/8 dated 26.5.06	Preparation of path and Encroachment 480 m2	480	47-G/06-07	794/06
15.	Sh. Ravinder Kumar Gupta C/o Y.S. Gupta E.O. M. Committee	Jharsa Bundh RD 8-9 R/s	23/8 dated 4.11.06	Preparation of path and Encroachment 8928 m2	8928	4-G/07-08	506/07
16.	Sh. Satish Dhingra, Dhingra Construction DLF Phase 4 Gurgaon	Lal Sadak Km 0-1	23/18 dated 4.5.07	Preparation of path and Encroachment 2826 m2	2826	5-G/07-08	505/07

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	M/s Bhim Singh & Sons Farrukh Nagar Jhajjar Road KM 22-23 L/s	Farrukh Nagar Jhajjar Road KM 22-23 L/s	58/26 dated 11.7.06	Preparation of path and Encroachment 564 m2	564	7-G/07-08	503/07
18.	Sh. K.C. Sharma J.E. Sub Division No. 3 New Colony PH Gurgaon	Lal Sarak Km 0-1 R/S	24/23 dated 23.3.07	Preparation of path and Encroachment 426 m2	426	13-G/07-08	Govt.
19	Sh. Satender Kumar S/o Virender Singh C/o M/s Indian Gas Service Rewari Road Pataudi	Wazirpur F/Nagar Jhajjar Road Pataudi KM 18-19 R/s	74/26 dated 15/01/07	Preparation of path and Encroachment 196 m2	196	15-G/07-08	499/07
20	Sh. Pardeep S/o Suraj Bhan VPO Wazirabad Distt. Gurgaon	Chakkarpur Bundh	20906/210 dated 22/08/07	Preparation of path and Encroachment 672 m2	672	37-G/07-08	538/08
21	Sh. K.K. Singh SE 2.Ramavatar XEN P-1 3 L.C.Jain S.D.O. 4.P.K Gotam J.E. Gurgaon	Lal Sadak KM 0-1 L&R	30/23 dated 01/06/07	Preparation of path and Encroachment 2826 m2	2826	31-G/07-08	Govt.
22	Sh.Ram Singh J.E. Horti culture H.S.I.D.C. IMT Manesar	Manesar Bundh	24/27 dated 27/08/07	Preparation of path and Encroachment 1000 m2	1000	32-G/07-08	Govt.
23	Sh. Mahender Kumar J.E. Ramchander C/o Devisha Construction H.No. 41 Shopping Centre Sastri Nagar Jaipur Site Office First Floor 503/10, Gurgaon Haryana	Jharsa Bundh KM 11-12 L&R	32/25 Dated 01/09/07	Preparation of path and Encroachment 784 m2	784	33-G/07-08	246/08
24	Parshasak HUDA Vibhag Sector-14, Gurgaon	Faridabad Road to GA Road	20911/210 dated 27/09/07	Preparation of path and Encroachment 23950 m2	23950	46-G/07-08	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Shurinder Aluvaliya M/D Hem Kust Earth Movers Pvt. Ltd. M/3/53 DLF Phase-2, Gurgaon	Gurgaon Faridabad Road KM 11-20	20521/206 Dated 09/09/07	Preparation of path and Encroachment 1240 m2	1240	48-G/07-08	456/08
26	Commander K.K.Choudhary C/250 Phase No.1, Sushant Lok Gurgaon	Chakkarpur Bundh	20905/210 Dated 22/08/07	Preparation of path and Encroachment 156 m2	156	49-G/07-08	806/08
27	Sh.P.S.Man Radha Swami Colony Dera Baba Jaimal Singh Amritsar (Punjab)	Gurgaon Faridabad Road KM 14-15 L/S	20504/206 Dated 16/05/07	Preparation of path and Encroachment 345 m2	345	50-G/07-08	457/08
28	Sh. Harsh Kumar Principal American Public School Sushant Lok Block C-2, Gurgaon	Chakkarpur Bundh	29031/291 Dated 03/12/07	Preparation of path and Encroachment 300 m2	300	52-G/07-08	536/08
29	Sh.S.P.S. Raja C/o Civil Department Maruti Udyog Ltd. Delhi Road Gurgaon	Old By Pass KM 30-31 R/s	29032/291 Dated 05/12/07	Preparation of path and Encroachment 180 m2	180	53-G/07-08	540/08
30	Sh. Braham Parkash S/o Biharilal Village Gwal Phari P.O. Gwal Phari Distt.Gurgaon	Gurgaon Faridabad Sadak KM 12-13 R/s	20536/206 Dated 02/01/08	Preparation of path and Encroachment 176 m2	176	54-G/07-08	544/08
31	Sh.Rohtash Sharma General Manegar Ansal Velly Gurgaon Faridabad Road KM 14-15 L/s	Gurgaon Faridabad Sadak KM 14-15 L/s	20537/206 dated 04/01/08	Preparation of path and Encroachment 195 m2	195	55-G/07-08	542/08
32	Sh.Dhammi S/o Satte Village Gwal Phari P.O. Gwal Phari Distt.Gurgaon	Gurgaon Faridabad Sadak KM 14-15 L/s	20538/206	Preparation of path and Encroachment 156 m2	156	56-G/07-08	546/08

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Sh. Rattan Singh S/o Beghraj Gwal Phari 510 Gwal Phari, Gurgaon	Gurgaon Faridabad Road KM 15-16 L/s	20539/206 Dated 07/01/08	Preparation of path and Encroachment 255 m2	255	57-G/07-08	545/08
34	Bhagmal S/o Teja Vill. Kaliyawas P.O. Kaliyawas, Distt.Gurgaon	Gurgaon Faridabad Road KM 16-17	20540/206 Dated 07/01/08	Preparation of path and Encroachment 41 m2	41	58-G/07-08	543/08
35	Sh. Laxman S/o Gwal Phari P.O.Gwal Phari Distt. Gurgaon	Gurgaon Faridabad Road KM 17-18 L/s	20542/206 Dated 09/01/08	Preparation of path and Encroachment 200 m2	200	60-G/07-08	541/08
36	Parshasak HUDA Department Gurgaon, Sector-14	Gurgaon Faridabad Road KM 8-9 L/s	29051/291 Dated 05/02/08	Preparation of path and Encroachment 400 m2	400	3-G/08-09	Govt.
37	Phool Singh S/o Dani Ram Gujjar R/o VPO Kotla, PS Nuh, Distt. Mewat	Chakkarpur Baand	29034/291 dated 28-12-07	Preparation of path and Encroachment 60 m2	60	4-G/08-09	807/08
38	Raj Singh Gehlot Embience Lagun Apptt. N.H. 8, Delhi Border Gurgaon	Nathupur Baand	29065/291 dated 14-05-08	Preparation of path and Encroachment 6080 m2	6080	7-G/08-09	810/08
39	Sunil Kumar Jain (B.A., L.L.B.) R/o Lal Sadak, House No. 410/16 Gurgaon	Civil Line Lal Sadak, Km 0-1 R/s	44/23 dated 12-03-2008	Preparation of path and Encroachment 112 m2	112	13-G/08-09	816/08
40	Sh.S.K.Jain S/o S.K.Villa Jain R/o Lal Sadak, Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 R/s	46/23 dated 12-03-08	Preparation of Boundary wall and Encroachment 125 m2	125	15-G/08-09	817/08
41	Ramavtar Gupta Advocate R/o House No. 284/8, Lal Sadak, Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 R/s	47/23 dated 12-03-08	Preparation of Boundary wall and Encroachment 45 m2	45	16-G/08-09	819/08
42	Smt. Murti Devi Gupta W/o Janki Parshad Gupta H.No.438/1/16 Lal Sadak	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	49/23 Dated 19/05/08	Preparation of path and Encroachment 32 m2	32	17-G/08-09	820/08

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sh. Sambhu Lal Sharma H.No.369/18 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	50/23 Dated 19/05/08	Preparation of path and Encroachment 127 m2	127	18-G/08-09	821/08
44	Sh. Rashik Behal H.No. 383 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	51/23 Dated 19/05/08	Preparation of park and path Encroachment 95 m2	95	19-G/08-09	822/08
45	Sh. Badri Parshad Gupta S/o Sh. Neeraj Gupta Advocate H.No. 437/16 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	52/23 Dated 11/05/08	Preparation of path and Encroachment 30 m2	30	20-G/08-09	823/08
46	Sh. Raj Singh Retd. Brigedier H.No. 436/16 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	54/23 Dated 19/05/08	Preparation of path and Encroachment 72 m2	72	21-G/08-09	824/08
47	Sh. Murari Singh IAS Retd. and Sh. Yeshveer Ahlawat Wing Comondar H.No. 435/16 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	55/23 Dated 19/06/08	Preparation of path and Encroachment 60 m2	60	23-G/08-09	826/08
48	Sh. Rajan Manchanda H.No. 434/16 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	56/23 dated 19-5-08	Preparation of path and Encroachment 240 m2	240	24-G/08-09	827/08
49	Sh.Ishwar Singh Dahiya H.No.375/18 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	57/23 dated 23-5-08	Preparation of path and Encroachment 64 m2	64	25-G/08-09	828/08
50	Sh. Naresh Aggarwal President Dron Appartment Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	58/23 dated 23-5-08	Preparation of path and Encroachment 184 m2	184	26-G/08-09	827/08
51	Sh. Brahampal Yadav S/o Ramkisan H.No 459/16 Lal Sadak, Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	59/23 dated 23-5-08	Preparation of path and Encroachment 84 m2	84	27-G/08/09	830/08

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Sh. Raghbir S/o. Sh. Balbir Singh H.No. 426B/16, Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	62/23 dated 23-5-08	Preparation of path and Encroachment 21 m2	21	30-G/08-09	833/08
53	Sh. C.S.Chinkara Kirsan & Kirsan Menson H.No 301/18 Lal Sadak Gurgaon	Lal Sadak, Km 0-1 L/s	72/23 Dated 23/05/08	Preparation of path and Encroachment 126 m2	126	39-G/08-09	842/08
54	Sh. Suresh Kumar S/o Ganpat Singh Yadav Vill. Kho P.O. Manesar, Gurgaon, Vesali Foji Hotel	N.H- 8 KM 53-54 L/s	39/27 dated 3-01-08	Preparation of path and Encroachment 308 m2	308	42-G/08-09	944/08
55	Sh. Dharam Singh S/o. Kewal Ram Yadav V.P.O. Manesar Kukdola Panna, Distt. Gurgaon (Krishna Hotel)	NH-No. 8 Km. 54 to 55 L/s.	40/27 dated 3-01-08	Preparation of path and Encroachment 300 m2	300	43-G/08-09	943/08
56	Sh. Dara Singh S/o. Sh. Amilal Vill. Kukrola P.O. Pachgaon, Distt. Gurgaon (Dara Hotel)	NH- No. 8 Km. 54 to 55 L/s.	41/27 dated 4-01-08	Preparation of path and Encroachment 332 m2	332	44-G/08-09	942/08
57	Sh. Sanjay S/o. Sh. Dharampal Yadav Vill. Kukrola P.O. Pachgaon, Distt. Gurgaon (Sanjay Hotel)	NH- No. 8 Km. 54 to 55 L/s.	42/27 dated 4-01-08	Preparation of path and Encroachment 280 m2	280	45-G/08-09	940/08
58	Sh. Shyam Lal S/o. Sh. Chhotu Ram Yadav Vill. Kukrola P.O. Pachgaon, Distt. Gurgaon (Shyam Hotel)	NH-No. 8 Km. 54 to 55 L/s.	43/27 dated 5-01-08	Preparation of path and Encroachment 240 m2	240	46-G/08-09	938/08
59	Sh. Surat Singh S/o. Sh. Lilu Ram Yadav P.O. Manesar, Distt. Gurgaon (Ajay Hotel)	NH-No. 8 Km. 51 to 52 R/s	44/27 dated 5-01-08	Preparation of path and Encroachment 450 m2	450	47-G/08-09	950/08

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Sh. Satish S/o Sh. Ran Singh Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon (Rim Jhim Hotel)	NH-8 Km. 46 to 47 R/s	27140/272 dated 2-01-08	Preparation of path and Encroachment 576 m2	576	50-G/08-09	946/08
61	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Kanha Ram Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon (Shere Punjab Hotel)	NH-8 Km. 46 to 47 R/s	27141/272 dated 4-01-08	Preparation of path and Encroachment 540 m2	540	51-G/08-09	958/08
62	Smt. Luxmi W/o Sh. Daya Ram Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon(Luxmi Hotel)	NH 8 Km. 46 to 47 R/s	27143/272 dated 4-01-08	Preparation of path and Encroachment 1170 m2	1170	52-G/08-09	956/08
63	Sh. Virender S/o Sh. Ram Mehar Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon (Baba Hotel)	NH-8 Km. 46 to 47 R/s	27142/272 dated 4-01-08	Preparation of path and Encroachment 540 m2	540	53-G/08-09	955/08
64	Sh. Ravi S/o Sh. Mam Chand Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon (Ravi Hotel)	NH-8 Km. 45 to 46 R/s	27144/272 dated 5-01-08	Preparation of path and Encroachment 270 m2	270	54-G/08-09	954/08
65	Surender Hotel Sh. Omparkash S/o Sh. Bhudev Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon	NH No. 8 Km. 45 to 46 R/s. Surender Hotel	27145/272 dated 5-01-08	Preparation of path and Encroachment 576 m2	576	55-G/08-09	953/08
66	Smt. Kailash Devi W/o Sh. Harpal Yadav Vill.& P.O Nakhrola, Distt. Gurgaon (Kailash Hotel)	NH-8 Km. 45 to 46 R/s	27146/272 dated 7-01-08	Preparation of path and Encroachment 900 m2	900	56-G/08-09	941/08
67	Sh. Gagraj S/o Sh. Jai Dayal Yadav Vill.& P.O Sikohpur, Distt. Gurgaon (Uday Hotel)	NH-8 Km. 44 to 45 R/s	27147/272 dated 7-01-08	Preparation of path and Encroachment 360 m2	360	57-G/08-09	939/08
68	Sh. Prakash S/o Sh. Badalu Yadav Vill.& P.O Sikohpur, Distt. Gurgaon (Market)	NH-8 Km. 43 to 44 R/s	27148/272 dated 8-01-08	Preparation of path and Encroachment 720 m2	720	58-G/08-09	952/08

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8
69	S.E. Public Health Govt.Residence New Colony More Gurgaon	Lal Sadak KM 0-1 R/s	36/23 Dated 21/12/07	Preparation of path and Encroachment 533 m2	533	59-G/08-09	Govt.
70	Om Parkash J.E. Public Health Sub Division No.3 Gurgaon	Lal Sadak KM 0-1 R/s	37/23 Dated 22/12/07	Preparation of path and Encroachment 250 m2	250	60-G/08-09	Govt.
71	Kartar Singh S/o Ram Chander VPO Sikhopur Distt.Gurgaon (Lakshay Dhaba)	NH-8 KM 44-45 R/s	27150/272 Dated 08/01/08	Preparation of path and Encroachment 720 m2	720	61-G/08-09	951/08
72	O.P. Sharma Laxmi Security 10 Market Road Mithai Ki Dukan Ke Sath DLF City Phase-1, Gurgaon	Chakkarpur Bundh	29057/291 Dated 20/03/08	Preparation of wall and Encroachment 880 m2	880	65-G/08-09	957/08
73	Arodaman Singh/Billu S/o Vijaypal Singh Gurgaon IOC LTD. NH-8, Manesar (Matri Motors)	NH-8 KM 47-48 R/s	45/27 Dated 06/01/08	Preparation of Path and Encroachment 1260 m2	1260	71-G/08-09	1060/08
74	M/s Sita Services (Indiamail) Gurgaon	NH-8 KM42 R/s	27149/272 dated 8-01-08	Preparation of path and Encroachment 360 m2	360	72-G/08-09	1055/ 08
75	Sh. S.K. Saini Advocate Civil Line, Gurgaon	Lal Sadak KM 0-1 R/s	38/23 dated 18-01-08	Preparation of path and Encroachment 69.10 m2	69.1	73-G/08-09	08/09
76	Parsashak HUDA Department Sector-14 Gurgaon	Gurgaon Faridabad Road 9-9A Crossing	29056/291 Dated 31/03/08	Preparation of path and Encroachment 4454 m2	4454	81-G/08-09	Govt.
77	Parsashak HUDA Department Sector-14 Gurgaon	Gurgaon Mehrouli Road	29059/291 Dated 31/03/08	Preparation of path and Encroachment 5280 m2	5280	82-G/08-09	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8
78	H.S. Sukala Retd.Caption, Manegar Rich Reg Condominiun Assddciation DLF Phase-1 Gurgaon	Chakkarpur Bundh	29060/291 Dated 27/04/08	Preparation of path and Encroachment 5000 m2	5000	89-G/08-09	263/09
79	Sh. Deepak Choudhary S/o Subhash Chander 5/20 Shivaji Nagar, Gurgaon	Mehrouli Gurgaon Road KM 30-31	29066/291 Dated 14/05/08	Preparation of path and Encroachment 50 m2	50	90-G/08-09	265/09
80	1 Pawan Kumar S/o Meersingh Vill.Dhanda, PO.Was Lambi, Gurgaon 2. Anil Ahuja Parbandhak Pink City Express Way. Pvt. Ltd. Plot No.118, Sector-1, IMT Manesar, Gurgaon	NH-8 KM 43-44 R/s	27269/272 Dated 22/10/08	Preparation of path and Encroachment 7800 m2	7800	2-G/09-10	360/09
81	1.Suparkash Majomdar GM circle more 2.Jitender K Singh Caluster leed Reliance company 8th floor vijay building khamba road canought place New Delhi	Civil Line Lal Sadak	73/33 Dated 27/06/08	Preparation of path and Encroachment 1140 m2	1140	3-G/09-10	361/09
82	Vinu Bhatti C/o Saint st Pauls School 6th Mile Store Pataudi Road Harsaru, Gurgaon	Gurgaon Pataudi Road KM 6-7 L/s	22518/226 Dated	Preparation of path and Encroachment 51 m2	51	7-G/09-10	762/09
83	Sh.Balwant Vats Properties NHW No-8 KM 44 Mile Stone Near Haldi Ram, Gurgaon	NH KM43-44 L/s	27158/272 Dated	Preparation of path and Encroachment 1875 m2	1875	8-G/09-10	478/09
84	Sh. Rajender Singh Maneger Gujrat Haveli National Highway-8 KM 43-44, Gurgaon	NH KM 43-44 L/s	27159/272 Dated	Preparation of path and Encroachment 30 m2	30	9-G/09-10	479/09

1	2	3	4	5	6	7	8
85	Sh. Rameshwar S/o Kawar Singh, Village Sikhopur	NH KM 43-44 L/s	27160/272 Dated 24/07/08	Preparation of path and Encroachment 300 m2	300	10-G/09-10	477/09
86	1 Mahender Kumar S/o Balram 2. Luxmi Narayan S/o Rati Ram Jat, Vill. Sikhopur	NH KM 43-44 L/s	27161/272 Dated 27/07/08	Preparation of path and Encroachment 144 m2	144	11-G/09-10	483/09
87	Sh. Nen Kawar S/o Jai Dayal, Village Sikhopur	NH-KM 44-45	27162/272 Dated 25/07/08	Preparation of path and Encroachment 84 m2	84	12-G/09-10	484/09
88	Sh. Gagraj S/o Jaidyal Vill Sikhopur	NH-KM 44-45 L/s	27163/272 Dated 25/07/08	Preparation of path and Encroachment 80 m2	80	13-G/09-10	486/09
89	Sh.Sumar Jeet S/o Jaidyal, Village Sikhopur	NH KM 44-45 L/s	27164/272 Dated 25/07/08	Preparation of path and Encroachment 76 m2	76	14-G/09-10	485/09
90	Sh.Ram Kisan Kailash Dhaba S/o Mohan Lal Village Sikhopur	NH-8 KM 44-45 L/s	27165/272 Dated 26/07/08	Preparation of path and Encroachment 120 m2	120	15-G/09-10	481/09
91	S.D.Tiwari Farm Rampura NHW No. 8 KM 44-45	NH-8 KM 44-45 L/s	27166/272 Dated 26/07/08	Preparation of path and Encroachment 12 m2	12	16-G/09-10	482/09
92	Sh.Ravi Kumar S/o Mamchand village Nakhrola	NH-8 KM 45-46 L/s	27167/272 Dated 26/07/08	Preparation of path and Encroachment 108 m2	108	17-G/09-10	480/09
93	Sh. Javed C/o REO Oripid Center Golf Course Road Sec. 53, Gurgaon	Ghata Bundh	22814/229 Dated 24/01/09	Preparation of path and Encroachment 2500 m2	2500	18-G/09-10	847/09

1	2	3	4	5	6	7	8
94	Dharmender Nagar Malik Near Hospital Sushant Lok Block-C Sector 43, Gurgaon	Wazirabad Bundh	22815/229 Dated 12/02/09	Preparation of path and Encroachment 2500 m2	2500	19-G/09-10	
95	Sh.H.L. Bhargav S/o Sh. B.L. Bhargav H.No.333/16 Friends Colony,Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	74/23 Dated 06/09/08	Preparation of path and Encroachment 1192 m2	1192	28-G/09-10	582/09
96	Sh.H.L. Bhargav S/o Sh. B.L. Bhargav H.No.333/16 Friends Colony,Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	75/23 Dated 06/09/08	Preparation of path and Encroachment 147 m2	147	29-G/09-10	574/09
97	Vijay Pal S/o Deshraj H.No.412/5, Patel Nagar, Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	76/23 Dated 06/09/08	Preparation of path and Encroachment 420 m2	420	30-G/09-10	567/09
98	Smt. Bimla Devi W/o J.C. Sharma H.No. 495/5 Patel Nagar, Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	77/23 Dated 06/09/08	Preparation of path and Encroachment 240 m2	240	31-G/09-10	572/09
99	Sh. Ram Kisan S/o Munshi Ram H.No.492/5, Patel Nagar, Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	78/23 Dated 07/09/08	Preparation of path and Encroachment 265 m2	265	32-G/09-10	568/09
100	Smt. Meena Rani W/o Anil Kumar H.No.867/5, Patel Nagar, Gurgaon.	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	81/23 Dated 07/09/08	Preparation of path and Encroachment 48 m2	48	35-G/09-10	571/09
101	Vijay Pal S/o Balbir H.No. 1491/5 Patel Nagar, Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	82/23 Dated 07/09/08	Preparation of path and Encroachment 133 m2	133	36-G/09-10	573/09
102	Sh. Rajender Gupta S/o B.K. Gupta H.No. 505/5 Patel Nagar, Gurgaon	Jharsa Bundh RD 0-10 R/s	83/23 Dated 07/09/08	Preparation of path and Encroachment 180 m2	180	37-G/09-10	583/09

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8
103	India Evergreen Nursery Istihar S/o Siraju C/o Dharmpal R/o U.P.Hali Abad Sikanderpur Old by pass near Bikaner Sweets Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29092/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 750 m2	750	40-G/09-10	
104	New Bhawna Nursery C/o Dharmpal Gujjar R/o Hali Abad Sikanderpur Holi Near Bikaner Sweets Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29093/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 600 m2	600	41-G/09-10	
105	Garden Sector Parmod Tandan C/o Dharmpal Gujjar R/o West Bangal Hali Abad Sikanderpur Ghosi Near Bikaner Sweets Gurgaon Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29094/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 420 m2	420	42-G/09-10	
106	Rubi Nersery Badrul Islam C/o Dharmpal Gujjar U.P. Hali Abad Sikanderpur Near Bikaner Sweets Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29095/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 250 m2	250	43-G/09-10	
107	Sagun Ken Handicoper Sushil Singh C/o Dharmpal Gujjar Hali Abad Power House Sikanderpur, Old by pass Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29096/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 300 m2	300	44-G/09-10	
108	Natural World Somnath Das C/o Dharmpal Gujjar App. Power House Sikanderpur Old by pass Mehrouli Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29097/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and Encroachment 270 m2	270	45-G/09-10	
109	Sh. Kisanchand Garg S/o Sh Dindyal Garg H.No.654/16 Opposite Apna Bazar G.A. KM 0-1 L/s Gurgaon	G.A. Road K.M. 0-1 L/s	86/23/291 Dated 22/07/08	Preparation of path and Encroachment 54 m2	54	47-G/09-10	786/09

1	2	3	4	5	6	7	8
110	Ishwar Dayal S/o Banwari Baniya H.No. 460/16 G.A.Road KM 1-2 L/s Gurgaon	G.A. Road K.M. 1-2 L/s	87/23/291 Dated 22/10/08	Preparation of path and Encroachment 511 m2	511	48-G/09-10	788/09
111	Ramada Hotel, B.M.K,Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/side Opp. New Court Gurgaon.	Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/s.	90/23 dated 22-10-08	Preparation of path and encroachment 220 m2	220	51-G/09-10	76/09
112	Sh. Jai Narayan S/o. Dharmi Ram H.No. 523/18 Opp. New Court, Gurgaon.	Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/s.	91/23 dated 22-10-08	Preparation of path and encroachment 30 m2	30	52-G/09-10	763/09
113	Sh. Surjeet S/o. Dharmi Ram H.No. 523/18 Opp. New Court, Gurgaon.	Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/s.	92/23 dated 27-10-08	Preparation of path and encroachment 20 m2	20	53-G/09-10	760/09
114	Sh. Deepak Arora M.D, Sh. Virat Sondhi, CMD, JMA Delhi Ltd. Gurgaon Alwar Road Km. 1-2, Opp. New Court, Gurgaon	Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/s.	93/23 dated 27-10-08	Preparation of path and encroachment 72 m2	72	54-G/09-10	759/09
115	Sh. Ramchander Khatana S/o. Chet Ram, H.No. 515/18 Gurgaon Alwar Road Km. 1-2, Opp. New Court, Gurgaon	Gurgaon-Alwar Road Km. 1-2 L/s.	94/23 dated 27-10-08	Preparation of path and encroachment 28 m2	28	55-G/09-10	758/09
116	Sh. Vijay Goyal Manager, Sh. Manish Uppal Director, Uppal Kaneri Residency, Sector-78, Naurangpur Road, Manesar Gurgaon.	Naurangpur Road Km. 0-2 L/s.	27170/272 dated 22-10-08	Earth filling and encroachment 258 m2 and destroyed 56 plants and 70 kg. Barbed wire.	258	57-G/09-10	757/09
117	Sh. Pankaj Kumar, General Manager Project Idia Sellular Company, Idea Building, Tonk Road, Jaipur.	Naurangpur Road Km. 0-6.6 L&R/s.	27171/272 dated 22-10-08	Digging trench and encroachment 6600 m2 and destroyed 125 plants	6600	58-G/09-10	

1	2	3	4	5	6	7	8
118	Sh. Suresh Rao, Kothi No.547 Sector -1, HSIIDC Manesar Gurgaon.	Manesar Bundh RD 0-tail L/s	27173/272 dated 25-02-09	Preparation of path and encroachment 50 m2	50	88-G/09-10	
119	Dr.Kanuga H.No. 71/10 DLF Phase 4 Gurgaon	Chakkarpur Bundh	29089/291 Dated 28/04/09	Preparation of path and encroachment 119 m2	119	92-G/09-10	
120	Mr.Anil M.D. Solifare Plaza M.G.Road Gurgaon Near Sikanderpur Village.	Nathupur Drain	20301/204 Dated 03/07/09	Preparation of path and encroachment 800 m2	800	97-G/09-10	
121	Sh.Chander Bhushan Maharaj C/o Dharampal Gujjar Sikanderpur Bypass M.G Road, Gurgaon	Nathupur Drain	29018/291 Dated 02/07/09	Preparation of path and encroachment 216 m2	216	74-G/09-10	
122	Sh. S.S Yadav S/o Sh. Netram Yadav H.No.1521/5 Patel Nagar Gurgaon	Jharsa Bundh	80/23 Dated 07/09/08	Preparation of path and encroachment 60 m2	60	34-G/09-10	
123	Sh.Gajender Singh S/o Ishwar Singh Yadav Jhankar Public Senior Secondary School Sikhopur	Sikhopur App. Road KM 0-2 R/s	21805/219 Dated 28/11/09	Preparation of path and encroachment 40 m2	40	14-G/10-11	539/10
124	(i)Ashok Sekhawat Director (ii)Yogesh Project Manegar (iii) Narender Singh Yadav Manager Minda Industries Ltd. Gate No.1 Vill.Naharpur Kassan Road PO Nakhrola	Manesar Bundh Road 2-4 R/s	21815/219 Dated 31/12/09	Preparation of path and encroachment 120 m2	120	15-G/10-11	610/10
125	Ashu Mohmand Sarpanch S/o Rustana Meo Raipur Sohna, Gurgaon	Raipur Resern Forest	25/131 Dated 05/04/01	Preparation of path and encroachment 2400 m2	2400	2-S/10-11	

1	2	3	4	5	6	7	8
126	Sh.Ram Kumar Bansal S/o Munsi Ram Vill. P.O. Sohna Distt. Gurgaon	G.A.Road KM 25-25.2 L/s	19711/198 Dated 08/11/05	Preparation of path and encroachment 936 m2	936	2-S/10-11	536/06
127	Sh.Rajinder Kumar S/o Kham Chand Thakurwara Mohlla Sohna at Present G.A.Road KM 23-24 L/s Gurgaon	G.A.Road KM 23-24 L/s	19712/198 Dated 09/11/05	Preparation of path and encroachment 962 m2	962	3-S/10-11	540/06
128	Sh.Ashok Garg S/o Jai Nairain Garg Cant Bania V& P.O. Sohna Ward No. 7 P.S Sohna Distt.Gurgaon	P.S.R Road Km. 27-28 R/s Petrol Pump	16522/166 dated 9-11-05	Preparation of path and Encroachment 324 m2	324	4-S/06-07	544/06
129	Sh.Deepak Jain S/o Devender Jain Ward No. 15 Near old Sabji Mandi P.S. Sohna IBP Station Gurgaon Alwar Road KM 26-27 L/s Sohna, Gurgan	G.A Road Km. 26-27 L/s Petrol Pump	27388/274 dated 11-11-05	Preparation of path and Encroachment 1296 m2	1296	6-S/06-07	542/06
130	Sh.Anil Jindal S/o Sh. T.R. Jindal Cant Bania H.No.1491 Gate 14 Faridabad	G.A Road Km. 26-27 L/s	27387/274 dated 11-11-05	Preparation of path and Encroachment 1404 m2	1404	7-S/06-07	535/06
131	Sh. Praveen S/o Sh. Tara Chand Jat Braham Kumari Asaram, Hathwana Road Samalkha, Distt. Panipat.Petrol Pump (IBP)	G.A Road Km. 26-27 L/s Petrol Pump	27386/274 dated 10-11-05	Preparation of path and Encroachment 1431 m2	1431	8-S/06-07	543/06
132	Sh. Mansa Ram S/o. Sh. Parbhu Singh Jat Vill. Alipur P.O. Ghamroj Distt. Gurgaon.	G.A Road Km. 17-18 L/s Petrol Pump	19718/198 dated 06-01-06	Preparation of path and Encroachment 138 m2 and destroyed Misc trees 6 nos. u/s.	138	10-S/06-07	533/06

1	2	3	4	5	6	7	8
133	Sh.Ram Paul Singh Sadhu and Panty village P.O Ghamroj, Distt.Gurgaon	G.A Road Km. 16-17 L/s Petrol Pump	19714/198 Dated 10/12/05	Preparation of path and Encroachment 138 m2	138	11-S/06-07	534/06
134	Sh. Uday S/o. Sh. Ranbir Singh Gujjar Vill. Mohatabad P.O. Pali, Distt. Faridabad	G.A. Road Km. 23-24 R/s.	19716/198 dated 25-12-05	Encroachment 966 m2 Illicite felling of Shisham T.no.185 girth 63 cm & Safeda tree No. 4 V.	966	22-S/06-07	529/06
135	Sh.Tara Singh C/o Kitko Automobile B-26 Sureja Tanw-I Dtt Canter Janekpuri Delhi t10058 New add. Plot no. 336 Ltd. Udyog Vihar Phase II, Gurgaon	G.A. Road Km. 9-10 L/s.	27712/278 Dated 10/03/06	Preparation of path and Encroachment 1025 m2	1025	28-S/06-07	782/06
136	Sh. Sheru S/o. Sh. Rahaman Meo, ITI Colony, Sohna, VPO Sohna Distt. Gurgaon.	Raipur Sohna R.F.	27395/274 dated 16-08-06	Cattle yard and Hut etc. Encroachment 700 m2	700	30-S/06-07	220/07
137	Sh. Tahir S/o. Sh. Nasru Meo, VPO Rewasan Tehsil Nuh, Distt. Mewat.	G.A. Road Km. 26-27 L/s.	16401/165 dated 20-09-06	Preparation of path and encroachment 200 m2	200	31-S/06-07	219/07
138	Sh. Ushman S/o. Sh. Rudhar Meo ITI Colony Sohna Distt. Gurgaon.	Sohna R.F.	16403/165 dated 02-10-06	Cattle yard and Hut etc. Encroachment 600 m2	600	33-S/06-07	224/07
139	Sh. Haru S/o. Eshaq Meo ITI Colony Sohna Distt. Gurgaon.	Sohna R.F.	16407/165 dated 22-10-06	Preparation of Masjid Encroachment 100 m2	100	34-S/06-07	225/07

1	2	3	4	5	6	7	8
140	Sh. Mudeen S/o. Sh. Fateh Mohd. Meo ITI Colony Sohna Distt. Gurgaon.	Sohna R.F.	27396/274 dated 17-8-06	Encroachment 200 m2	200	35-S/06-07	231/07
141	Sh.Raman Puri C/o M/s Universal tamerkan 5-6 Gurgaon Alwar Road	G.A.Road 5-6 L/s	40/21 Dated 26/09/06	Encroachment 3900 m2	3900	36-S/06-07	226/07
142	Sh. Vijay Singh Project Manager C/o M/s Nenex Company Pvt. Ltd.KM 5-6 Left side Gurgaon Alwar Road	G.A.Road 5-6 L/s	41/21 Dated 09/11/07	Preparation of path and encroachment 2570 m2	2570	37-S/06-07	227/07
143	Sh. M.P.S. Mathur project Manager C/o M/s Vatika Technology Puna Pvt.Ltd. KM 6/7 Left/s	G.A.Road 6-7 L/s	42/21 Dated 09/11/07	Preparation of path and encroachment 3600 m2	3600	38-S/06-07	228/07
144	Smt.Santosh Devi w/o Miya Singh House No 1573/3 Siva Colony Jind Distt.	G.A.Road 13-14 R/s	27714/278 Dated 02/08/06	Preparation of path and encroachment 1178 m2	1178	39-S/06-07	354/07
145	Sh. Surya Hans Motel Sh. Mukesh Kumar S/o.Sh. Phool Singh Ahir Vill. Baluda P.O. Sohna, Distt. Gurgaon.	G.A Road Km. 20-21 L/s Motel	19726/198 dated 10-11-06	Preparation of path and encroachement 1403 m2 and destroyed 36 plants	1403	42-S/06-07	236/07
146	Sh. Raj Kumar Goel S/o. Mohara Vill. & P.O. Sohna, Distt. Gurgaon.	G.A. Road Km. 26-27 R/s.	16420/165 dated 22-11-06	Preparation of path and encroachement 360 m2	360	47-S/06-07	213/07
147	Sh. Nehlaul S/o. Budh Ram Gujjar Vill. Gundwas Sohna Dhani P.O. Sohna, Distt. Gurgaon.	G.A. Road Km. 22-23 L/s.	19727/198 dated 11-11-06	Preparation of path and Encroachment 368 m2 destroyed 16 plant Misc.	368	48-S/06-07	222/07
148	Sh. Isak S/o Khannu, I.T.I Colony, Sohna, Ward No-07, Sohna	G.A Road K.m 25-26 R/s	16435/165 dt. 29.04.07	Encroachment 300 m2	300	20-S/ 07-08	350/07

1	2	3	4	5	6	7	8
149	Sh. Sandu Singh S/o Puren Singh Bhondsi Sohna, Gurgaon	G.A Road K.m 14-15 R/s	27721/278 dt. 20/03/07	Encroachment 368 m2	368	29-S-07-08	
150	Sh. J.K Trihan M.D House No.-E-26, Panchsil Part	G.A Road Km 5-6 R/s	21/47 dt. 17.04.07	Preparation of Path & Encroachment 3150 m2	3150	34-S-07-08	100/08
151	Sh. Alumudeen Managing Director C/o I.L.D Trade Center, Sec-47 Sohna Road Gurgaon	G.A Road Km 4-5 L/s	46/21 dt. 08.04.07	Preparation of Path & Encroachment 3144 m2	3144	35-S-07-08	96/08
152	Sh. Babu S/o Chandi Luhar, Vill.-Harchand Pur P.O Dohla, Gurgaon	Balamgarh, Sohna Road K.m 25-26 L/s	16217/163 dt. 05.04.07	Preparation of House & Encroachment 225 m2	225	31-S-07-08	116/08
153	Sh. Krishan Singh Ragav S/o Kalji Singh Rajput,V.P.O Ghamdoj, Gurgaon	G.A Road Km 23-24 L/s	19746/198 dt. 09.06.07	Preparation of Bondri Wall & Encroachment 437 m2 & Distroyed	437	46-S-07-08	108/08
154	Sh.Hari Om Dagar S/o Hukam Singh Dagar Village Raipur, Sohna, Distt. Gurgaon	G.A Road Km 27-28 L/s	16439/165 dt. 01/08/07	Preparation of Path & Encroachment 442 m2	442	59-S-07-08	105/08
155	Sh.Hari Om Dagar S/o Hukam Singh Dagar Village Raipur, Sohna, Distt. Gurgaon	G.A Road Km 27-28 L/s	16441/165 dt. 03/08/07	Preparation of Path & Encroachment 2728 m2	2728	61-S-07-08	117/08
156	Sh.Jai Bhagwan S/o Som Nath Vil.Sohna, P.O. Sohna Distt. Gurgaon (Baluda) More Bye pass Sohna	G.A Road Km 24-25 L/s	19761/198 dt. 03/10/07	Preparation of Path & Encroachment 336 m2	336	64-S-07-08	331/08
157	Sh.Davender S/o Narayan (Gita) Village. Dhunla P.O. Sohna Distt.Gurgaon	G.A Road Km 19-20 R/s	19762/198 dt. 04/10/07	Preparation of Path & Encroachment 108 m2	108	65-S-07-08	325/08

1	2	3	4	5	6	7	8
158	Sh.Sham Singh S/o Heera Lal, VPO-Sohna Ward No. 7 Distt-Gurgaon Haryana	G.A Road Km 25-252 R/s	19760/198 dt. 03/10/07	Preparation of Path & Encroachment 207 m2	207	67-S-07-08	326/08
159	M/s Holy Day City Center Private Ltd. H.I.G. M.Panam Delhi Nagar (Chocin)	G.A Road Km 17-18 R/s	19763/198 dt. 05/10/07	Preparation of Path & Encroachment 92 m2	92	68-S-07-08	323/08
160	Sh.Rohtash Goel M.D.C/o Omex Construction Ltd.7Local Shopping Center Kalka Ji (New Delhi)	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail L/R	52/21 dt. 06/08/07	Preparation of Path & Encroachment 1776 m2	1776	70-S-07-08	328/08
161	Sh.Raman Puri C/o M/s Universal Pvt.Ltd. A-609 Sushant Lok-1, Gurgaon	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail R/s	54/21 dt. 12/08/07	Preparation of Path & Encroachment 1200 m2	1200	71-S-07-08	351/08
162	Sh.Ashok Kumar M.D. C/o S.S.Group May Field Garden A-Block Sector-50, Gurgaon (Haryana)	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail L/R	53/21 dt. 10/08/07	Preparation of Path & Encroachment 1536 m2	1536	72-S-07-08	347/08
163	Sh.Alimadeen M.D. C/o I.L.D. Trade Center Sohna Road (ALM Infotech Pvt.Ltd. KM 4-5 Left Side (Gurgaon)	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail L&R	56/21 dt. 15/08/07	Preparation of Path & Encroachment 1200 m2	1200	73-S-07-08	345/08
164	Sh.Gautam Behla M.D. Sh. Vatika Land Hase Pvt. Ltd. Vatika Tringla Sushant Lok-1 M.G.Road Gurgaon	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail L&R	49/21 dt. 29/07/07	Preparation of Path & Encroachment 1800 m2	1800	74-S-07-08	327/08
165	Sh.R.M.Garg M.D. C/o Ninex Pvt.Ltd. 402 Salitair Plaza Sikander Pur (Gurgaon)	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail R/s	55/21 dt. 12/08/07	Preparation of Path & Encroachment 1080 m2	1080	76-S-07-08	330/08

1	2	3	4	5	6	7	8
166	Sh.Rohtash Goel M.D.C/o Omex Construction Ltd.7 Local Shopping Center Kalka Ji (New Delhi)	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail R/s	51/21 dt. 06/08/07	Preparation of Path & Encroachment 2160 m2	2160	77-S-07-08	320/08
167	Sh.Goutam Bhella M.D. (2) Sh. Anil Bhella Chairmen C/o Vatika Pvt.Traingle Sushant Lok-1, M.G.Road, Gurgaon	Tharsa Bundh RD. 15 to Tail L/R	50/21 dt. 04/08/07	Preparation of Path & Encroachment 7080 m2	7080	78-S-07-08	329/08
168	Sh.Pherlad S/o Bhim Singh Mali Vill.Sohna Ward No.1 Thana Sohna Distt.Gurgaon	G.A.Road KM 23-24 L/s	19765/198 dt. 20/11/07	Preparation of Path & Encroachment 368 m2	368	2-S-08-09	622/08
169	Sh.Rajesh Kumar, Manoj Kumar Ashok Kumar S/o Baljeet Singh W.Z.82 Basai Dharapur Delhi	Gham Doj Bundh Safar No.II	19768/198 dt. 08/01/08	Preparation of Path & Encroachment 952 m2	952	5-S-08-09	619/08
170	Sh.Rajbir S/o Bhajan Lal Vill. Silani p.o.Silani Sohna, Distt. Gurgaon	P.S.R Road Km. 21-22 L/s	16563/166 dt. 28-07-07	Preparation of Path & Encroachment 195 m2	195	20-S-08-09	628/08
171	Sh.G.D.Goenka World School Sohna C/o Ujni Kumar Goenka N-85 Kanought Place New Dehi.	G.A.Road KM 22-23 R/s	19780/198 dt. 23.02.08	Preparation of Path & Encroachment 851 m2	851	50-S-08-09	623/08
172	Sh.Govind S/o Om Parkash Cast Bania Shiv Colony Ward No5 Sohna	G.A.Road KM 24-25 L/s	19786/198 dt. 03/09/08	Preparation of Path & Encroachment 120 m2	120	76-S-08-09	143/09
173	Dr.Prem Kumar S/o Sh. Ramchander Shiv Colony Ward No.5, Sohna	G.A.Road KM 24-25 L/s	19787/198 dt. 03/09/08	Preparation of Path & Encroachment 192 m2	192	77-S-08-09	
174	Sh.Surender urf Jitan S/o Dayaram Village Ishaki PO Dhola Distt.Gurgaon	Harchand Pur Disty Butay RD 60 R/s	16235/163 dt. 18/07/08	Preparation of Path & Encroachment 210 m2	210	86-S-08-09	137/09

1	2	3	4	5	6	7	8
175	Sh. Hans Raj Arora M/s Little People Education Society (Regd) 446 Udyog Vihar Phase V Gurgaon 122016	Harchand Pur Disty Butary RD 42.700	16232/163 dt. 20/06/08	Preparation of Path & Encroachment 360 m2	360	89-S-08-09	162/09
176	Sh.Satish S/o Sarup Chand Brihaman VPO Badshapur Distt. Gurgaon	G.A.Road KM 10-11 R/s	27729/278 dt. 02/07/08	Preparation of Path & Encroachment 480 m2	480	1-S-09-10	
177	Sh.Ashok Kumar M.C.D. C/o S.S. Group May Filed Garden B-Block Sector-50, Gurgaon	Jharsa Bundh 15-29 R/s	18202/183 dt. 28/01/09	Preparation of Path & Encroachment 1416 m2	1416	41-S-09-10	
178	Sh.Parshant Rai Planning Manager Space Compnay Near Malum House Sector 48, Gurgaon	Jharsa Bundh Road 15-29 R/s	58/21 Dated 20/01/09	Preparation of Path & Encroachment 60 m2	60	43-S-09-10	
179	Sh.G.L.Bajaj Project Manager and Bhupunder Gupta Jandal Manager Nimer Pvt.Ltd.402 Plaza Sikanderpur, Gurgaon	Jharsa Bundh Road 15-29 R/s	60/21 Dated 25/01/09	Preparation of Path & Encroachment 1080 m2	1080	44-S-09-10	
180	Sh.Anil Sharma C/o V. K. Stone Raisina Zone.Distt.Gurgaon	Raisina Bundh	16361/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 2400 m2	2400	26-S-09-10	
181	Sh.Ram Niwas Rathi C/o Shiv Grit udyog Raisina Zone Thana Bhondsi Distt.Gurgaon	Raisina Bundh	16362/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 2250 m2	2250	27-S-09-10	
182	Sh. Haripal S/o Ram C/o Ram Grit Udyog Raisina Zone Creser Vill. Raisina Post. Sohna Gurgaon	Raisina Bundh	16363/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 2400 m2	2400	28-S-09-10	

1	2	3	4	5	6	7	8
183	Sh. V.Kumar S/o Dharam C/o New V.K.Stone Raisina Zone Cresher Vilage Riasina P.o. Sohna, Gurgaon	Raisina Bundh	16364/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 2100 m2	2100	29-S-09-10	
184	Sh.Raju C/o Nilgiri grit udyog Raisina Zone Cresher Vill. Raisina Po. Sohna Gurgaon	Raisina Bundh	16365/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 4200 m2	4200	30-S-09-10	
185	Sh. Raw Tuleram C/o New Devi Grit Udyog Raisina Jone Cresher Tehsil Sohna, Gurgaon.	Raisina Bundh	16366/164 dt. 23/03/09	Preparation of Path & Encroachment 2700 m2	2700	31-S-09-10	
186	Sh. Vijender Chauhan S/o Dhanduram Village Pataudi Distt.Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 20-21 L/Side	2106/211 dt. 15/03/07	Preparation of Path & Encroachment 80 m2	80	05-H-07-08	651/07
187	Sh.Naresh Chandna 8/46 Panjabi Bagh New Delhi 110026.	NHW No. 8 Km 62 R/Side	28821/289 dt. 06/02/07	Preparation of Path & Encroachment 235 m2	235	12-H-07-08	646/07
188	Sh. Rakesh Yadav S/o Deena Ram Yadav v/s P.O.Sidhrawali	NHW No. 8 Km 63-64 L/Side	28823/289 10/2/07	Preparation of Path & Encroachment 84 m2	84	21-H-07-08	186/08
189	Sh.Sharma Bansal Seey c/o Jindal Stainless Steel Ltd. Village Pathredi P.O. Bilash pur	Tauru Pataudi Road Km 10-11 L/Side	28824/289 dt. 15/2/07	Preparation of Path & Encroachment 71 m2	71	22-H-07-08	185/08
190	Sh. Avinash Gupta Plant Head Sanjeet Singh Manager Jindal Panth Hach Ltd. Tauru Pataudi Road, Kilometer 10-11 Left/Side New Pathrari Gurgaon	Tauru Pataudi Road Km 10-11 L/Side	28826/289 Dated 21/04/07	Preparation of Path & Encroachment 71 m2	71	17-H-07-08	188/08
191	Sh. DhauRaj Kedia Cout Play Ply Wood Patali Nagar Jharsa Road, Gurgaon 2. Deen Mohmand J.E. PWD. B&R Sub Division Pataudi	Haily Mandi Kulana Road	56/42 Dated 21/04/07	Preparation of Path & Encroachment 60 m2	60	3-H-08-09	582/08

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Sh.Ravi S/o Dharam Singh Ahir V.P.O. Jonlawas Distt.Gurgaon	Gurgaon Pataudi Road KM 20-21 R/Side	20720/208 Dated 03/06/07	Preparation of Path & Encroachment 180 m2	180	05-H-08-09	579/08
193	Sh. Anand Parkash Sahdeva S/o Om Parkash Shiv Puri,Gurgaon	Jamalpur Taj Nagar Road	20721/208 Dated 08-06/07	Preparation of Path & Encroachment 84 m2	84	06-H-08-09	575/08
194	Dr. Anurag Sharma S/o Om Parkash VPO Silkhora Tehsil & Distt.Gurgaon	Pauchgaon Jamalpur Road Km 7-8 R/s	20724/208 Dated 27/06/07	Preparation of Path & Encroachment 150 m2	150	08-H-08-09	580/08
195	Dr. Anurag Sharma S/o Om Parkash V.P.O. Silokhra Tehsil & Distt. Gurgaon	Pauchgaon Jamalpur Road Km 7-8 R/s	20725/208 Dated 2706/07	Preparation of Path & Encroachment 144 m2	144	9-H-08/09	578/08
196	DhauRaj Kedia Cout Play Ply Wood Patail Nagar Jarsa Road, Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 24-25 L&R	21029/211 Dated 26/07/07	Preparation of Path & Encroachment 8400 m2	8400	10-H-08/09	581/08
197	Sh. Kawal Singh S/o Mathur Singh, Dharaj S/o Solusingh Ashok S/o Kawal Singh Rajput V.P.O Nerhara Teh. Pataudi Distt.Gurgaon	Nerhera App Road .Km. 0-2 L&R	21031/211 Dated 13/10/07	Preparation of Path & Encroachment 141 m2	141	12-H-08/09	584/08
198	Rajpal S/o Kalu Singh Rajput V.P.O. Nerhera	Nehara App. Road KM 0-2 L&R	21032/211 dt. 13/10/07	Preparation of Path & Encroachment 11 m2	11	13-H-08/09	585/08
199	Sh.S.K.Bansal H.P.C.L S/o Sh P.L. Bansal Village. Binola NHN-8 KM 58-59 L/Side	NHW NH-8 KM 58-59 L/Side	21711/218 Dated 23/07/07	Preparation of Path & Encroachment 102 m2	102	16-H-08/09	682/08
200	Sh.Shubhash S/o Ramkumar Ahir Village Khawaspur P.O. Jamalpur F/Nagar, Gurgaon	Gurgaon Pataudi Road Km 21-22 L/Side	20729/208 Dated 05/10/07	Preparation of Path & Encroachment 36 m2	36	17-H-08/09	844/08

1	2	3	4	5	6	7	8
201	Sh.R.K.Aggarwal DRS Logistics (P) Ltd. Shivaji Marg Najabgarh New Delhi	Panchgaon Jamalpur Road KM 7-8 R/Side	20731/208 Dated	Preparation of Path & Encroachment 168 m2	168	19-H-08/09	845/08
202	Sh.Manish S/o Rohtash Building Material Supplier Village Khwaspur P.O. Jamalpur F/Nagar, Gurgaon	Gurgaon Pataudi Road KM 19-20 L/Side	20732/208 Dated 19/10/07	Preparation of Path & Encroachment 72 m2	72	25-H-08/09	967/08
203	Sh.Naresh Kumar S/o Perhlad Singh Mahir Gaon P.O. Khedki Dola Distt.Gurgaon	Panchgaon Jamalpur Road KM 7-8 L/Side	20734/208 Dated 20/10/07	Preparation of Path & Encroachment 300 m2	300	27-H-08/09	964/08
204	Rajiv S/o Ratanlal Jat village Pathredi Distt.Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 11-12 R/Side	28848/289 Dated 13/01/08	Preparation of Path & Encroachment 300 m2	300	36-H/08-09	12//09
205	Sh.Mahender S/o Malkhan Jat Village Bilashpur Kalan Tehsil Pataudi Distt.Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 12-13 R/Side	28849/289 Dated 13/01/08	Preparation of Path & Encroachment 300 m2	300	37-H/08-09	11//09
206	Sh.Laxman S/o Rammeher Jat Bitaspur Khurd Distt. Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 13-14 L/Side	28850/289 Dated 13/01/08	Preparation of Path & Encroachment 240 m2	240	38-H/08-09	10//09
207	Sh. Rakesh S/o Deenaram Yadav Sidhravali Distt. Gurgaon	NHW-8 KM 63-64 L/Side	28851/289 dt.	Preparation of Path & Encroachment 120 m2	120	39-H/08-09	09//09
208	Sh.Laxmi Narayan S/o Amar Singh Ahir Sidhravali Distt.Gurgaon	NHW-8 KM 65-66 L/Side	28852/289 dt. 14/01/08	Preparation of Path & Encroachment 600 m2	600	40-H/08-09	15/09
209	Sh.Rajesh Rana Deputy Manager Pathradi Gurgaon	Tauru Pataudi Road Km 10-11 L/Side	28853/289 Dated 22/02/08	Preparation of Path & Encroachment 99 m2	99	41-H/08-09	14/09

1	2 2	3 3	4 4	5 5 6	6	7 7	8 8
210	Sh.Ram Niwas S/o Munsi Ram Ahir Shankarvali Dhandi Distt.Gurgaon	NHW-8 KM 59 R/Side	21795/218 Dated	Preparation of Path & Encroachment 900 m2	900	43-H/08-09	17/09
211	Sh.Hari Parkash S/o Dharampal S/o Angna Ram Ahir Village Haluhera P.O. Musepur Tehsil Rewari Distt.Rewari	NHW-8 KM 56 R/Side	21796/218 Dated 10/01/08	Preparation of Path & Encroachment 720 m2	720	44-H/08-09	05//09
212	Sh.G.L.S.Film Industries LTD. Near Bharam Kumari Ashram Bharaklan Bilaspur	Tauru Pataudi Road KM 14-15	21797/218 Dated 11/01/08	Preparation of Path & Encroachment 99 m2	99	45-H/08-09	06//09
213	Sh.Samir Bansal Khasra No.246 Near Bilaspur Chowk Pataudi Road Bhorakalan Distt.Gurgaon	Tauru Pataudi Road KM 14 L/Side	21798//218 Dated 11/01/08	Preparation of Path & Encroachment 99 m2	99	46-H/08-09	07//09
214	Sh.Vikram S/o Raghunath Ahir Village Kakrola Distt. Gurgaon	Panchgaon Jamalpur Road KM 7-8 L/Side	20770/208 dt. 22/02/08	Preparation of Path & Encroachment 1968 m2	1968	48-H/08-09	132/09
215	Sh.Rakesh Narang (Add.G.M) C/o Anmal Bhawan, 16 Kasturba Marg New Delhi	Tauru Pataudi Road KM 11-12 L/Side	28859/289 Dated 10/09/08	Preparation of Path & Encroachment 236 m2	236	52-H/08-09	134/09
216	Sh.Tek Chand S/o Jaimal Ahir Village Sanpka Distt. Gurgaon	Gurgaon Pataudi Road KM 22-23 R/s	20772/208 Dated 19/03/08	Preparation of Path & Encroachment 84 m2	84	55-H/08-09	186/09
217	Sh.R.K. Aggarwal S/o Sh. Moher Chand DRS Logistic P (Ltd) Sivaji Marg Village Najab Garh New Delhi	Panchgaon Jamalpur Road KM 7-8 R/Side	20773/208 Dated 19/03/08	Preparation of Path & Encroachment 160 m2	160	56-H/08-09	187/09
218	Sh.RamPhal S/o Jailal (Ahir) Village Jamalpur Distt. Gurgaon	Panchgaon Jamalpur Road KM 9-10 L/Side	20778/208 Dated 01/05/08	Preparation of Path & Encroachment 1280 m2	1280	61-H/08-09	259/09

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8
219	Sh.Rohtash Jangu S/o Bhirsingh (Jat) village Doltabad Distt. Gurgaon	Tajnagar Jamalpur Road KM 0-1 R/Side	20776/208 Dated 30/04/08	Preparation of Path & Encroachment 105 m2	105	62-H/08-09	258/09
220	Sh.Satbir Yadav S/o Aplatun Village Bhangrola Distt. Gurgaon	Tajnagar Jamalpur Road KM 0-1 R/Side	20777/208 Dated 01/05/08	Preparation of Path & Encroachment 348 m2	348	63-H/08-09	257/09
221	Sh. Mange S/o Bhawani (Ahir) Village Jamalpur Distt. Gurgaon	Tajnagar Jamalpur Road KM 0-1 R/Side	20775/208 Dated 30/04/08	Preparation of Path & Encroachment 180 m2	180	65-H/08-09	
222	Sh. Devender S/o Subhash Chand House No. 510 New Colony Gurgaon	NH-8 KM 55 L/Side Jamnagar Filling Station	6053/61 Dated 02/08/10	Preparation of Path & Encroachment 224 m2	224	6-H/11-12	
223	Sh.Mohit Raj Sharma S/o Sh. Tasrshem Sharma H.No.619-B, Sector 15, Part 1 Tehsil Distt. Gurgaon (Hr.)	Tauru Pataudi Road KM 17-18 L/Side	6055/61 Dated 14/09/10	Preparation of Path & Encroachment 112 m2	112	7-H/11-12	
	Total				231165.1		

Purchase of Potato and Onion by Government Agency

***936. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase Potatos and Onions through any Government Agency on the pattern of purchasing of Wheat, Paddy, Millet and Mustard by the Government Agency ; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Distribution of Electricity by Private Parties

***899. Sh. Ram Pal Majra :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the distribution system of electricity to private parties (franchise) in the area of Gurgaon and Panipat ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, हानियों को कम करने तथा उपभोक्ताओं के लिए सर्विस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम जैसेकि राजस्व वसूली अभियान, बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान तथा प्रणाली को सुदृढ़ करना और पुनर्वास कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

इस संदर्भ में पानीपत तथा गुड़गांव सर्कलों के लिए वितरण फ्रैंचाईजी को लागू करना भी सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जोकि सरकार के विचाराधीन है। अब तक कोई भी अन्तिम फैसला नहीं लिया गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Survey of Unauthorized Colonies

149. Shri Sampat Singh : Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state—

(a) whether any survey of unauthorized colonies in the urban areas of the State has been conducted ; if yes, the total number and names of unauthorized colonies in Haryana;

(b) the number and names of such colonies that fulfil the norms for regularization; and

(c) the time by which those unauthorized colonies which fulfil the norms are likely to be regularized?

शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् जी। नगरपालिका सीमा में पड़ने वाली अनाधिकृत कालोनियां जो कि दिनांक 30.6.2009 को 50 प्रतिशत या उससे अधिक निर्मित प्लाटों का मापदण्ड पूर्ण करती हैं, का सर्वेक्षण शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रारम्भ करवाया गया है। लगभग 1300 ऐसी कालोनियों की पहचान की गई है एवं ऐसी कालोनियों के विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) मण्डलायुक्तों एवं उपायुक्तों को ऐसी अनाधिकृत कालोनियां जोकि नीति अनुसार मापदण्डों को पूर्ण करती हैं, के नियमितीकरण के मामले भेजने बारे कहा गया है। ऐसी कालोनियों के वास्तविक विस्तार और विवरण की जानकारी विवरण के अन्तिम रूप उपरांत ज्ञात हो सकेगी।

(ग) मण्डलायुक्तों एवं उपायुक्तों से सिफारिश प्राप्त होने उपरांत अनाधिकृत, कालोनियों जोकि नीति अनुसार मापदण्ड पूर्ण करती हैं, को नियमितीकरण हेतु विचारा जायेगा।

Additional Posts for Pt. Bhagwat Dayal Medical College

150. Shri Sampat Singh : Will the Health Minister be pleased to state :

(a) the number of posts of medical faculty and paramedical staff increased in the Pt. Bhagwat Dayal Medical College after its up-gradation as University together-with the names of such posts.

(b) whether there is any vacancy in the medical faculty or the paramedical staff in the aforesaid University ; if yes, the number of posts which are vacant ; and

(c) the time by which these posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान जी, निम्नलिखित सूचना सदन के सम्मुख प्रस्तुत है

(क) विवरणी सदन पटल पर रखी जाती है।

(ख) चिकित्सा संकाय के 82 पद और पैरा-मैडीकल स्टाफ के 122 पद रिक्त हैं।

(ग) रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

विवरणी

Number of posts created after upgradation of Pt. Bhagwat Dayal Medical College as University of Health Sciences, Rohtak

S. No.	Name of post	No. of posts
	No. of posts of Medical Faculty :	
1.	Assistant Professor in Burns and Plastic Surgery	02
	No. of posts of paramedical staff (Category wise)	
1.	Laboratry Technician	20
2.	Laboratory Technologist	6
3.	Jr. Theatre Master/Operation Theatre Master	10
4.	Operation Theatre Assistant	5
5.	Museum Keeper	2
6.	Perfusionist	2
7.	TMT Technician	2
8.	Echo Technician	1
9.	EMG Technician	2
10.	Plaster Technician	4
11.	Pharmacist	3
12.	ECG Technician	4
13.	EEG Technician	1
14.	ICU Technician	8
15.	Sr. Technician	12
16.	Sr. Radiographer	2
17.	Theatre Master	1
18.	Dialysis Technician	4
19.	Lithotripist	1
20.	Technical Assistant (Radiology)	3
21.	PFT Technician	1
22.	Dental Mechanic	4
23.	Dental Hygienist	3
24.	Medical Record Clerk	2

[राव नरेन्द्र सिंह]

S. No.	Name of post	No. of posts
25.	Histopathology Technician	2
26.	Assistant Dental mechanic	1
27.	Media Maker	1
28.	Nuclear Medicine Technologist	2
29.	Cytotechnologist	1
30.	Jr. Physiotherapist	1
31.	Jr. Physio & Occupational Therapist	1
32.	Physiotherapist	1

Monthly Allowance to SC/BC(A) BPL Students

151. Shri Sampat Singh : Will the Education Minister be pleased to state —

(a) the total number of students i.e. S.C., BC(A) & BPL category from class 1 to 12 who are getting student relief fund/monthly allowance in Haryana as on today alongwith the details of the amount of monthly allowances being given to each classes ;

(b) whether the aforesaid student relief fund is being given regularly i.e. monthly/quarterly etc. ; and

(c) whether some of students of the aforesaid categories have been still left without any student relief fund in the current financial year ; if yes, the number of students and the total amount thereof ; together with the detailed information alongwith the date and amount distributed in the schools or to their individual accounts during this financial year ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, वक्तव्य सदन पटल पर रखा जाता है।

(क) कक्षा पहली से बारहवीं कक्षाओं में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग–ए एवं बी.पी. एल. वर्ग के कुल छात्रों की संख्या 1972151 है, जो मासिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को एक मुश्त भत्ता भी दिया जाता है। हरियाणा राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले किसी भी छात्र/छात्रा को सहायता निधि प्रदान नहीं की जाती है। श्रेणीवार/कक्षावार छात्रों की संख्या तथा भत्ता दर निम्न प्रकार है :

कक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक मुश्त भत्ता	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक भत्ता		छात्र संख्या	पिछड़े वर्ग,ए/ बी.पी.एल. के छात्रों के लिए मासिक भत्ता		छात्र संख्या		कुल संख्या
		छात्र	छात्रा	अनुसूचित जाति	छात्र	छात्रा	पिछड़े वर्ग–ए	बी.पी. एल.	
पहली	740/-	100/-	150/-	95233	75/-	150/-	61484	20854	177517
दूसरी	750/-	100/-	150/-	109706	75/-	150/-	65996	21192	196894
तीसरी	960/-	100/-	150/-	119127	75/-	150/-	66223	22753	208103
चौथी	970/-	100/-	150/-	121434	75/-	150/-	65039	23240	209713
पांचवी	980/-	100/-	150/-	113749	75/-	150/-	63352	22347	199448
छठी	1250/-	150/-	200/-	104856	100/-	200/-	66614	21534	193004
सातवीं	1250/-	150/-	200/-	90326	100/-	200/-	60504	17772	168602
आठवीं	1250/-	150/-	200/-	90887	100/-	200/-	59110	17521	167518
नवमी	1450/-	200/-	300/-	78516	150/-	300/-	53229	15298	147043
दसवीं	1450/-	200/-	300/-	68912	150/-	300/-	49270	14211	132393
ग्यारहवीं	1450/-	200/-	300/-	43140	150/-	300/-	37644	10992	91776
बारहवीं	1450/-	200/-	300/-	36251	150/-	300/-	33884	9951	80086
ग्यारहवीं एवं बारहवीं (विज्ञान ग्रुप)	—	300/-	400/-	—	200/-	400/-	—	—	—
कुल				1072137			682349	217665	1972151

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Lake

152. Shri Sampat Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state —

(a) whether any lake had been constructed in Haryana Agriculture University in early 1970's to attract tourists ; if yes, the amount spent thereon ; and

(b) whether this lake is still existing ; if yes, the condition of the aforesaid lake ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। तथापि 1970 के दशक के आरम्भ में बालसमन्द डिस्ट्रिब्यूटरी की दाहिनी दिशा के साथ-साथ नहरी पानी को इकट्ठा करने हेतु एक जलाशय चैनल का निर्माण किया गया था जो बालसमन्द डिस्ट्रिब्यूटरी के समानान्तर है और जिसका एक किनारा सांझा है। जलाशय चैनल का निर्माण नहरी पानी को इकट्ठा करने हेतु किया गया था और नहर-प्राधिकारी द्वारा इस जलाशय चैनल के लिए अलग से पक्का निकास/मोगा प्रदान किया जाना था। तथापिक नहर-प्राधिकारी द्वारा इस जलाशय चैनल में नहरी पानी भरने के लिए कोई पक्का निकास/मोगा प्रदान नहीं किया गया। इस जलाशय चैनल निर्माण की अनुमानित लागत 3.45 लाख रुपये थी।

(ख) यह जलाशय चैनल अभी भी अस्तित्व में है, परन्तु नहरी पानी उपलब्ध न होने के कारण इसमें नहरी पानी इकट्ठा नहीं किया जाता। यह जलाशय चैनल जोकि लगभग 40 वर्ष पुराना है, अच्छी दशा में नहीं है।

सदस्यों का नाम लेना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention motion No. 8 from Shri Sampat Singh on the pitiable conditions of the School Education in Government Schools in Haryana. Shri Ashok Kumar Arora, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Anil Vij and Shri Rameshwar Dayal will also get a chance to speak and ask supplementary. (Noise and Interruption)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमें जाट आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा हिसार में की गई फायरिंग और लाठीचार्ज के बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, आप बैठिए। मैंने अभी कालिंग अटैंशन मोशन को टेक-अप कर लिया है। इसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में हमें इस मुद्दे पर अपनी बात कहने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, अभी आप बैठिए। मैंने अभी कालिंग अटैंशन मोशन को टेक-अप कर लिया है। इसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस सारे मुद्दे को लेकर और भावनायें भड़काकर राजनीति करने का प्रयास करने लग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि जो लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं वे सभी लोग यहां पर आये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके गये हैं। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन हरियाणा में बना है।

सरकार को बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के बगैर आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सर, विपक्ष के सभी साथी इस मामले को लेकर भावनायें भड़काने में शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो पहले भावनायें भड़काते हैं और उसके बाद मगरमच्छी आंसू भी बहाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और अकाली दल का एकमात्र सदस्य हाऊस की वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी–अपनी सीट्स पर वापस जाईये। (शोर एवं व्यवधान) Please go back to your seats. (Noise & Interruption) किसी भी माननीय सदस्य को हाऊस की वैल में आने की इजाजत नहीं है। हाऊस की वैल में कोई भी सदस्य नहीं आयेगा। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, I have to warn you. Please go back to your seats.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो ये लाठी–गोली की सरकार की बात कर रहे हैं ये यह अपने बारे में ही बता रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार ही लाठी–गोली की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान) महम के अन्दर जिन्होंने निहत्थे लोगों को लाठियों से पीटा था और गोलियों से भूना था आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उनको दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) ये वही लोग हैं जिन्होंने कण्डेला के अंदर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई थी। इनका रोम–रोम गरीबों और किसानों के खून से सना हुआ है। ये वही लोग हैं जो लोगों की भावनायें भड़काते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये वही लोग हैं जिन्होंने महम में हत्यायें करवाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने कण्डेला में भी हत्यायें करवाई। ये ऊपर से नीचे तक इस प्रकार के कांडों में संलिप्त हैं। इन्होंने ही दुलीना के अंदर गरीबों को मरवाया। इन्होंने ही हरसौला से गरीबों को उजड़वाया (शोर एवं व्यवधान) ये वे लोग हैं जिन पर यह कहावत सिद्ध होती है कि छाज तो बोले ही बोले छलनी भी बोले जिसमें एक हजार छेद हों। सर, इनको शर्म आनी चाहिए। ये वे लोग हैं जिनके मुख्यमंत्री और उनके बेटे जेलों के अंदर अपराधी लोगों से मिलने जाया करते थे। (शोर एवं व्यवधान) कृष्ण पहलवान के ये साथी हैं। ये डिम्पी के भी साथी हैं। महम कांड में भी ये ही हत्यारे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्य कृपया करके अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। Please go back to your seats. (Noise & Interruption) I am requesting you last time. (Noise & Interruption) I am warning you, Members. Please go back to your seats.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, कृपा करके अपनी–अपनी सीटों पर जायें। Hon'ble Members, please go back to your seats and this is the last warning I am issuing to you. (Noise & Interruption). Please go back to your seats. (Noise & Interruption) आप कृपया करके अपनी–अपनी सीटों पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान) I am warning you. (Noise & Interrution) I will physically remove you from the House. (Noise & Interruption) I am warning you. (Noise & Interruption)

[श्री अध्यक्ष]
you are interruption. (Noise & Interrutpion) I am requesting you last time. (noises and interrupiton)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर जाईये। (noises and interruption) Hon'ble Members go back to your seats. This is the last warning. I am issuing to you.

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : This is the last warning. Go back to your seats. I warn you. (noises and interruption) Go back to your seats.

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Go back to your seats. (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Alright, I am warning you. I will physically remove you from the House. (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : I am warning you. You are interrupting the proceedings of the House. (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप इस बारे में चर्चा करवाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैसे करवाऊँ? क्या यह कोई चर्चा का तरीका है? Is this the way

to speak? जब तक आप सीटों पर नहीं जायेंगे तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। (Noises & Interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा करवाओ क्योंकि यह बड़ा बर्निंग इश्यू है। (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : This is the last warning I am issuing to you. Go back to your seats, please, आप बड़े आनरेबल मैम्बर्स हैं Please go back to your seats. (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : I am naming Shri Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini and Shri Krishan Lal Kamboj. You all may please leave the House. Let the House continue. (Noises and Interruption)

(At this stage, Shri Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini and Shri Krishan Lal Kamboj did not withdrew from the House and continued raising slogans.)

Mr. Speaker : I have named Shri Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini and Shri Krishan Lal Kamboj. You all may please leave the House. Let the House continue. (Noises and Interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : I am also naming Shri Jagdish Nayyar and Shri Mohd. Ilyas. (Noises & interruption) I have also named you Shri Krishan Lal Kamboj. Plese leave the House. (Noises and Interruption) Shri Ram Pal Majra, leave the House, you have been named.

[श्री अध्यक्ष]

(At this stage, Shri Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini, Shri Jagdish Nayyar, Shri Krishan Lal Kamboj and Shri Mohd. Ilyas did not withdrew from the House and continued raising slogans.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों को आपने नेम किया है उनको तो बाहर जाने के लिए कहिए।

(At this stage, Shri Ram Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini, Shri Jagdish Nayyar, Shri Krishan Lal Kamboj and Shri Mohd. Ilyas did not withdrew from the House and continued raising slogans.)

Mr. Speaker : Marshal take them out of the House.

(At this stage, Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took Shri Ram Pal Majra, Shri Anil Vij, Shri Subhash Chaudhary, Shri Abhey Singh Chautala, Shri Bishan Lal Saini, Shri Jagdish Nayyar, Shri Krishan Lal Kamboj and Shri Mohd. Ilyas out of the House.) (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल व भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य भी वैल में आकर नारेबाजी करने लगे)।

Mr. Speaker : Hon'ble Members please go back to your seats. You are wasting the time of the House. (Noise and Interruption) Hon'ble members please go back to your seats. (Noise and Interruption).

(At this stage, Members of Indian National Lok Dal present in the House and a Member of the Shiromani Akali Dal (except Shri Om Prakash Chautala, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Ajay Singh Chautala and Shri Sher Singh Barshami, MLAs) did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : I am requesting you last time otherwise, I will have to name you. (Noise and interruption).

(At this stage, Members of Indian National Lok Dal present in the House and a Member of the Shiromani Akali Dal (except Shri Om Prakash Chautala, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Ajay Singh Chautala and Shri Sher Singh Barshami, MLAs) did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर जाइये। (noises and interruption). Hon'ble Members go back to your seats. This is the last warning. Go back to your seats. I warn you. (Noise and interruption) Go back to your seats otherwise, I will have to name you.

(At this stage, Members of Indian National Lok Dal present in the House and a Member of the Shiromani Akali Dal (except Shri Om Prakash Chautala, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Ajay Singh Chautala and Shri Sher Singh Barshami, MLAs) did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously shouting slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : I am naming Shri Ashok Kashyap, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Mamu Ram, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Smt. Saroj and Shri Charanjit Singh. I have named you. You all may please leave the House. Let the House continue. (Noise and Interruption)

(At this stage, Shri Ashok Kashyap, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Mamu Ram, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Smt. Saroj and Shri Charanjit Singh did not withdrew from the House and continued raising slogans.)

Mr. Speaker : I have named you. You may please leave the House. (Noise and interruption).

(At this stage, Shri Ashok Kashyap, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Mamu Ram, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Smt. Saroj and Shri Charanjit Singh did not withdrew from the House and continued raising slogans.)

Mr. Speaker : Marshal take them out of the House.

(At this stage, Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took Shri Ashok Kashyap, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Mamu Ram, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Smt. Saroj and Shri Charanjit Singh out of the House.)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का आचरण हमारे विपक्ष के सदस्यों का यहां पर रहा, जिस प्रकार से चेयर के नजदीक आकर चेयर पर इल्जाम लगाये जाते हैं यह बिल्कुल अशोभनीय है। Sir this kind of conduct by any Member in the House is condemnable. (शोर एवं व्यवधान) सर, ये सरासर असत्य बात इस सदन में कह रहे हैं। यह इनका पहला प्रयास नहीं है। इन्होंने पहले भी इस प्रकार की बातें की हैं। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, on behalf of the Government I am making a statement. मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम हरियाणा में एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी केस में जो जजमैंट है उसके मुताबिक हर प्रांत को एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए। We have also constituted a Backward Class Commission in Haryana. It is a statutory constitutional Commission. It is examining claims of all communities. It is examining claims of as many as 17 different castes and communities who have gone forwarded and presented their claims. उनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के पास आये थे और उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप कृपया करके पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जायें। वही इस बारे में निर्णय करेगा। सरकार उस आयोग को रिक्वैस्ट करेगी कि वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे। जैसे ही उस कमीशन की रिपोर्ट आयेगी और वह जिन-जिन बिरादरियों (17 बिरादरियों) को आरक्षण देने की सिफारिश करेगा। सरकार उन पर सकारात्मक विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, न इससे फालतू और न इससे कम कोई समझौता हुआ था। इस समझौते को मानकर जो जिम्मेवार लोग थे, वे वहां मौके पर गये और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हमने उन्हें यह कहा है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट आयेगी उसके मुताबिक ही कोई निर्णय होगा। रिपोर्ट आने से पहले कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उसके बावजूद भी कुछ लोग जिनमें कुछ पार्टियों के पदाधिकारी भी हैं, वे वहां धरने पर बैठे रहे। हमने उन लोगों को यह कहा कि आप संयम से काम लीजिये, धैर्य से काम लीजिये, भाईचारे से काम लीजिये और सद्भाव से काम लीजिये। सरकार ने इस बारे में बहुत सहनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में बहुत संयम दिखाया है। अगर कोई साथी गलत भी हैं और वे गलत तरीके से ट्रैक पर बैठ भी गये हैं तो भी सरकार ने धैर्य से काम लिया है। सरकार ने संयम से काम लिया है और हमने उनको कहा कि आप इंतजार कीजिये। ट्रैक के ऊपर जो लोगों को बिठाते हैं वे तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। लोगों को बरगलाने वाले, लोगों को ट्रैक पर बिठाने वाले, लोगों की फैक्ट्रियों और गाड़ियों पर हमला करवाने वाले, लोगों की फैक्ट्रियों के आगे गड्ढे खुदवाने वाले तो ये लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। सरकार ने फिर भी संयम से और धैर्य से काम लिया है उसके बावजूद भी मैं सरकार की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि we again appeal for peace. हम चाहते हैं कि सभी लोग संयम और धैर्य से काम लें। फिर भी अगर कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो सरकार कार्यवाही करेगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पुलिस से मैंने जानकारी ली है, पुलिस ने वहां पर कोई फायरिंग नहीं की। एक व्यक्ति जो मारा गया उसका पोस्टमार्टम शेष है। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग पहले लोगों को ट्रैक पर बिठवाते हैं और फिर लोगों को मरवाते हैं कंडेला के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया था। दुलीना के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया था और भहम के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया था। यह तो इनका रिकॉर्ड है न कि कांग्रेस का। ये लोग सत्ता में होते तो अब तक वहां पर बहुत हिंसा हो जाती।

मुख्यमंत्री जी को इस बात का श्रेय है कि इन्होंने संयम और धैर्य से काम लिया (शोर एवं व्यवधान)। ये वे लोग हैं जिन्होंने जिले के अंदर 9–9 निहत्थे किसानों को गोलियों से भुनवा दिया था और किसानों की पगड़ियों को घोड़ों की टापों के नीचे रौंदवा दिया था (शोर एवं व्यवधान)। ये वे लोग हैं जिन्होंने महम के अंदर किसानों को मारा था (शोर व व्यवधान)। ये वे लोग हैं जिन्होंने दुलीना के अंदर पांच–पांच हरिजनों की हत्या करवाई थी (शोर व व्यवधान)। ये लोग दलित और किसान के हित की आज क्या बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐडजर्नमैंट मोशन जाट आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग तथा लाठीचार्ज करने के बारे में था। उसका क्या फेट है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आज साढ़े सात बजे आपका ऐडजर्नमैंट मोशन आया है and I have asked for its examination.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, पहले आप इस पर चर्चा करवाइए।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, पहले इसको ऐग्जामिन करेंगे और सारे फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I was making a statement on behalf of the Government on the floor of the House तभी हमारे विपक्ष के साथियों ने यहां व्यवधान डालना शुरू कर दिया। (विघ्न) हमारे विपक्ष के साथियों ने जो व्यवहार यहां पर किया है वह ठीक नहीं है। हरियाणा की जनता के लिए यहां घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा के व्यक्ति का काम उसकी सुरक्षा, उसका धैर्य और संयम से काम लेने से काम चलेगा। जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण हमारे साथियों और विपक्ष के सदस्यों का रहा है। (शोर एवं व्यवधान) जिस प्रकार से चेयर पर आप ऐस्पर्शंस करने लग रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हिसार में जो घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से मारा गया है, महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। हमने इस मामले पर बहुत ही धैर्य और संयम से काम लिया है। एक–एक व्यक्ति से हमने वार्ता की, इनकी इंस्टीगेशन के बावजूद भी बातचीत की। इनके द्वारा पदाधिकारी भेज कर उनको भड़काने के बावजूद भी हमने उनसे बातचीत की। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला अध्यक्ष की कुर्सी के समीप आ कर खड़े हो गए)।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी के जिन सदस्यों को नेम किया है, उनको आप वापस बुलायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले पर बहुत ही धैर्य और संयम से काम लिया है। हमने इनके पदाधिकारियों से भी बात की है। (शोर एवं व्यवधान) किसी भी व्यक्ति को यह अख्तियार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले। (शोर एवं व्यवधान) किसी को यह अख्तियार नहीं कि वह रेल ट्रैक को रोक ले। (शोर एवं व्यवधान) किसी का भी यह काम नहीं होना चाहिए कि वह सड़कें रोके और किसी तरह की वॉइलैंस नहीं होने देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप का वैल में आने का क्या मकसद है? आप अपनी सीट से भी मुझे अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब लीडर ऑफ दि अपोजीशन ही सदन की वैल में आ जाएंगे तो आप सदन की कार्यवाही कैसे चलाएंगे? (शोर एवं व्यवधान) आप इंतजार करें और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आ लेने दें। जब पिछड़ा वर्ग आयोग 17 कम्यूनिटीज के बारे में रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के मुताबिक निर्णय हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) संविधान की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ये वैल में कैसे आ सकते हैं, हमें इस पर आपकी रूलिंग चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता। किसी को यह अख्तियार नहीं है कि वह कानून को हाथ में ले और समाज के दूसरे वर्गों का जीना दूभर कर दे। इस प्रकार का अख्तियार न अरोड़ा जी को है और न चौटाला जी को है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सभी सदस्यों से कहा था कि क्वैश्चन ऑवर के तुरंत बाद मैं आपकी बात सुनुंगा। मुझे अपनी बात सुनाने का क्या यही आपका लोकतांत्रिक तरीका है कि 25 माननीय सदस्य यहां आकर सदन की वैल में नारे लगाने लग जायें और (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष के पद की गरिमा का पालन न करें और अध्यक्ष को ही तानाशाह बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह भी बताने की आवश्यकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब अभी भी चेयर पर ऐस्पर्शन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या चेयर पर इस तरह का ऐस्पर्शन किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप वैल में खड़े न हों और पहले आप अपनी सीटों पर बैठें।

Shri Rndeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am making a detailed statement on the floor of the House.

Mr. Speaker : Let the Minister make a Statement. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जो सदस्य आपने नेम किए हैं पहले उनको सदन में वापस बुलाइये क्योंकि वे माननीय सदस्य भी सदन में अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं। (विघ्न) आप हमारी पहले बात तो सुनिये।

Mr. Speaker : Let the Minister make a Statement. (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनें और जो सदस्य नेम किए गए हैं उनको पहले सदन में वापस बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य नेम हो चुके हैं उनको सदन में वापिस नहीं बुलाया जा सकता। They will not be called back. I have already named them.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले इन माननीय सदस्यों को यह कहें कि ये अपनी सीटों पर जाकर बैठें। यह अच्छी परम्परा नहीं है कि विपक्ष के नेता भी इस प्रकार से सदन की वैल में आकर बात करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनें और जो सदस्य नेम किए गए हैं उनको पहले सदन में वापस बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपनी सीटों पर जाकर बैठिये तभी मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से विपक्ष के नेता सदन की वैल में आकर आपसे वार्तालाप करें इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनें और जो सदस्य नेम किए गए हैं उनको पहले सदन में वापस बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी की बात तो सुन रहे हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप क्वैश्चन आवर के बाद आये हैं मैंने इन माननीय सदस्यों को उस समय कहा था कि पहले क्वैश्चन आवर होने दीजिए उसके बाद अपनी बात रख लेना। इसलिए मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता इस प्रकार अगर सदन की वैल में आयेंगे तो हाउस कैसे चलेगा। हम भी विपक्ष में रहे हैं। इस प्रकार सदन की गरिमा कैसे रह जायेगी। आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए इनको अपनी सीट पर बैठना चाहिए। अरोड़ा साहब खुद सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं और एक जिम्मेवार सदस्य हैं, पहले अपनी सीटों पर जाकर बैठें उसके बाद अपनी बात रखें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनें और जो सदस्य नेम किए गए हैं उनको पहले सदन में वापस बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैं भी आपको इतनी देर से कह रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाएं लेकिन आपको मेरी बात इतनी देर से समझ में नहीं आ रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अफसोस तो इस बात का है कि हमारी बात भी आपको अब भी समझ नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह मुझ को समझाओगे, आपका यह तरीका ठीक नहीं है। धमका कर समझाओगे क्या?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या करें तरीका ही यही है समझाने का।

श्री अध्यक्ष : आपका तरीका ठीक नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण इश्यू है और सरकार इस पर अपनी स्टेटमैंट देना चाहती है। पार्लियामैंट्री एफेयर्स मिनिस्टर स्टेटमैंट पढ़ रहे हैं। इसलिए पहले ये माननीय सदस्य सरकार की स्टेटमैंट सुनें उसके बाद अपनी बात कह सकते हैं।

Mr. Speaker : Let the Govt. make a statement first. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की स्टेटमैंट सुनने के लिए तैयार हैं और जो माननीय सदस्य आपने नेम किए हैं वे भी यही चाहते थे कि सरकार इस बारे में स्टेटमैंट दे।

Mr. Speaker : Let the Govt. make a statement first. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नेम तो पहले भी कई बार सदस्य होते रहे हैं और उसके बाद उनको अध्यक्ष द्वारा वापिस भी बुलाया गया है।

श्री अध्यक्ष : पहले सरकार ने स्टेटमैंट देनी है। क्या आपके पास उन सदस्यों का कोई प्रोमिस है कि वे सदन में आकर सरकार की स्टेटमैंट ठीक ढंग से सुनेंगे और फिर से शोर शराबा नहीं करेंगे।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर ही ये सब बातें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने स्टेटमैंट पढ़ने ही नहीं दिया। आप वैल में आ गये और शोर मचाने लगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यहां तो ट्रेजरी बैंचिज के सदस्य भी आये हैं उनको तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब सारे सदस्य बोलने शुरू नहीं हुए थे उस समय मैंने सबसे पहले यह कहा था कि Government is making a detailed Statement on the events that have occurred and the circumstances that have led to the event. The issues are under considerations i.e. what has transpired and what is going to happen. I said, we will make a detailed statement and we are ready with the reply. We have nothing to hide.

Mr. Speaker : Alright, you make a statement. (noise and interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह देखिए अब भी इनका आचरण वही है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पहले नेम किए गए सदस्यों को हाउस में वापिस बुलाओ।

श्री अध्यक्ष : पहले सरकार स्टेटमैंट दे रही हैं, आप उसको सुनिये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का व्यवहार करने का किसी को भी अख्तियार नहीं है। इस हाउस की वैल में आकर विपक्ष के नेता इस प्रकार का व्यवहार करें यह भी ठीक नहीं है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन का मामला है। इसलिए आप उन सदस्यों को वापिस बुलाइये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उनको मैंने कहा तो वे अपनी सीटों पर चले गये इसलिए आप भी अपनी सीट पर जायें।

Shri Randeep Singh Surjewala : It is not a matter of discussion, it is a serious issue. We are making a Statement on the floor of the House. (Noise and Interruption).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सरकार भी स्टेटमैंट देने के लिए तैयार है और विपक्ष भी सुनने के लिए तैयार है तो आप पहले उन सदस्यों को हाउस में वापिस बुलायें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले इनको कहो कि ये अपनी सीटों पर चले जाएं। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सरकार भी स्टेटमैंट देने के लिए तैयार है और विपक्ष भी सुनने के लिए तैयार है तो आप पहले उन सदस्यों को हाउस में वापिस बुलायें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we are making a statement.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सरकार भी स्टेटमैंट देने के लिए तैयार है तो आप पहले उन सदस्यों को हाउस में वापिस बुलायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले जो हरियाणा के लोग हैं उनके बारे में ये लोग सुनें उसके बाद अगर अजय सिंह चौटाला जी को कोई एतराज है तो वह अपनी बात कह सकते हैं। पहले ये सुनने का मादा तो रखें। यह तो नहीं कि हम हर बात पर व्यवधान ही डालते रहें।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों को ऐसे कैसे नेम कर सकते हैं? आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते। जिन्होंने लोगों को गोलियों से मार दिया उस सरकार की आप बात सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैं आपकी बात भी सुनूंगा और उनकी भी सुनूंगा लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। आपके लोगों का काम है यहां आकर स्पीकर को धमकाना (शोर एवं व्यवधान) ये स्पीकर किसी से धमक नहीं सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से चेयर पर एस्पर्शन करके कोई डरने वाला नहीं है। वह हरियाणा के लोगों का डर बहुत पुराना था जो अब निकल चुका है। अब इनसे कोई डरता वरता नहीं है। इनको कोई पुराना बहम होगा। यहां इनसे कोई नहीं डरता। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : All right, Hon'ble Minister may make a statement please. (Noise & Interruption) चौटाला साहब, मैं उनको स्टेटमैंट देने के लिए कह रहा हूं। आप विपक्ष के नेता हैं आपको इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता। आप 7–8 बार सदस्य रहे हैं। आपको तो इस बात का पता है कि आपको यहां नहीं आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आप मुझे कानून बताएंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मुझे कानून बताना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी भूल जाता है और जब आप भूलेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मुझे कानून बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आपको कानून बताने की जरूरत है क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं। आपको वहां होना चाहिए। आप बहुत गरिमामयी पद पर हैं। आपके दल के लोगों का काम है यहां आकर स्पीकर को धमकाना। ये स्पीकर इस पद पर रहे न रहे। ये किसी से धमकने वाला स्पीकर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, धमकाने वाली तो कोई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस स्पीकर को कोई नहीं धमका सकता। मैं किसी से नहीं धमक सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, चेयर को कोई नहीं धमका सकता।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप भी किसी दिन इस कुर्सी पर बैठे थे। यहां पर मुझे तानाशाह कहा गया। यहां पर न जाने क्या–क्या शब्दावली यूज की गई। इस स्पीकर ने फिर भी पेशेंस दिखाई और उसके बावजूद आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सोच रहे हैं कि आपके आंखें दिखाने से मेरी आंखें नीची हो जाएंगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए आपका फर्ज है कि आप सबके साथ समान व्यवहार करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप सबसे जिम्मेदार आदमी हैं। आप अपनी सीट पर तो बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चेयर के प्रति जो भी अनपार्लियामैंट्री शब्द यूज किए गए हैं वे रिकार्ड से निकाले जाएं और इनका जो व्यवहार रहा है उसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप लीडर हैं, आप इनैलो के स्टेट लीडर हैं। Are you ready to apologize on behalf of your members.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम किस बात के लिए अपोलोजाइज करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां आकर जो आपके सदस्यों ने कहा है उसके लिए आप अपोलोजाइज करें। उनको यहां नहीं आना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो उनकी भावनाएं थी वे उन्होंने यहां आकर कही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपोलोजी दे दो, I will call them. (Noise & Interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये खुद यहां आकर बोल रहे हैं तो इनके बाकी मैम्बर्ज क्या करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, उधर से भी स्टेटमैंट आने वाली है और आप भी बोल सकते हैं। आप पार्टी के लीडर हैं इसलिए आप अपने सदस्यों के बिहाफ पर अपोलोजाइज कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस की वैल में नहीं आना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। ये बहुत पुराने मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप माफी मांग लीजिए कि आपके सदस्यों ने चेयर के बारे में गलत बात कही। इस बिहेवियर के लिए माफी मांग लें कि वे वैल में आए, हाउस को बाधित किया और स्पीकर के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इन तीनों चीजों के लिए माफी मांग लीजिए, मैं उनको वापिस बुला लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये स्पीकर की चेयर के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वैल में आकर बोल रहे हैं और अभी भी वैल में आए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक ये अपनी सीट पर नहीं जाएंगे, इनकी बात सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर वापिस जाइए और वहां जाकर माफी मांग लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम किस लिए माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष : आप उन मैम्बर्ज की तरफ से माफी मांग लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हम किसी की तरफ से माफी नहीं मांगेंगे। हम अपनी बात कहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता यहां मौजूद हैं तो फिर अशोक अरोड़ा जी क्यों माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Arora Ji, are you ready to apologize on behalf of your members.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता मौजूद हैं वे अपने दल की तरफ से अपोलोजाइज करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आप पार्लियामैंट में भी रहे हैं। दो बार वहां रहे हैं। Is it proper? पार्लियामैंट में स्पीकर को कभी कुछ नहीं कहा जाता। अपनी बात किसी भी मैम्बर ने कहनी है तो वह किसी भी ढंग से कह सकता है। स्पीकर के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों को मैंने यहां सुना है, मैं समझता हूं कि आप जैसे व्यक्ति जो पार्लियामैंट में रह कर आए हैं, इस प्रकार के शब्द अगर स्पीकर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि वे जो कुछ भी मुझे कह रहे थे उसमें आप सब लोगों की सहमति थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें। आप अपने आप कुछ मर्जी कहे जा रहे हैं। आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप क्षमा मांग रहे हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात तो सुनो। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुनो। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो हमें क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ गलत कहा ही नहीं है तो क्षमा किस बात के लिए मांग लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके सदस्यों ने गलत कहा है और वे सदस्य यहां नहीं हैं तो फिर उनकी तरफ से कौन माफी मांगेगा?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : जिस किसी सदस्य ने गलत कहा है आप उसकी बात करें। आप हमें किस बात के लिए क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप अपनी पार्टी के लीडर हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप स्टेट के लीडर हैं और चौटाला जी अपोजीशन के लीडर हैं। आपके दल के सदस्य चेयर पर एक्सपर्शन कर रहे हैं इस बात को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि आप अपनी सीट पर जाकर बात करो तो आप हमारी बात तो सुनो। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Leader of opposition is here. Let him say something.

Mr. Speaker : I will call them inside. मैं उनको बुला लूंगा और डिस्कशन भी करा दूंगा लेकिन सबसे पहले आप क्षमा मांगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम अपनी सीटों पर जायें उसके बाद हमारी बात सुनी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Leader of the Opposition is here. He should say whatever he has to say. My humble request is to you that Leader of the Opposition is sitting, he should say.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी बात तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं क्या सुनूं। (शोर एवं व्यवधान) जो बात यहां सुनी है i.e. hearting me.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कह तो लें।

श्री अध्यक्ष : क्या कहोगे आप। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब आप हमारी बात सुनोगे तभी तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ दी अपोजीशन बैठे हुए हैं। वे कह दें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उन्हीं के बिहाफ पर कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ दी अपोजीशन बैठे हैं। He leads the House.

Shri Randeep Singh Surjewala : He is sitting in this House. Why should not he speak?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे किसी भी सदस्य ने अगर चेयर के खिलाफ कोई बात कही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब : अगर वाली तो कोई बात ही नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है, हम किस बात की माफी मांगे।

श्री अध्यक्ष : नम्बर एक इस बात की कि वे यहां क्यों आये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आयेंगे यह हमारा अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप यहां नहीं सुनेंगे तो वे वहां भी आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नम्बर दो उन्होंने चेयर के प्रति अपशब्द क्यों कहे और नम्बर तीन मेरी रिपीटिड वार्निंग्ज के बाद भी वे बाहर क्यों नहीं गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी तो वार्निंग है लेकिन उनका यहां आने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यहां आने का किसी का अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं, अधिकार है। यदि यहां कोई बात नहीं सुनेगा तो हम वहां आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आपने अभी कहा था कि हम सीट पर जायें हमारी बात सुनी जायेगी। आप अभी भी नहीं सुन रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उसी अधिकार के तहत आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हां, आये हैं। यह हमारा अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप दस बार सदनों के सदस्य रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम अपनी बात कहीं भी जाकर मनवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) इस तरीके से यह कोई तरीका थोड़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनका वह जमाना लद चुका है जब ये कहीं भी जाकर अपनी बात मनवाया करते थे। वह जमाना बदल गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर हमारी बात यहां नहीं सुनी जायेगी तो हम वहां भी आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन की वैल में आने का किसी सदस्य को अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, make his statement, they are not ready. (Interruption) Hon'ble Minister may please make his statement.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, an issue was raised a couple of months ago with regard to grant of reservation to various communities and castes in Haryana.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *****

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Nothing is to be recording except Hon'ble Minister.

Shri Randeep Singh Surjewala : Various people, delegations & groups of different shades, different political parties office' bearers, different organizations' office bearers, different representatives of different groups, they want to have a talk with Hon'ble Chief Minister and the hon'ble Chief Minister had met them to consider the claim of various communities who are seeking reservation (Noise and Interruption).

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदस्य श्री अशोक कुमार अरोड़ा सदन की वैल में आ गए।)

श्री अध्यक्ष : आप फिर सदन की वैल में आ गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों का यह क्या तरीका है?

Mr. Speaker : This is not the way, (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही इनका यह रवैया है। ये आज तैयार होकर आये हैं कि आज सदन नहीं चलने देना है और अखबार की सुर्खियों में रहना है। यह सच बात है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज सुबह आदरणीय अरोड़ा जी और इनकी पार्टी के सभी सदस्य यह मन बनाकर आये हैं कि सदन नहीं चलने देना है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please go back to your seats. पहले मिनिस्टर स्टेटमैंट देगा।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am making a statement. (Interruption).

Mr. Speaker : Please go back to your seats. Hon'ble Minister is making his statement.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरोड़ा जी, यह कोई तरीका नहीं है जैसा आप कर रहे हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I ask your ruling that can a person who has been four or five times member of the House and a Speaker of the house behave like this? Is this his conduct? (Interruption)

Mr. Speaker : Ashok ji, please go back to your seat. आप मंत्री जी का ब्यान सुनिये। (शोर एवं व्यवधान) आप धैर्य से इनकी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सच बात यह है कि आज ये निर्णय करके आये हैं कि इन्होंने कोई बात नहीं सुननी है और केवल व्यवधान ही डालना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने देख लिया है कि आप लोग चर्चा नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हम बिल्कुल चर्चा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप चर्चा चाहते हैं तो चौटाला जी, पहले मंत्री जी को ब्यान तो देने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या हम कातिलों के ब्यान सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is giving his statement. I have to allow the Government first. (शोर एवं व्यवधान) फिर डिस्कशन कहां से शुरू होगी। (शोर एवं व्यवधान) सरकार ब्यान देगी उसी पर डिस्कशन होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अशोक अरोड़ा जी और विपक्ष के नेता के ब्यानों में भी अंतर है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Ashok ji, please go back to your seat. You are very senior member. With all my regard please go back to your seat. अरोड़ा जी, आप बैठिए। पहले मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर की बात सुनूंगा। Please sit down.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, leader of opposition is saying that I am not ready to hear any statement. My learned friend is making totally a different statement. There is a difference of opinion between Shri Ashok Kumar Arora and Shri Om Parkash Chautala also. The difference of opinion is taking apparently. एक आदमी एक भाषा बोलता है और दूसरा आदमी दूसरी भाषा बोलता है।

Mr. Speaker : Arora ji, you please listen to the minister first कि सरकार इस विषय के बारे में क्या कहना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान) आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा हाऊस की वैल में आकर शोर मचाकर हाऊस की कार्यवाही को बाधित करना न तो अच्छी बात है और न ही किसी भी मैम्बर को यह शोभा देता है। (शोर एवं व्यवधान) इससे से भी बढ़कर यह बात हुई कि मेरे द्वारा दसों बार हाऊस की वैल में शोर न बचाकर अपनी सीटों पर बैठकर शांतिपूर्वक हाऊस की कार्यवाही को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चलने देने की रिक्वैस्ट करने के बावजूद भी आपकी पार्टी के सदस्य हाऊस की वैल से अपनी–अपनी सीटों पर नहीं गये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया सो किया लेकिन आपको तो दरियादिली दिखाकर अब उन्हें हाऊस के अंदर बुला ही लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, दरियादिली तो मैं तब दिखाऊंगा अगर आप मेरी ये बात मानेंगे कि इस मामले में पहले ऑनरेबल मिनिस्टर को सरकार की तरफ से ब्यान दे देने लीजिए लेकिन आप मेरी इस बात पर भी एग्री नहीं हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इस बारे में लीडर ऑफ अपोजीशन से तो पूछ लीजिए। अरोड़ा जी तो इनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। इनकी पार्टी के लीडर

इनकी बात भी कहां मान रहे हैं। आपने उनसे कहा तो he said, "I am not ready to hear any statement." That is the answer you got. Check the record, Sir. Take the record out, Sir. He is not ready to hear any statement. Why are we even considering the issue ? (Interruption)

वॉक आऊट्स

(i)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेम किये हुए सदस्यों को पहले सदन में वापिस बुलाया जाये और उसके बाद ही मंत्री जी अपनी स्टैटमैंट दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, अगर आप हमारी पार्टी के सदस्यों को वापिस नहीं बुलाते हैं तो कृपया करके हमारी बात तो सुन लीजिए ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, न तो आप हमारी पार्टी के नेम किये हुए सदस्यों को सदन में वापिस बुला रहे हैं और न ही हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वॉक–आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री अजय सिंह चौटाला, श्री शेर सिंह बड़शामी अपनी पार्टी के नेम किये हुए सदस्यों को वापिस न बुलाये जाने और उनकी बात न सुनने के विरोध में सदन से वॉक–आऊट कर गये।)

(ii)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज पूरे प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल है। यह प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप प्लीज बैठ जाइये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, श्रीमती कविता जैन से आप यह भी पूछ लें कि जिस लाठीचार्ज और गोलीबारी की ये बात कर रही हैं, यह घटना जहां पर घटी है, वह कौन सा गांव है और वह गांव कौन सी तहसील व कौन से जिले में पड़ता है। आप उनसे ये दो बातें पूछ लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, पहले तो आप यह बताइये कि ये सब कौन से गांव में हुआ है। क्या आप ये बता सकती हैं। मैं जानता हूं कि आपको यह नहीं पता है कि ये सब कहां पर और क्यों हुआ है। I know you are so innocent. (Noise & Interruption) कविता जी, आप हमारी बहन हैं अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप कृपया बैठ जाईये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कविता जी हमारे लिए बहुत आदरणीय और बहुत ही सम्मानित सदस्या हैं।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप हमारी बहन हैं। आप हमारे लिए बहुत आदरणीय और बहुत ही सम्मानित हैं। हम जानते हैं कि आप हमेशा अच्छी बातें ही बोलती हैं लेकिन अगर इस विषय के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं तो आप कृपया बैठ जाईए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कविता जी जहां पर यह घटना घटी है उस गांव और तहसील का नाम बता दें उसके बाद ये आधा घंटा बोलें सरकार की तरफ से मैं इनको यह आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, बताओ ये सब कहां हुआ है? सुरजेवाला जी, शायद उन्हें कुछ नहीं पता है। कविता जी, आपके दल के लीडर इतना शोर मचा रहे हैं लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कहां पर क्या हुआ है ?

श्रीमती कविता जैन : नहीं स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सर, आप मुझे पुलिस द्वारा जाट आंदोलनकर्ताओं पर फायरिंग और लाठीचार्ज किए जाने पर बोलने के लिए समय नहीं देते तो मैं इसके विरोध में सदन से वॉक आऊट करती हूं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी की सदन में उपस्थित एक मात्र सदस्या श्रीमती कविता जैन पुलिस द्वारा हिसार में जाट आन्दोलनकर्ताओं पर फायरिंग और लाठी चार्ज किए जाने पर उन्हें बोलने के लिए समय न दिये जाने के विरोध में सदन से वॉक आऊट कर गई।)

निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण की निंदा करना/मंत्री द्वारा वक्तव्य

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, since an issue has been raised, may I with your kind permission, make a short statement on the floor of the House qua the issue that was raised. Speaker Sir, at the outset, I want to say that the conduct of the Members of the opposition is most condemnable and is most unparliamentarily and

the way in which they have disrupted the proceedings of the House, the way without hearing the statement of the Government, they rushed to the well of the House, the way they raised slogans and the way they cast aspersions on the Chair by virtually climbing on to the Table of the Secretary of the Haryana Vidhan Sabha, is unpardonable in terms of parliamentary prestige and practices. The whole House must at the outset, before I make a statement, condemn any such aspersions that they have made as also their most deplorable conduct. Speaker Sir, when Leader of the Opposition makes up his mind that his entire party is going to only make news by disrupting the proceedings of the House, when Leader of Opposition forgets his own responsibility, when Leader of Opposition has no knowledge of parliamentary practice, privileges and procedures then how can any of his Member learn any decorum or decency. It is a reflection on their Leader and it is a reflection on their party as such. Speaker Sir, this conduct is deplorable and I will humbly request that any aspersion cast on the Chair should be forthwith expunged before I make a statement. That is my humble request on behalf of the entire House to you, Sir.

Mr. Speaker : O.K. Anything said against the Chair may be expunged.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक मुद्दा रेज किया गया। कुछ महीने पहले भिन्न-भिन्न कम्युनिटीज के लोग आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मिले। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि मण्डल आयोग जजमैंट जिसको हम कॉमन पारलैंस कहते हैं, जो इन्दिरा साहनी केस है उसमें उच्चतम न्यायालय की एक केशवनन्द भारती के बाद सबसे बड़ी खण्ड पीठ है जिसका गठन किया गया था। केशवनन्द भारती जो डॉक्ट्रीन आफ बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में 17 जजिज ने एनीशिएट किया था। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कांस्टीच्यूश्नल बैंच उच्चतम न्यायालय में यह इन्दिरा साहनी केस था मण्डल कमीशन केस में बनी थी। उस केस में यूनियन के सभी राज्यों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे जो कि एक स्टैंडिंग आयोग होगा। वह आयोग समय-समय पर भिन्न-भिन्न जातियां जो पिछड़ा वर्ग में शामिल हों या उनका स्तर इतना आगे चला जाये कि उन्हें अब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की आवश्यकता न पड़े, सारे क्लेम कंसीडर करेगा। हरियाणा में उस पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन और सदस्य कुछ समय से नियुक्त नहीं किये गये थे। लगभग पिछले साल की शुरुआत में, इस समय मेरे पास निश्चित तारीख नहीं है, मार्च और अप्रैल 2011 में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने-अपने तरीके से प्रदर्शन किया, उनका एक शिष्ट मण्डल, जीन्द और कैथल में हरियाणा के आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया उन्हें समझाई और उन्होंने सहमति जाहिर करते हुए कहा कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दें जिसमें हम भी और अन्य दूसरी जातियां या कम्युनिटीज भी जो यह समझती हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए वे अपना क्लेम रख सकें। हरियाणा ने एक सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ऐसे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जो पिछले एक साल से अधिक समय से अपनी कार्यवाही कर रहा है। अलग-अलग जिलों में उस पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सुनवाई की है, डोक्यूमैंटस लिये हैं और एवीडैंस लिये हैं। हमारे पास जो जानकारी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

उपलब्ध है उसके अनुसार 17 अलग–अलग जातियों का प्रतिनिधि मण्डल या क्लेम्स उनके सामने आये हैं। इनमें भिन्न–भिन्न समुदाय हैं, जिनमें राजपूत, रोड समाज है, जिसमें ब्राह्मण समाज है। जिसमें जाट समाज है, जिसमें बिश्नोई हैं, जिसमें जट सिख हैं, पंजाबी इत्यादि 17 जातियां हैं। अलग–अलग क्लेम उनके सामने आये हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग उनको कंसीडर कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बार फिर मय्यड़ गांव के पास एक आरक्षण समिति ने जिसमें अलग–अलग पार्टियों के पदाधिकारी भी उस आरक्षण समिति के सदस्य हैं। आप सबको पता है कि कौन–कौन सी पार्टियों के पदाधिकारी उसमें सदस्य हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार फिर रेल ट्रैक पर धरना लगाया। मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन ने, उपायुक्त ने और एस.पी. ने वहां जाकर उनको कहा कि आप कृपा करके रेल और यातायात रोकने का काम मत कीजिए क्योंकि यह राष्ट्रीय हानि है। पहले भी जब इस प्रकार का वाक्या हुआ था तो हिसार में बहुत सारे सज्जनपुरूषों की सम्पत्ति को नुकसान हुआ था, गरीब आदमियों को नुकसान हुआ था और किसान को भी बेइंतहाशा नुकसान हुआ था। उन्होंने आखिर में एक 26 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल बनाया और उसको वार्ता के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेजा। मुख्यमंत्री जी ने दो बार उनसे वार्ता की। एक बार मैंने उनसे वार्ता की, एक बार दांगी साहब ने और एक बार कादियान साहब ने उनसे वार्ता की। आखिर में जब उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता की तो उनको हमने कानून और संविधान की प्रक्रिया समझाई और यह कहा कि सरकार को किसी को आरक्षण देने का एकजुट अधिकार नहीं है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग निर्णय करेगा उसके बाद ही निर्णय होगा। वे हमारी इस बात से सहमत थे और उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट के बारे में हम नहीं कह सकते कि किस जाति के हक में आयेगी लेकिन जो भी रिपोर्ट आयेगी हम उस पर सकारात्मक तरीके से विचार करेंगे और अगर कोई केन्द्र में रिकमैंडेशन भेजनी हुई तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वह रिकमैंडेशन हम भेज देंगे। उन लोगों में बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे और अलग–अलग इलाकों के लोग थे। उन लोगों ने वापिस जाकर उन आन्दोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों को ये बात समझाई कि हम इस बात से सैटिस्फाइड हैं कि हमको अपना क्लेम पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष रखना चाहिए और हम ये आन्दोलन वापिस लेने का तुमको निर्देश देते हैं। जब मैं आन्दोलनकारी हूं और मैं एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजूं तो स्वाभाविक है कि मुझे उस प्रतिनिधि मंडल की बात माननी भी चाहिए। वहां लगभग तीन चौथाई लोगों ने उनकी बात स्वीकार की और वो मौके से उठकर चले गए। एक चौथाई लोग इस बात को मानने से इन्कार कर गए तो उन सब 25–26 बुजुर्गों ने कहा कि हम आन्दोलन वापिस लेते हैं और अगर अब कोई आन्दोलन पर बैठेगा तो वह अपने रिस्क पर बैठ रहा है और ऐसा करके वह कानून अपने हाथ में लेने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने फिर भी प्रशासन को ये निर्देश दिए कि कृपा करके धैर्य और संयम लीजिए और हमने धैर्य और संयम से काम लिया। कुछ लोगों ने वहां कानून अपने हाथ में लिया है और एक वाक्या भी हुआ है। वहां यह भी कहा गया है कि कई लोगों की गोलियों से हत्या हो गई है प्राइमाफेसाई Subject to verification Sir. मैंने वो फैक्टस भी वैरीफाई करवाए हैं पुलिस ने हमें बताया है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर गोली नहीं चलाई। एक नौजवान की वहां मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम आज हो जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा

कि इंजरी किस प्रकार की है और कैसे उसकी मौत हुई है। वहां बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार एक बात के लिए कटिबद्ध है कि हम किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो और वह कोई भी क्यों न हो वह राष्ट्रीय संपत्ति की हानि नहीं कर सकता, कानून नहीं तोड़ सकता, कानून की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, यह बात आप पर भी लागू है, मुझ पर भी लागू है और हम सब हरियाणा के ढाई करोड़ लोगों पर लागू है। आन्दोलनकारी और प्रदर्शनकारी चाहे वो किसी के भी बहकाए हुए हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भी उत्तेजित किए गए हैं, चाहे वो किसी भी कार्य से उत्तेजित हुए हैं और चाहे वो किसी विशेष राजनैतिक दल के नेताओं से ही क्यों न उत्तेजित हुए हों, हमने उन्हें एक बार फिर यह कहा है कि धैर्य रखिए। हमने उनको यह भी कहा है कि जो बात डायलोग द्वारा अक्रोस दि टेबल बैठकर हल हो सकती है वह वायलैंस से हल नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी की मूर्ति यहां लगी है उन्होंने पूरी ब्रतानवी सरकार जोकि चुनी हुई सरकार थी, उसको केवल अपनी दृढ़ता से झुका दिया था। हम आम आदमी की, गरीब आदमी की और किसान की बात सुनने के लिए कटिबद्ध हैं और उसके लिए हमने अनेकों कार्य किए हैं परन्तु कानून अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 17 जातियों का जो पक्ष आया है उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उससे पहले अगर कोई गरीब आदमी को बहका कर, उस इलाके के भोले–भाले आदमी को बहका कर, उस इलाके के जो साधारण आदमी हैं उनको बहका कर उत्तेजना भड़काता है, ख्वामखां के उनको सब्ज बाग दिखा कर, उनका रास्ता भटकाने का जो षडयंत्र है, ये कंडेमेबल है और यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम धैर्य से काम लेंगे, हम संयम से काम लेंगे पर कानून की अनुपालना अवश्य करेंगे। मेरा केवल इतना ही निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से जो इस समय वहां मौके पर बैठे हैं और पूरे हरियाणा के लोगों से मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से यह अपील करूंगा कि आप शांति रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ पकड़कर हमने इतना लम्बा सफर किसान और गरीब की तरक्की का तय किया है। हम उस किसान और गरीब की तरक्की के, व्यापारी और दुकानदार की सुरक्षा के, आम आदमी की सुरक्षा के, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के और पूरा भाई चारा और सद्भावना की बहाली रखने के लिए हमेशा–हमेशा के लिए कटिबद्ध हैं। कोई व्यक्ति वायलैंस न करे, कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना लें। जो संविधान और कानून की प्रक्रिया है उसको चलने दें और पिछड़ा वर्ग आयोग जो रिपोर्ट देगा, उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I would like to know that because of stoppage of trains the general public, power plants and supplier of essential goods, to what extent they were hampered.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक रेल ट्रैक जो पिछले कुछ दिनों से बंद था उससे रेलवेज को जरूर कुछ नुकसान हुआ है और उसका आंकलन केवल रेलवेज ही बता सकता है। जहां तक पावर प्लांट की बात है, पावर मिनिस्टर अभी बैठे नहीं हैं। पावर प्लांट के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है परन्तु यह भी सच है कि यदि

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
इसी प्रकार व्यवधान रहेगा तो यह पावर प्लांट बंद हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सबको यह अपील की है कि हमें संयम और धैर्य बनाये रखना पड़ेगा। कानून और संविधान की प्रक्रिया में विश्वास रखना पड़ेगा। जब हम कानून अपने हाथ में लेंगे, जब हम राजनीति के लिए उत्तेजनायें भड़कायेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह कानून अपने हाथ में ले। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के दिल में किसान और मजदूर के लिए बहुत संवेदना है। हमारी सरकार ने गरीब किसान, छोटे दुकानदार तथा छोटे–छोटे कर्मचारियों के लिए अनेक लोकभलाई के कार्य किये हैं जो आज तक हरियाणा के इतिहास में अनूठे उदाहरण हैं।

Mr. Speaker : Thank you, Next business. Hon'ble Members the Calling Attention Motion given by Sh. Sampat Singh will take place.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन मोशन को टेक–अप करने से पहले आप हमारे नेम किये हुए सदस्यों को वापिस बुला लें।

Mr. Speaker : Arora ji, I have got into the next business. You were not present in the House. That means you deliberately absented yourself. You did not want to participate in the discussion. अजय जी आपने तो डिस्क्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था। आप तो वाक आऊट करके चले गये थे?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अब ये आये हैं, अब तो इनकी बात सुन लो।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जब हम आ गये हैं तो हम बोलने के लिए आपको ही कहेंगे और अब आपका ब्यान भी आ गया है।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आपने तो ब्यान सुना ही नहीं। लगता है आपकी स्ट्रैटजी थोड़ी रोंग हो गई?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैंने आपका ब्यान सुना है। यदि आपकी सोच ही ऐसी है तो फिर हम क्या कहें लेकिन यह जो दूसरी तरफ से किया जा रहा है क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष : अजय जी, मिनिस्टर ने स्टेटमैंट दे दी है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आप हमारी भी तो सुनो।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आपने तो बाईकाट कर दिया था?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमने बाईकाट नहीं किया, हमने तो वाक आऊट किया था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अरोड़ा साहब, वाक आऊट क्या होता है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सुरजेवाला जी वाकआऊट हमारा अधिकार है और बाईकाट अलग बात होती है। हमने वाकआउट आपकी स्टेटमैंट पर किया है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, ये आपका कालिंग अटैंशन मोशन है (विघ्न) अरोड़ा जी इस पर आपके दस्तखत हैं। (विघ्न)। Sampat Singh ji, I have allowed you two supplementaries. Yes, Sampat Singh ji. (विघ्न) अजय जी आपकी बात सम्पत सिंह जी के बाद सुनेंगे। अब जबकि एक बार इश्यु टेकटप हो गया है इसके बाद आपकी बात सुनेंगे (विघ्न)।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, they are making a request to disrupt the House.

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आप regarding revoking the suspension of the members क्या कहना चाहते हो?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और जब किसी सदस्य को अपनी कोई बात नहीं कहने दी जाती है तो कहीं न कहीं थोड़ी सी अनाधिकार चेष्ठा भी हो जाती है। इसके बावजूद भी हर सदस्य इस चेयर का सम्मान करता है चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के। अगर किसी ने अनजानेपन में ऐसी बात कही है तो उसका हमें खेद है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह चाहता हूं कि उन सभी माननीय सदस्यों को बुलाया जाये और उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

12.00 बजे **Mr. Speaker :** How can you give guarantee that they will not disturb the proceedings of the House.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, My learned friend Ajay Singh Ji is very senior and I concede that but Leader of Opposition has told you earlier something else (Interruption).

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. It is not a good language. you are a lawyer.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। यह बिल्कुल गलत है।

Mr. Speaker : No, no you cannot do like this.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको आप कुछ तमीज सिखाइये। हम इनको सदैव आप–आप कहते थक जाते हैं और ये ऐसे बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये क्या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, हम तमीज से ही बात कर रहे हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जिस विषय पर मिनिस्टर की स्टेटमैंट आ गई है और वह मैटर अब एंड हो गया है, उस पर मैं डिस्कशन परमिट नहीं करूंगा। I will not permit any discussion on that issue. I will permit the discussion on budget. Can you give me guarantee that the Members whose suspension will be revoked will concentrate only on budget speech and speak nothing else.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल बजट स्पीच पर बोलेंगे परन्तु आप यदि यह कहो कि बजट पर यह नहीं बोल सकते, वह नहीं बोल सकते तो यह ठीक नहीं है। हम बजट पर और सामाजिक व्यवस्था पर बात रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर गवर्नमैंट का ब्यान आ गया है। then I will not permit.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यहां आप किस किस बात को कहने पर पाबंदी रखना चाहते हैं। ला एंड आर्डर की बात आएगी तो क्या हम उस पर कोई बात नहीं कहेंगे क्योंकि इस बात से समाज के ढांचे पर असर पड़ रहा है। जब सामाजिक व्यवस्था की बात आएगी तो हम आपकी बात रखेंगे।

Mr. Speaker : यदि इस विषय पर आप लोग बोलेंगे, जिस पर गवर्नमैंट का ब्यान आ गया है then I will not permit any discussion on the subject of whatever you were raising.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें किस बात पर पाबंद करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं यदि आप बजट पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करें लेकिन इस इशू पर आप सदन से बाहर चले गए हैं। यदि आप सदन में उनको लाकर फिर से अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं तो I will not permit.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, न किसी सदस्य ने अव्यवस्था फैलाई है और न फैलाएंगे, लेकिन यदि लॉ एंड आर्डर की बात आएगी तो उस पर तो हम बोलेंगे। हम चाहते हैं कि बजट पर अच्छी डिस्कशन हो और हमारे विपक्ष के सभी साथी उस चर्चा में हिस्सा लें।

Mr. Speaker : How can you assure me that you will speak only on budget and not on the issue which is already being deliberated.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : यदि लॉ एंड आर्डर का इशू होगा तो हम उस पर कैसे नहीं बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लॉ एंड आर्डर पर बोलिए but I will not permit a word on that subject.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : इसका मतलब तो यह हुआ कि यह वर्ड आना ही नहीं चाहिए कि जाट आरक्षण क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : इस पर आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पर डिस्कशन हो चुकी है। (विघ्न)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, इस विषय पर डिस्कशन चलते हुए दो घंटे का समय बीत गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी विषय पर सरकार की तरफ से ब्यान आ गया है और हम उस ब्यान से संतुष्ट नहीं है तो क्या हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। इस तरह से सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब सुना नहीं और उस इशू पर आप वाकआउट कर गए। (शोर एवं व्यवधान) वह इशू अब क्लोज हो चुका है। That issue has been closed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच पर हमारी पार्टी के सदस्य बोलेंगे तो वे अपनी बात तो रखेंगे ही। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I cannot be following in your track.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : यह तो धक्काशाही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सदन में यदि अव्यवस्था रही तो ठीक नहीं होगा। I think this will not be considered क्योंकि मुझे जब तक आपकी ओर से यह गारंटी नहीं मिलेगी कि अव्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं उनको वापस नहीं बुला सकता। आप कहें कि सदस्य सिर्फ बजट पर अपनी बात रखेंगे और जो बात क्लोज हो चुकी है उस इशू पर चर्चा नहीं करेंगे। तभी मैं उनको वापस बुलाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, बिल्कुल इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी हम अपनी ही बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कह तो रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी लेकिन बजट पर बोलते हुए पता नहीं आप किस इश्यू को उठा लायें, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। Not on this issue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम कोई गलत बात कहें तो बीच में आप टोक सकते हैं लेकिन आप पहले यह गारन्टी लें कि ऐसे नहीं बोलेंगे। वैसे नहीं बोलेंगे। यह तो तानाशाही रवैया है। हम आपको एक गारन्टी देते हैं कि सदन के अन्दर कोई अव्यवस्था नहीं होगी।

Sardar Harmohinder Singh Chattha : No gurantee is being given.

श्री सतपाल : स्पीकर सर, अरोड़ा जी तानाशाही रवैये के बारे में तो अभी बता रहे थे। How can you take guarantee ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारे शब्दों पर भी आप गारन्टी ले रहे हैं कि यह शब्द नहीं बोलना वह नहीं बोलना। अगर आपको उस समय यह लगे कि हम अपनी स्पीच के अन्दर कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो आप उस समय हमें बोलने से रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि इस विषय पर कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि इस विषय पर पहले ही काफी डिसकशन हो चुकी है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता हाउस में आकर यह आश्वासन दे दें कि इस विषय पर कोई सदस्य चर्चा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं।

Mr. Speaker : All right, विपक्ष के नेता को बुला लीजिए।

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य इस विषय पर नहीं बोलेगा, तब भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारे डिप्टी लीडर हाउस में बैठे हैं यह कोई तरीका नहीं है कि आप हमारे डिप्टी लीडर की बात न सुनें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्यों की बात आप कैसे मान सकते हैं जब तक इनके नेता यहां पर आकर आपको विश्वास नहीं दिलाते।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारे डिप्टी लीडर सदन में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब तक लीडर ऑफ अपोजीशन आकर आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं किसी की बात नहीं मानूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब लीडर ऑफ अपोजीशन सदन में आकर आपको विश्वास दिला देंगे, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे वह हमारे को मंजूर होगा।

श्री अध्यक्ष : चलो, आप आपस में सलाह कर लीजिए but Leader of Opposition should assure me.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि हम बजट भाषण पर हिस्सा लेंगे और कालिंग अटैंशन पर अपने सवाल पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगर आपकी इंटैंशन साफ है और अगर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में आकर यह कह दें कि कोई सदस्य इस विषय पर नहीं बोलेगा तो हम उन सदस्यों को वापस सदन में बुला सकते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, क्या हम हाउस के सदस्य नहीं हैं? हमारे डिप्टी लीडर सदन में बैठे हैं और हम अपनी पार्टी की तरफ से आपको कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यहां अपनी तरफ से कह सकते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनके नेता यहां आकर क्यों नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप अपने लीडर को बुला लीजिए वे यहां आकर हमें विश्वास दिलायें। आपके लीडर बड़े सम्मानित सदस्य हैं अगर वे यहां आकर यह बात कह दें कि वे भी एसैम्बली को चलने देना चाहते हैं तो इसमें क्या बात है। हम उनका सम्मान करते हैं।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, अगर लीडर ऑफ अपोजीशन सदन में आकर यह बात कह दें तो इनको दिक्कत क्या है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम अपने लीडर के बिहाफ पर ही यह बात कह रहे हैं और हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर तो सदन में मौजूद ही हैं।

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप हमें बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : अगर लीडर नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप यह बात कैसे कह सकते हैं कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। If you don't respect anybody who will respect you. आप तो ऐजुकेटिड व्यक्ति हैं। आप जिस तरह का बिहेव चेयर के साथ करना चाहते हैं। क्या यह ठीक है। क्या यह आपका बोलने का तरीका है? आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता।

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि मेरी तो आप सुनते ही नहीं। मैं तो हमेशा चेयर की इज्जत करता हूं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम इतनी देर से आपसे रिक्वैस्ट और प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मैंने आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को ज्यादातर मौकों पर ऐसा ही आचरण करते हुए देखा है। अब आप अपनी पार्टी के इतने सदस्यों की तरफ से कैसे कह सकते हैं कि वे ऐसा आचारण नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि सारे सदस्य आपकी बात न मानते हों। लीडर ऑफ अपोजीशन सदन में आकर हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलाने की गारन्टी दें कि कोई सदस्य इस विषय पर कोई बात नहीं कहेगा तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

Shri Randeep Singh Surjewala : We are ready and the Leader of the House is also giving an assurance on the floor of the House that we are ready to accept it.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सदन में हम पहली बार सुन रहे हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala : Leader of the House is assuring that we will accept सर, क्या कोई व्यक्ति हाउस से बड़ा है। Leader of the House has made an assurance on the floor of the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, ऐसी व्यवस्था के बारे में तो हम पहली बार इस हाउस में सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर चौटाला साहब लॉबी में बैठे हैं तो उन्हें बुला लीजिए वे अगर मुझे एश्योरैंस दे देंगे तो उसके बाद बजट पर बहस चालू हो जायेगी और अगर जरूरत पड़ी तो हाउस का समय भी बढ़ा दिया जायेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, हम चौटाला साहब का इन्तजार कर लेते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर साहब, अगर आपने हाउस का समय बढ़ाना होता तो आप चौटाला साहब को नेम नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : मैंने चौटाला साहब को तो नेम किया ही नहीं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, दूसरे हमारे साथी तो आपने नेम किए हैं। हम भी अपने लीडर के बिहाफ पर ही यह बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके दूसरे साथी तो वैल में आ गये थे और मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे इसलिए उनको मैंने नेम किया। चौटाला साहब भी वैल में आ गये थे तब भी मैंने उनको नेम नहीं किया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम अपने लीडर के बिहाफ पर आपसे फिर रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथियों को सदन में बुला लीजिए।

श्री अध्यक्ष : देखिए, ऐसा है everybody has to agree with me.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप बार–बार इस बात को दोहराये जाएं, कितनी बार कहे जाएं तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लीडर के बिहाफ पर हमारे डिप्टी लीडर कह रहे हैं कि हम बजट पर चर्चा करेंगे। आप बराए मेहरबानी करके उन सारे विधायकों को वापस बुला लें जिन्हें नेम किया गया है ताकि वे अपनी भावना यहां रख सकें। इसके लिए ये पाबंदी ठीक नहीं है कि वे इस टोपिक पर बोलेंगे और इस टोपिक पर नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह पाबंदी तो मैंने पहली बार लगते हुए देखी है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। फिर आप कहेंगे कि मेरा लिखा हुआ पढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मजाक की बात है। अजय जी, मैं आपकी सभ्यता का बहुत मान करता हूं।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं चार लाइनें सुनाना चाहता हूं–

हो रहे हैं काम कुछ बेजोड़ तेरे शहर में,
खून पीने की लगी है होड़ तेरे शहर में।
कत्ल करके भी हमें जिंदा बताया जाएगा,
जब लगेंगें आंकड़ों के जोड़ तेरे शहर में।।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अजय जी डिबेट में पार्टिसिपेट करें, वे सीनियर मैंबर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय अरोड़ा जी बैठे हैं, वे स्पीकर रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं और अपनी पार्टी के लीडर भी हैं और उनकी पार्टी के डिप्टी लीडर भी बैठे हैं। लीडर आफ दि हाउस ने बड़ी दरियादिली से एक बात कही कि इतने उदंड कंडक्ट के बावजूद भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लीडर आफ अपोजीशन आ जाएं और कह दें कि वे हाउस को व्यवस्थित तरीके से चलाने में सहयोग देंगे तो इसमें विवाद का कहां प्रश्न है और हमने कहा कि अगर वे अभी नहीं आ सकते हैं तो हम एक घंटा इंतजार कर लेते हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। वे एक घंटा बाद आकर यह बात कह दें। लीडर आफ अपोजीशन अगर यह बात आकर कह देते हैं तो इसमें उनको क्या जिद है। अध्यक्ष महोदय, बात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिद कौन कर रहा है।

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर को भी तो जिद हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या इनकी कही हुई बात की कोई जिद नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if a fair thing has been said by the Leader of the House then the Leader of Opposition should come. (विघ्न) ये आधे समय तो अपने लीडर की बात नहीं मानते और इनके लीडर बड़शामी जी की बात नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आप बैठो। आपका शेर बहुत अच्छा था। दांगी जी, अब आप बोलें।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, घंटों से इस सदन का समय बर्बाद हो रहा है और उसके बावजूद भी आपने और मुख्यमंत्री जी ने जो लीडर आफ अपोजीशन को यहां पर आकर बात करने की बात कही है तो मैं समझता हूं कि ये लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान) यदि आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं तो लीडर आफ अपोजीशन को यहां बुलाकर उनसे यह कहलवाना उनको एक किस्म से इज्जत देने वाली बात है और आप इस बात को मान नहीं रहे। (शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं कि ये सारी संस्कारों की बात है इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : लीडर आफ अपोजीशन इस हाउस के सदस्य हैं। वे हमारे लीडर हैं और हाउस में आएंगे परंतु ये पाबंद करना कि वही आकर कहें तो मेरे ख्याल से सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अरोड़ा जी, ये आपको सम्मान देने वाली बात है और आपके लीडर को सम्मान देने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, ये आपके लिए ओफर है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छा रास्ता निकाला गया है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो लोग हाउस में बैठे हैं क्या वे जिम्मेवार सदस्य नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अरोड़ा जी, आप अपने लीडर को लीडर मानते हैं या नहीं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हम बिल्कुल लीडर को लीडर मानते हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अगर आप अपने लीडर को लीडर मानते हैं तो उनको बुलवाओ और करवाओ बात। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या जो लोग हाउस में बैठे हैं वे जिम्मेवार आदमी नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे जिम्मेवार हैं। आप भी जिम्मेवार सदस्य हैं। आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आप का हम सम्मान करते हैं। लीडर आफ दि हाउस ने आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो बीच का रास्ता इस हाउस को चलाने के लिए निकाला है, वह बहुत अच्छा रास्ता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप शर्तों के आधार पर हाउस को चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह शर्त नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको अपनी पार्टी के लीडर को बुलाने में दिक्कत क्या है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप शर्तों के आधार पर हाउस को चलाना चाहते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : नहीं कोई शर्त नहीं है बल्कि मेरा विनम्र हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये पाबंद करना कि ये नहीं बोलोगे और फिर ये कहना कि वे ही आकर कहें तो इसका मतलब आप शर्तों के आधार पर हाउस को चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा अरोड़ा जी से विनम्र निवेदन है कि लीडर आफ अपोजीशन को इस हाउस में आने में दिक्कत क्या है। वे इस हाउस के माननीय सदस्य हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की शर्तें ही लगानी हैं तो यह ठीक नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई शर्त नहीं है वे इनकी पार्टी के लीडर हैं।

श्री अध्यक्ष : शर्त नहीं यह सुझाव है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामैंट के इतिहास में पहली बार होगा कि यह शर्त लगाई जा रही है कि वे ही आकर कहें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब लीडर आफ दि अपोजीशन हैं तो वही आकर कहें।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छा सुझाव है और अच्छी पार्लियामैंट्री प्रैक्टिसिज में आता है कि लीडर आफ अपोजीशन आकर यह कहें।

वाक आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि शर्तों के आधार पर ही हाउस को चलाना है तो आप हाउस चलाएं। यदि हमारी पार्टी के नेम किए गए सदस्यों को वापस हाउस में नहीं बुलाते हैं तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री अभय सिंह चौटाला और श्री शेरसिंह बड़शामी नेम किए गए सदस्यों को वापस न बुलाने के विरोध में वाक आउट कर गए।)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यदि अरोड़ा जी इनकी पार्टी के लीडर हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं है परंतु इनकी पार्टी के लीडर चौटाला जी हैं। उन्होंने अरोड़ा जी को लीडर आफ अपोजीशन बनने ही नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान) वे लीडर आफ अपोजिशन तो खुद बन गये। (शोर एवं व्यवधान) वे अरोड़ा जी को या बड़शामी जी को लीडर आफ अपोजीशन बना देते। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ग्रेसफुल बात हुई थी और हाउस की ग्रेस इस चीज में थी कि विपक्ष के नेता स्वयं आकर यह बात कहें ताकि हाउस में व्यवस्था और ग्रेस रहे। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन हाउस की गरिमा रखने के लिए मैंने यह सुझाव दिया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं कि आज मेरे दोस्तों की मीयत हाउस चलाने और हाउस में बैठने की नहीं थी इसलिए चले गये। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा घोषणा—

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I had received an intimation from Shri Ghanshyam Saraf, MLA on 7th March, 2012 in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House on 7th March, 2012 due to death of his elder sister.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में राजकीय विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा की दयनीय स्थिति संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Sampat Singh, MLA regarding pitiable condition of School Education in Govt. Schools in Haryana. Shri Ashok Kumar Arora, MLA and two other MLAs of Indian National Lok Dal and Shri Anil Vij, MLA from Bhartiya Janta Party have also given Calling Attention Notices on the similar subject. Shri Ashok Kumar Arora, MLA the first signatory and Shri Anil Vij, MLA are also allowed to raise supplementary, Shri Sampat Singh, MLA may read his notice.

प्रो. सम्पत सिंह : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में राजकीय विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विद्यालय शिक्षा देने के लिये हरियाणा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ज्यादा राशि खर्च कर रही हैं। राजकीय विद्यालयों की गुणात्मक आधारभूत अवसंरचना के विकास पर प्रत्येक वर्ष बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। प्रत्येक राजकीय विद्यालय के पास सारे फर्नीचर तथा अन्य उपसाधनों सहित बड़ी इमारत है। गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अठारह लाख से भी अधिक विद्यालय छात्र 75 रुपये से 400 रुपये तक प्रति मास प्रति छात्र छात्रवृत्ति ले रहे हैं। मध्याह्न पोषाहार, पुस्तकें, बैग, वर्दियां, खेलों का सामान तथा साईकलें तक भी छात्रों को मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। अध्यापक पूरी तरह से योग्य हैं तथा मैरिट पर चयनित किये गये हैं तथा उन्हें काफी अच्छा वेतन भी दिया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री ने सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के भाषण में युवकों को अपने शैक्षिक पराक्रम का उपयोग भारत को एक सशक्त तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने में करने के लिए आह्वान किया है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवकों की क्षमताओं पर निर्भर करता है तथा भारत में युवकों की विश्व में सबसे ज्यादा आबादी होने के कारण उनके सफल होने की असीम संभावनाएं हैं। यह हमारे लिये गौरव का विषय है कि विश्व आज हमारी बौद्धिक सम्पदा के मूल्यों को मान रहा है। हरियाणा सरकार वर्ष 2012 को युवा वर्ष के रूप में मना रही है तथा इस वर्ष के दौरान शिक्षा, खेलों तथा रोजगार जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जायेगा। हरियाणा सरकार एक तरफ तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जोर दे रही थी तथा दूसरी ओर इसे रोजगारोन्मुख बना रही है। हरियाणा देश में 23 विश्वविद्यालयों, 118 इंजीनियरिंग कालेजों, 125 बहुतकनीकी संस्थानों, 122 अन्य संस्थानों के साथ शिक्षा केन्द्र बिन्दु (हब) के रूप में उभरा है। कुण्डली एक शैक्षिक शहर है तथा चार नये मैडीकल कालेज तथा भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम) हैं।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

दुर्भाग्यवश, भारतीय विद्यालय के छात्रों के लिए यह बुरा समय रहा है। अभी गत् सप्ताह, एक सर्वेक्षण ने दर्शाया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भारतीय छात्र स्पष्ट रूप से सूची स्तम्भ (पिरामिड) के निम्न स्तर पर हैं। शोचनीय है कि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा समन्वयित अन्तर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पी.आई.एस.ए.) ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय छात्र शैक्षिक प्रदर्शन पर अंतिम से एक पहले स्थान पर थे जो किर्गिस्तान से थोड़ा ऊपर है।

यह एक बहुत बड़ा आघात था क्योंकि यह सामान्य अनुभूति नहीं है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में होती है। उच्च शैक्षिक रैंकिंग का एक फायदा था कि ज्यादातर भारतीय बच्चें हमारे वैश्विक योगदान के बारे में हमें आश्वस्त कर रहे हैं।

वास्तव में इंग्लैंड में, सर्वेक्षण हमेशा दर्शाते हैं कि भारतीय माता–पिता के बच्चे अपनी आयु के वर्ग में अन्य बच्चों से कहीं बेहतर कर रहे हैं तथा यह ब्रिटिश श्वेत बच्चे हैं, जो सामान्यतः बुरा बर्ताव करते हैं। यहां यह दर्शाने के लिये बहुत से उपाख्यानात्मक तथा वास्तविक प्रमाण हैं कि यह मामला सम्भवतः पूरे विश्व में हैं, जहां डर तथा प्रशंसा, दोनों के प्रसार से बच्चे डरे हुए हैं–क्योंकि वे सामान्यतः क्लास से आगे हैं।

क्या इसका अर्थ यह है कि भारत में बच्चे साधारणतः अध्ययन के प्रति योगदान अथवा प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर रहे हैं? वास्तव में इंग्लैंड में, जहां श्वेत बच्चे पीछे रहते हैं, यह बुरे मातृत्व व पितृत्व सहित कई अन्य प्रकार के कारणों से हो सका, परन्तु यह इसलिये नहीं क्योंकि वे अपर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यद्यपि जब से टोनी ब्लेयर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा "शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा!" उनकी मुख्य वरीयता थी, यह सरकार के कुछ कठिन निर्णयों के लागू करने से भी यह ऐसा ही रही।

इंग्लैंड जैसे कल्याणकारी समाज में भी, अब इसकी सराहना की गई है कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं तथा पूरी तरह से मजबूत समूहों के सुस्पष्ट राजनैतिक मतभेद हो जाने के बावजूद भी सरकार विद्यालयों में निजी–सार्वजनिक सहभागिता की ओर ज्यादा से ज्यादा जा रही है। परन्तु भारत में यह कब समझा जाएगा कि बार–बार धन खर्च करना काफी नहीं है, जब तक जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है? जब ज्यादा माता–पिता, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से भी ज्यादा से सरकारी विद्यालयों की बजाय निजी विद्यालयों का चयन कर रहे हैं, जैसे कि हाल ही में प्रथम शिक्षा में कार्यरत एक गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के सर्वेक्षण ने दर्शाया है–क्या यह बच्चों के स्कूल कार्यों में सुधार करने में बहुत ज्यादा देरी नहीं है, या क्या कोई तुरंत सुनिश्चित कर सकता है कि यह पीढ़ी अपर्याप्त उपस्थिति तथा स्पष्टतः खराब हो रहे सरकारी स्कूलों के होते हुए कष्ट नहीं झेलेगी?

उनकी जांच–पड़ताल सुस्पष्ट है जब स्कूल पंजीकरण 97 प्रतिशत तक पहुंच गया है। निजी विद्यालयों पर निर्भरता होने से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि हुई है। इसलिये प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसका कार्यान्वयन अगले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ से ऊपर रुपये हड़प लेगा, ठीक दिशा में कार्य कर रहा

[प्रो. सम्पत सिंह]

है? क्या सरकार को पीछे हटना चाहिए तथा पूरे देश में निजी क्षेत्र के विद्यालयों को पसरने की अनुमति देनी चाहिए तथा प्राथमिक स्तर पर सीमांत तथा पिछड़े वर्गों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए? क्या हमें एक बड़ी तथा अधिक व्यापक छात्रवृत्ति योजना की आवश्यकता है? यह एक राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए कि जब भारत बहुत अधिक गरीब देश था, हमने अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा केन्द्रित किया हुआ प्रतीत होता था। यह सब जो हमने किया। आज जब हम अमीर हैं–क्या हम अपने बच्चों को नीचे ही जाने दें?

तब समाधान केवल निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से असुरक्षित बच्चों को शिक्षा में आर्थिक सहायता देना ही होगा तथा न कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के अपव्ययी शैक्षिक संस्थानों में आश्रय देना। परन्तु क्या यह सरकार अध्यापकों के आयात का नैतिक साहस रखती है, यदि कोई भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं–या क्या हम उनको दयनीय स्थिति तक पहुंचाना निरन्तर जारी रखेंगे? कुछ भी हो, यह ज्यादा पुरानी बात नहीं थी कि राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका में बच्चों को भारत तथा चीन में बच्चों के गणित तथा विज्ञान में आगे बढ़ने तथा अन्ततोगत्वा सभी नौकरियां छीन ले जाने के केवल भय दिखाकर प्रोत्साहित भी किया था। चीन अब लीग के शिखर पर होने तथा भारत के अत्याधिक पीछे रहने से निःसन्देह इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे इंजीनियरिंग तथा बिजनेस स्कूल जो करते हैं वह आदर के योग्य नहीं। परन्तु यह संकेत करता है कि हम केवल स्नातक स्तर पर कुछ के लिये सर्वोत्कृष्ट शिक्षा देते हैं जबकि प्राथमिक स्तर पर बहुसंख्या में छात्र ग्रेड प्राप्त करने में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वास्तविकता मात्र यह है कि उसका सुस्पष्टतया ह्रास बहुत अधिक मूल्यवान जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यकीय घाटे में बदल देगा। इसलिये केवल एक पथ–भ्रष्ट अधिनियम, जैसे कि शिक्षा का अधिकार का अर्थ समाप्त हो जाता है।

दुर्भाग्य से, विद्यालय स्तर पर शिक्षा अच्छी हालत में नहीं है। हरियाणा में ज्यादातर सरकारी विद्यालय विद्यार्थियों को आकर्षित करने में असफल हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी निजी विद्यालयों में जाते हैं जब कि इन विद्यालयों के पास योग्य अध्यापक नहीं हैं तथा अध्यापकों को बहुत कम वेतन भी दिया जा रहा है। एक संयोगिक सर्वेक्षण दर्शाता है कि केवल 25 लाख विद्यार्थी ही सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। लगभग 18 लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में केवल सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यह स्पष्ट दर्शाता है कि केवल अनुसूचित जातियों–पिछड़े वर्गों/बी.पी.एल. परिवारों के विद्यार्थी ही इन विद्यालयों में जाते हैं। कभी–कभी किसी विद्यालय में छात्रों तथा विषयों की संख्या की तुलना में कुछ विशेष विषय के अध्यापकों की कमी होती है। उसी समय, छात्रों की पर्याप्त संख्या के बिना अध्यापक अधिक हैं। इस वर्ष भी लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या के बिना बंद कर दिये गए हैं। यह सदन की आंख खोलने वाले आंकड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि हम हरियाणा के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने में बुरी तरह से असफल हुए हैं।

मैं हरियाणा सरकार को राज्य की त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का

निवेदन करता हूं। हरियाणा सरकार को गांवों के समूहों में उच्च स्तर के स्कूल खोलने चाहिएं। दस किलोमीटर के एक समूह के अन्दर पांच हजार बच्चों की अवसंरचना वाला एक आदर्श विद्यालय हो। स्कूल से घर तथा घर से स्कूल तक बच्चे ले जाने के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन लगाना चाहिए। अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। यह रोजगार तथा प्रतियोगिता उत्पन्न करेगा। यह व्यावसायिक शिक्षा का आधुनिक युग है। इसलिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है ताकि उन्हें आगे व्यावसायिक शिक्षा के लिये आसानी से तैयार किया जा सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार को विद्यालय के बच्चों की बसों की सड़क दुर्घटनाओं के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को पूर्ण रूप में लागू करना चाहिए। विद्यालय के बच्चों की बसों पर उनकी दूरी, क्रासिंग तथा समय इत्यादि के संबंध में कुछ विशेष ध्यान भी दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 8 के साथ ब्रेकटिड की गई

सर्वश्री अशोक कुमार अरोड़ा, कृष्ण लाल पंवार तथा राम पाल माजरा, एम.एल. एज. इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने में व्यापक सुधार का दावा करती है। परन्तु वास्तविक स्थिति भिन्न है। बहुत से विद्यालय, विशेषकर प्राथमिक विद्यालय मूलभूत, आवश्यकताओं/सुविधाओं से वंचित हैं। अन्य विद्यालयों के अतिरिक्त, काठमण्डी, रोहतक में राजकीय विद्यालय, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुराना बस स्टैंड, रोहतक के उदाहरण हैं जहां छात्र फर्नीचर, बैठने के उचित प्रबन्ध इत्यादि जैसी सुविधाओं की कमी का अनुभव कर रहे हैं। राज्य में राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं की कमी सरकार के कमजोर प्रशासन एवं प्रदर्शन को दर्शाता है। वास्तव में, सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों में छात्रों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल हुई है।

इसलिए वे सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं।

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आज हमारे माननीय सदस्य प्रो. सम्पत सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन में उठाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा न सिर्फ हरियाणा, न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों की सरकारों के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

रखती है। इसकी झलक हमारी सरकार के मौजूदा बजट में भी नजर आती है। माननीय सदस्य ने सरकार द्वारा शिक्षा के मामले में किये जा रहे प्रयासों की डिटेल से चर्चा करते हुए सराहना भी की है और साथ में इन्होंने हमारे मौजूदा सिस्टम में मौजूद कमियों का भी उल्लेख किया है और साथ में उन कमियों पर चिंता भी जताई है। जिसका विधान सभा के पटल पर जवाब देने के लिए मैं आज यहां पर खड़ी हुई हूं।

श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। शिक्षा हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है। हम राज्य में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए गम्भीर प्रयास कर रहे हैं।

यह सच है कि जब वर्तमान सरकार ने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की दयनीय अवस्था थी। हमने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और निश्चय किया कि शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं व बच्चों के शैक्षणिक स्तर बेहतर हो। सरकार ने बहुत सी नई योजनाएं आरम्भ की तथा विभाग के बजट में काफी वृद्धि की। राज्य ने शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन हटाने, लिंग–भेद समानता में सुधार करने तथा विद्यार्थियों के शिक्षा–स्तर को बेहतर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या Gross Enrolment Ratio (GER) के आधार पर 99 प्रतिशत से भी अधिक है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 98 प्रतिशत से अधिक। बीच में पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले बच्चों की संख्या (Dropout rate) में कमी आई है। प्राथमिक के बाद भी माध्यमिक शिक्षा में भर्ती होने वाले बच्चों की दर (transition rate) 92.8 प्रतिशत से बढ़ कर 94.2 प्रतिशत हो गया हैं इसी तरह के रूझान उच्च स्तर एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी है। लिंग समता सूचकांक भी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर 0.83 से बढ़कर 0.84 हुआ है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पिछले सात वर्ष के दौरान राज्य में शिक्षा में काफी विस्तार हुआ है। औसतन राज्य में 0.98 कि.मी. के भीतर प्राथमिक विद्यालय 1.18 कि.मी. में माध्यमिक विद्यालय 1.52 कि.मी. के भीतर उच्च विद्यालय तथा 2.28 कि.मी. के भीतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। विभाग 6 से 14 आयु–वर्ग के सभी बच्चों को मूलभूत सुविधाएं जैसे वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, उपलब्ध कराता है। वर्ष 2011–12 में शिक्षा का बजट 6765.94 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2005–06 में यह 1804.83 करोड़ था। इस प्रकार राज्य का शिक्षा में निवेश गत पांच वर्षों में साढ़े तीन गुणा से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

शिक्षा में अधिक साधन उपलब्ध कराने के पश्चात् अब हम इसके परिणामों को लक्षित कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को तीन भागों में बांटा गया है। (i) भौतिक वातावरण– भवन, फर्नीचर, इत्यादि पानी और स्वच्छता सुविधाएं (ii) पर्याप्त संख्या में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता तथा (iii) बच्चों के शिक्षा परिणामों को सुधारने वाली अध्यापन प्रक्रियाएं।

बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आर.टी.आई.) लागू कर दिया गया। इसके नियमों को राज्य में 3 जून, 2011 को अधिसूचित कर दिया

गया है। बुनियादी सुविधाओं के स्तर में सुधार किया जा रहा है तथा सभी राजकीय विद्यालय मार्च, 2013 तक इन अधिनियमों की अपेक्षाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। वास्तव में राज्य में जीवन के स्तर के बढ़ने से लोगों की स्कूलों में सुविधाओं के बारे में आशाएं बहुत बढ़ गई हैं। हमने अगस्त, 2011 में एक विशेष स्कीम "मुख्य मंत्री विद्यालय सुधार पुरस्कार योजना" लागू की है। इससे विद्यालयों में भौतिक वातावरण में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई है। विद्यालयों को खण्ड स्तर/जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। प्रति वर्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर 564 विद्यालयों को इन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा। इसने विद्यालय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित किया है तथा काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

यह सच ही कहा गया है कि शिक्षा का स्तर उतना ही ऊपर उठ सकता है जितना शिक्षकों का स्तर। सरकार ने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उच्च स्तर के गुणी अध्यापकों की भर्ती करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अध्यापकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2008 में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच.टी.ई.टी.) शुरू की है। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर आर.टी.ई. नियम के अधीन अनिवार्य उपबन्ध के रूप में अपना लिया गया है। यह परीक्षा अच्छी गुणवत्ता के अध्यापकों को विद्यालयों में लगाने के लिए छंटनी में सहायक हैं सभी नए भर्ती किए गए अध्यापकों को प्रवेश प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अध्यापकों को समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने वर्ष 2007 में सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की शुरूआत की है। इस मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के 'शिक्षा के अधिकार' के मूल प्रावधानों के अनुरूप है। यह प्रणाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी तथा साथ-साथ बच्चों को तनावमुक्त तथा आनन्ददायक वातावरण में शिक्षा देने में सहायक होगी।

सेवा में आने से पहले दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए डिप्लोमा-इन-एजूकेशन के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। नव-प्रशिक्षित शिक्षकों की अध्यापन निपुणता बढ़ाने के लिए दो वर्ष के डिप्लोमा कोर्स के बाद एक वर्ष की इंटरनशिप योजना लागू की गई है। दो राजकीय मौलिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान मोरनी (पंचकूला) तथा फिरोजपुर नामक (मेवात) में इस डिप्लोमा कोर्स को अन्तर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. के सहयोग से नई प्रणाली में चलाया जा रहा है। इस प्रणाली की अच्छी प्रक्रियाओं को साथ-साथ दूसरे संस्थानों में भी लागू किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) के दिशा निर्देश अनुसार अध्यापक-शिक्षक संवर्ग तथा एस.सी.ई.आर.टी. और डाईट्स को स्वायत्त दर्जा देने के लिए अलग से एक योजना तैयार की गई है। एक राज्य स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर में आगामी शैक्षणिक सत्र से आरम्भ किया जा रहा है। इस संस्थान में चार-वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसके माध्यम से उच्च स्तर के शिक्षक तैयार किये जाएंगें।

[श्रीमती गीता भुक्कल नागनहेल]

निजी रूप से प्रबन्धित पूर्व–सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए निरीक्षण प्रणाली बनाई गई है। अध्यापकों का स्तर बेहतर होने से बच्चों के शैक्षणिक स्तर स्वतः ही सुधरेंगे। शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए अब 9 से 12 की कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य विद्यालय प्राध्यापकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा सरकार द्वारा इस व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए अध्यापकों को बहुत अच्छे वेतनमान दिए गए हैं। नये भर्ती हुए तथा पदोन्नत किए गए अध्यापकों को कांउसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां दी जा रही हैं। सरकार द्वारा एक पारदर्शी तथा निष्पक्ष स्थानांतरण नीति भी शुरू की गई है। इसमें विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं। यदि अध्यापक द्वारा अन्यथा अनुरोध न किया गया हो, तो हर अध्यापक को पांच वर्ष तक किसी स्कूल से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

अध्यापकों की नियमित तथा समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए "विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड" स्थापित किया गया है। विद्यालयों में सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार ने शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक मध्य सत्र के दौरान सेवानिवृत अध्यापकों को पुनः लगाने की योजना शुरू की है। सरकार अवकाश इत्यादि से होने वाली रिक्तियों को अल्पावधि में भरने की योजना पर भी विचार कर रही है ताकि बच्चों की शिक्षा पर किसी भी कारण से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विद्यालय निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। खण्ड स्तर पर एक मजबूत शैक्षिक और निगरानी समूह विशेष रूप से मौलिक विद्यालयों के लिए सृजित किया जा रहा हैं इसमें एक बी.आर.सी.–कम–बी.ई.ई.ओ. दो ब्लाक संसाधन व्यक्ति तथा दो विशेष शिक्षक होंगें। हरियाणा के सभी माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अब कम्प्यूटर लैब तथा ब्राडबैंड कनैक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आई. टी. लैब के सुचारू रूप से चलने से अब निगरानी तथा रिपोर्टिंग बहुत अधिक प्रभावी बनेगी।

14927 विद्यालयों में स्कूल प्रबन्धन समितियों (एस.एम.सी.) का माता–पिता की भागीदारी के साथ गठन किया गया है। यह जनसाधारण को स्कूल के करीब लायेगी तथा स्कूल के कार्यों का सुधार करेगी।

श्रीमान्, माननीय सदस्य द्वारा जो सुझाव दिया गया है, इस बारे में बताना चाहूंगी कि सरकार पहले से ही इस प्रकार के कदम उठा रही है। विभिन्न सूत्रपातों के माध्यम से बच्चों में प्रतिभा विकसित करने के लिए एक क्षेत्र विशेष में "School of Excellence" या माडल स्कूल स्थापित किए गए हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवहन सुविधा की भी व्यवस्था हैं। जिला मुख्यालयों पर संस्कृति आदर्श विद्यालय, ग्रामीण स्टेडियमों के निकट खेल विद्यालय, दूरवर्ती क्षेत्रों में किसान आदर्श विद्यालय ऐसे कुछ उदाहरण हैं। आरोही विद्यालय के नाम से आदर्श विद्यालय राज्य के 36 शैक्षिक रूप से पिछड़े

खण्डों में खोले गए हैं वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय योजना इन खण्डों में से 9 खण्डों में चल रही है। आगामी सत्र में यह योजना बाकी के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए खण्डों में भी चलाई जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के प्रांगण में एक स्कूल सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन स्कूल के नाम से प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए खोला गया हैं यह विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिय नयी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को विकसित करेगा। इनमें से सफल प्रक्रियाओं को हरियाणा के अन्य विद्यालयों में दोहराया जायेगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए ''साईंस स्कूल'' स्थापित किए जा रहे हैं। छात्रों को अच्छी विज्ञान प्रयोगशालाओं में पढ़ाया जा रहा है। जहां परीक्षण करने के लिए सभी सुसंगत उपकरण उपलब्ध हो। विज्ञान प्रयोगशालाएं वैज्ञानिक विचारों की गहरी समझ विकसित करने और विज्ञान विषयों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सत्र 2011–12 में 346 अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय को जोड़ा गया है। सरकार द्वारा इसी सत्र में विज्ञान और गणित के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण योजना भी आरम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नई 'राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता रूपरेखा योजना' के अन्तर्गत राज्य के 40 विद्यालयों में आजीविका की शिक्षा से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संगठन **'प्रथम'** द्वारा दिए गए शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (असर) के कुछ निष्कर्षों को उद्धत किया है। **'असर'** 2011 के अनुसार हरियाणा में 1–8 कक्षाओं में 2006 में सरकारी विद्यालयों में नामांकन 50.60 प्रतिशत था जो कि 2010 में बढ़कर 55.55 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर निजी विद्यालयों में इसी अवधि में नामांकन 42.09 प्रतिशत से घटकर 41.82 प्रतिशत हो गया। मुख्य उपलब्धि 6–14 आयु समूह में स्कूल में दाखिल न होने वाले बच्चों की संख्या में कमी थी। यह 2006 में 6.58 प्रतिशत थी जो 2010 में 1.78 प्रतिशत रह गई। लड़कियों के मामले में यह संख्या 8.36 प्रतिशत से 2.20 प्रतिशत तथा लड़कों में 5.30 प्रतिशत से 1.47 प्रतिशत हो गई।

हरियाणा में 15–16 साल की आयु समूह में विद्यालयों से बाहर बच्चों की प्रतिशतता 6.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 15.3 प्रतिशत है। 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 6 प्रतिशत व 3 प्रतिशत है जबकि हरियाणा में यह लगभग आधी 3.8 और 1.8 प्रतिशत है। जब हम उपयुक्त सीखने के स्तर पर विचार करें तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में हरियाणा द्वारा 'पढ़ने तथा गणित', दोनों में दुगना बेहतर स्तर है। उदाहरण के लिए, हालांकि कक्षा 2 के केवल 22 प्रतिशत विद्यार्थी घटाव का प्रदर्शन कर सकते हैं फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से 11 प्रतिशत अधिक है इसी तरह हरियाणा में कक्षा 4 से 32.2 प्रतिशत बच्चे विभाजन का प्रदर्शन कर सकते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 16.1 प्रतिशत है। सभी छात्रों द्वारा ग्रेड स्तर की दक्षताएं प्राप्त नहीं की गई हैं, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर केवल 3.9 प्रतिशत की तुलना में राज्य के कक्षा प्रथम 6.1 प्रतिशत छात्र ग्रेड स्तर के पाठ पढ़ सकते

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल]

हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 2 के 16.9 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 के पाठ पढ़ सकते हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 8.7 प्रतिशत है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि विद्यालय शिक्षा विभाग ने छात्रों के सीखने के स्तर को लगातार जांचने का काम करना भी शुरू कर दिया है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने वर्ग में उपयुक्त शैक्षिक दक्षता हासिल कर सकें। विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (एस.सी.ई.आर.टी.) में एक शोध इकाई प्रसिद्ध M.I.T. U.S.A. के सहयोग से उनके जमील पावरटी एक्शन लैब के माध्यम से स्थापित की गई है। इसके द्वारा समवर्ती मूल्यांकन रणनीतियों का विकास किया जाएगा तथा इसके शोध परिणाम नई नीतियां बनाने में इस्तेमाल किए जाएगें। 2–5 कक्षाओं में सीखने के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से सतत् तथा व्यापक शिक्षा मूल्यांकन की रणनीति remedial education को जोड़ने की नीति का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) के परिणामों को उद्धृत किया है तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उनके साथ जोड़ा है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि भारत के दो राज्यों–तमिलनाडू और हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसमें सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के स्कूल शामिल थे। पीसा प्रणाली द्वारा बच्चों के जिस प्रकार के कौशल को जांचा जाता है वह सीधे–सीधे उसी प्रकार की अध्यापन प्रक्रिया से जुड़ा है। यह आमतौर पर भारतीय विद्यालयों के कक्षा कक्षों में अपनाए जाने वाली पद्धति से काफी भिन्न है। इन परिणामों ने अध्यापन पद्धतियों को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। यदि हमें इस तरह के आंकलन में उच्च रैंक हासिल करना है तो हमें अध्यापन प्रक्रिया को उसके अनुरूप बनाना होगा। हमारे राज्य ने इस पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा द्वारा विकसित गणित प्रयोगशाला को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है जिससे कक्षा 1–12 के छात्रों की गणितीय कौशल की क्षमता में अत्याधिक बढ़ावा मिलेगा। इस प्रयोगशाला को अब एक आभासी (VIRTUAL) रूप दिया जा रहा है ताकि उसे राज्य के सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह का कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में भी शुरू किया जा रहा है। इन उठाये गये कदमों के परिणाम अगले कुछ वर्ष में छात्रों के शैक्षिक स्तर में बढोतरी के रूप में दिखाई देंगे जिन्हें अब लगातार मूल्यांकित किया जाएगा।

मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में 'राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना' आरम्भ की गई है। इसके द्वारा 30000 से अधिक बच्चे प्रत्येक वर्ष लाभान्वित हो रहे हैं। 6वीं से 12वीं कक्षाओं में प्रत्येक स्कूल के लड़कों और लड़कियों की श्रेणी में प्रत्येक एक विद्यार्थी जो पूर्ववर्ती कक्षा में प्रथम आया है को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत माध्यमिक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को 750/– रुपये और उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को 1000/– रुपये ऐसे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं जो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं को प्रोत्साहित करने

के लिए प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना तथा हरियाणा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अधीन 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर लगभग 2500 बच्चों को योग्यता छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। करीब 700 बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा और हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा, 12वीं कक्षा तक स्कूलों में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व निर्धन बच्चों की निरन्तरता के समर्थन के लिए 400 करोड़ रुपए मासिक वजीफा स्कीम के तहत दिए जाते हैं।

महोदय, सरकार ने हरियाणा में विद्यालय जाने वाले कुल सैंतालीस लाख बच्चों में से लगभग सतांईस लाख बच्चों के लिए विशाल बुनियादी सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा खड़ा किया हैं निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजना वांछनीय नहीं है। अधिकांश निजी विद्यालयों में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों की योग्यता और वेतनों तथा अध्यापन पद्धतियों से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। सरकारी विद्यालयों के कार्य को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं। मैं सदन को पुनः आश्वासन देना चाहूंगी सरकारी विद्यालयों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता राज्य के लिए सघन निगरानी के क्षेत्र में रहेगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सम्भव कारवाई करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल या रोजगार में हो।

जहां तक परिवहन के दौरान बच्चों की सुरक्षा का संबंध है, इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में नियम 14 ए जोड़ा गया है। इस नियम में प्रावधान है कि विद्यालय बसों का उचित रख–रखाव हो तथा वह सड़क पर चलने योग्य हो। बस चालक कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाला तथा भलीभान्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। सभी विद्यालय बसों में एक परिचालक या एक परिचर होगा। परिचर छोटे बच्चों को सम्भालने में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। सभी विद्यालय बसों में प्राथमिक उपचार पेटी तथा अग्नि शामक होगा। कोई भी शैक्षिक वाहन इसकी पंजीकृत बैठने की क्षमता के डेढ़ गुणा से अधिक बच्चों को नहीं ले जाएगा। विद्यालय बच्चों को ले जाने वाला प्रत्येक वाहन, बस, वैन या ऐसा अन्य परिवहन के पास उचित अनुमति प्रमाण पत्र/अनुज्ञा होगी। विद्यालय बसें/वाहन सुरक्षा तथा निर्बाध परिचालन के लिए प्रतिबन्धित रफ्तार सीमा का पालन करेंगे। शैक्षणिक संस्था परिसरों के चारों ओर में अपनी मानव शक्ति के माध्यम से यातायात का नियंत्रण करेंगी। तदानुसार विद्यालय बसों को सुरक्षित रूप से चलाने के संबंध में समय–समय पर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं।

श्रीमान जी, इसके अलावा इस बारे में यह भी व्यक्त किया जाता है कि काठमण्डी रोहतक में दो विद्यालय हैं :–

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय काठगण्डी रोहतक : इस विद्यालय में पहली से पांचवी कक्षा तक 53 विद्यार्थी है तथा इन्हें पढ़ाने के लिए दो अध्यापक कार्यरत है। विद्यालय में दो कक्षा कक्ष है तथा एक अन्य कमरा है जिसकी काफी मरम्मत की

[श्रीमती गीता भुक्कल नातनहेल]

आवश्यकता हैं मरम्मत का कार्य वित्त वर्ष 2012–13 में करवाया जायेगा। विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के लिए एक–एक शौचालय है जो चालू हालत में हैं। विद्यालय में पीने के पानी की समुचित तथा बिजली के कनैक्शन की व्यवस्था है। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की कमी है। इसकी पक्की चार दीवारी है तथा विशेषकर आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था हैं

2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय काठमण्डी रोहतक : इस विद्यालय में छठी से आठवीं कक्षा तक 60 विद्यार्थी हैं तथा इन्हें पढ़ाने के लिए पांच अध्यापक कार्यरत हैं। विद्यालय में दो कक्षा कक्ष है जो अच्छी हालत में हैं तथा लड़के व लड़कियों के लिये चालू हाल में एक–एक शौचालय है। विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, पक्की चार दीवारी है तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था है। विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है क्योंकि इसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है उसका वर्णन किया है। यह तो तकरीबन हमें मालूम ही है कि इस सरकार के आने के बाद से शिक्षा की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है और नयी–नयी संस्थाएं खोली जा रही हैं। संस्कृति स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, किसान स्कूल, आरोही स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल खोले जा रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्कूल खुलते हैं उनमें टीचर्ज का प्रबन्ध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जो आरोही स्कूल खुले थे, उनमें आज तक टीचर्ज का प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि चाहे टीचर्ज इम्पोर्ट करने पड़ें लेकिन क्वालिटेटिव टीचर्ज भर्ती करने चाहिए। इसी तरीके से विभाग का जवाब आया है कि 50 बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में हैं। एक स्कूल में पहली से पांचवी कक्षा तक के 50 बच्चे हैं तो ऐसे में वे स्कूल कैसे सस्टेन करेंगे। इसी स्ट्रैंथ की कमी की वजह से 80 स्कूल बंद हो गए थे। हालांकि हम 75 रुपये से लेकर 400 रुपये तक बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दे रहे हैं और वर्दियां व साईकिलें तक दी जा रही हैं उसके बावजूद असल चीज जो है वह टीचर हैं। एक तो जो 12 हजार टीचर लगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण पृष्ठभूमि की रही। बाकी जो पहले टीचर्ज भर्ती होने थे उनकी प्रोसैस जारी है। यह तो आप जानते हैं कि जैसे टीचर्ज भर्ती हुए हैं उनमें से कई टीचर्ज तो अपनी जगह दूसरे टीचर्ज को सबलैटिंग कर देते हैं। आज जरूरत 70 हजार टीचर्ज की है। आज सरकारी स्कूलों में टीचर्ज न होने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा जा रहे हैं। 50 परसैंट स्कूल तो आप बना देंगे, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उनमें टीचर्ज की जरूरत है उनकी कमी की वजह से आज स्कूल बंद होने लग रहे हैं। टीचर्ज स्कूलों में भर्ती किए जाएं, यही मैं चाहता हूं और मेरी चिंता इसी बात को लेकर है। पहले हिंदुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में बहुत अच्छा स्थान ले गया था। आज मैंने जैसा आंकडा बताया कि सिर्फ किर्गिस्तान ही हमसे एक नम्बर नीचे है। बाकी सारी दुनिया ऐजूकेशन में हमसे ऊपर है। हिन्दुस्तान का मैथमैटिक्स नम्बर एक होता था।

आज हम 40वें नम्बर पर पहुंच गये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे कन्ट्री के जो आंकड़े हैं उनसे हम बैटर कर रहे हैं। लेकिन कन्ट्री के आंकड़ों से बेहतर हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम शिक्षा शिक्षा और शिक्षा Education, Education and Education and now qualitative education जैसे हम कहते हैं कि फूड, फूड और फूड और ऐसा सोचें कि फूड मिल जायेगा। ऐजूकेशन, ऐजूकेशन और ऐजूकेशन कहने से ही ऐजूकेशन मिल जायेगी। इसके बाद अगली हमारी डिमाण्ड क्या होगी। अगली डिमाण्ड होगी क्वालिटेटिव ऐजूकेशन क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारे बच्चों का ग्लोबल लेवल पर कंपीटिशन होना है। यही बच्चे जो प्लस टू करके जायेंगे उन्हीं बच्चों ने आगे जाकर अपना कैरियर चैनल अडोप्ट करने हैं। सर, मेरी चिन्ता वाजिब है और सरकार इस बारे में बहुत प्रयास कर रही है। मैं यह चाहता था कि मंत्री जी यह जवाब देते कि शिक्षा के लिए और प्रयास क्या किये जायेंगे। जो मंत्री जी ने बताया है वह प्रयास तो अभी सरकार द्वारा किये ही जा रहे हैं इन प्रयासों के बावजूद हम ऐजूकेशन के सिस्टम को सुधार नहीं पाये हैं। दूसरा मैंने एक सुझाव और दिया था कि दस किलोमीटर के एरिया के अन्दर या पांच हजार बच्चों पर आप एक कलैस्टर बनाकर एक बढ़िया स्कूल खोल दें और अच्छा स्टाफ भर्ती कर दें ताकि वे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके निकलें। बजाये इसके कि एक गांव में प्राईमरी स्कूल अलग है, लड़कियों का स्कूल अलग है, लड़कों का स्कूल अलग है इस प्रकार दस-दस स्कूल खोल दिये गये हैं लेकिन उन स्कूलों में कोई बच्चा दाखिल होता नहीं हैं आज केवल वही बच्चे इन स्कूलों में जा रहे हैं जिनको सरकार छात्रवृत्ति दे रही है। उन बच्चों की शक्ल से पता लग जाता है कि ये बच्चे गरीब परिवारों से संबंधित हैं। सरकार इन बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है इसलिए वे बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं लेकिन उन बच्चों की ऐजूकेशन तो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में तुरन्त कार्यवाही करे क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय शिक्षा ही है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य प्रो. सम्पत सिंह जी ने शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी चिन्ता यहां सदन में व्यक्त की है। उन्होंने खुद इस बात को माना भी है कि हरियाणा राज्य में शिक्षा का स्तर नैशनल लेवल से काफी ज्यादा बैटर है। इन्होंने 'प्रथम' (Annual Status of Education Report) द्वारा दिए गए शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (P.I.S.A.) के बारे में जिक्र किया है तो इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो हमारी 'प्रथम' की रिपोर्ट आई, ठीक है कि हम नैशनल लेवल से बैटर हैं लेकिन हमें इस बात को लेकर ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए बल्कि क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटेटिव शिक्षा पर भी बहुत जोर दिए जाने की आवश्यकता है। एक इन्होंने विशेष तौर पर आरोही माडल स्कूलों के बारे में बात कही। कुछ एरियाज को भारत सरकार ने ऐजूकेशनली बैक्वर्ड ब्लॉक्स डिक्लेयर किये हैं। हरियाणा में हमने 36 आरोही मॉडल स्कूल बैकवर्ड ब्लाक्स के हिसाब से खोले हैं। पहली बार हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नेतृत्व में यह कोशिश की गई है कि केन्द्र सरकार की मदद से ऐजूकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए हम ये स्कूल लेकर आये। हमारे सम्मानित सदस्य की यह

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

चिन्ता भी सही है कि केवल स्कूल खोल देने से बात नहीं बनेगी। इस समय हमारे सभी मॉडल स्कूल्ज में टीचर्ज की भर्ती की पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए टैण्डर भी हो चुके हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग कंसट्रक्शन का कार्य कई जगह शुरू हो चुका है और कई जगह पर शुरू होना है। सरकार ने ये सभी मॉडल स्कूल्ज चलाने शुरू कर दिये हैं, इनमें दाखिले शुरू कर दिए हैं क्योंकि यह इनका पहला वर्ष है। इन स्कूलों में हमने टीचर्ज का टैम्परेरी प्रोविजन भी किया है। जो हमारे दूसरे लैक्चर्ज हैं उनको हमने इन स्कूलों में पोस्टिड किया है। श्री सम्मत सिंह जी की यह चिन्ता भी बिल्कुल ठीक है कि हमें टीचर्ज चाहियें यानी पुराने वाले मास्टर्ज चाहियें। अध्यक्ष महोदय, जिन क्वालिटेटिव टीचर्ज की हरियाणा सरकार आज बात कर रही है, उनके लिए जहां हमने स्टेट इलीजीब्लिटी टैस्ट के माध्यम से एक प्रयास शुरू किया है ताकि न केवल हम क्वांटिटी पर ध्यान दें बल्कि हम क्वालिटी गुणात्तम ऐजूकेशन भी हरियाणा के स्कूलों में दे सकें। हरियाणा ने यह प्रयास किया और स्टैट (STET) की परीक्षा जो है वह हरियाणा ने सबसे पहले शुरू की और राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना गया। नैशनल लेवल पर यह स्टेट की परीक्षा सी.बी.एस.ई. ले रहा है या राज्य खुद ले रहे हैं। इस टैस्ट को आर.टी.ई. के तहत कम्पलसरी कर दिया गया है। हमारे सम्मानित सदस्य ने एक बात और कही कि करीबन नौ या दस हजार टीचर्ज की भर्ती वर्तमान सरकार ने की है। मैं हमारे सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2005 से लेकर अब तक करीबन 21 हजार टीचर्ज भर्ती किए गये हैं और इस समय जितनें भी टीचर्ज की भर्ती की जा रही है वह सब स्टैट पात्रता पास अध्यापक हैं उन्हीं को ही भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा एक बात इन्होंने मॉडल स्कूल्ज के बारे में कही और ऐजूकेशन, ऐजूकेशन और ऐजूकेशन एजैण्डा के बारे में इन्होंने बात कही और जहां पर आपने यू.एस.ए. की बात की या आपने यू.के. की बात कही तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी का खुद का भी राइट टू ऐजूकेशन एक्ट का एजैंडा है। वे एक ऐतिहासिक एक्ट लेकर आए हैं जिसके तहत देश के अधिकतर राज्यों ने इसको नोटिफाई किया है। राइट टू एजूकेशन एक्ट में जो भी चीजें हैं हरियाणा ने उनको नोटिफाई किया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जहां हरियाणा को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं वहीं वे इस शिक्षा के अधिकार को अच्छे ढंग से लागू भी करना चाहते हैं। जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए 8245.58 करोड़ रुपये रखे गए हैं शिक्षा के बजट को पिछली बार के बजट से ज्यादा रखा गया है जो इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा न केवल यू.के. या यू.एस.ए. के लिए बल्कि हमारे भारत के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए भी प्रायरिटी पर है। इस चीज को देखते हुए हमने पिछले दिनों शिक्षा के कई कार्यक्रम लांच किए हैं मैं सम्मानित साथी और इस सदन को बताना चाहूंगी कि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में हमने दस्तके–तालीम प्रोग्राम स्कूल मैनेजमैंट और एन.जी.ओज. के माध्यम से शुरू किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा की माननीय स्पीकर मीरा कुमार जी, स्वयं एच.आर.डी. मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी उपस्थित थे। यह नैशनल

लैवल का कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे सरकार की बात हो, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे एन.जी.ओज. के माध्यम की बात हो, चाहे एक समाज के प्रबुद्ध नागरिक की जिम्मेवारी की बात हो, चाहे मीडिया की जिम्मेवारी की बात हो, एक समाज का नागरिक होने की बात हो, यह हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस क्षेत्र में अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की है और कालिंग अटैंशन मोशन में भी इस बात को माना गया है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। नए स्कूल खोलने की बात हो, टीचर्ज भर्ती करने की बात हो, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो, साईंस स्कूल और कॉमर्स स्कूल खोलने की बात हो, मैथ्स लैब और साईंस लैब बनाने की बात हो हमने सभी क्षेत्रों में काम किए हैं। हमने टीचर्ज की भर्ती करने के लिए टीचर्स भर्ती बोर्ड का भी गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग इस बात का प्रण करें कि हम इस शिक्षा के अधिकार को न केवल कानून बनाने की वजह से बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेवारी के माध्यम से आगे लेकर जाएंगें। इस बात को न केवल सरकार, न केवल मंत्री, न केवल टीचर्स या विधायक और अफसर बल्कि हर व्यक्ति मिलकर सुनिश्चित करें। आज ड्राप आउट रेट में हरियाणा राज्य ने काफी सुधार किया है, मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर इसमें और ज्यादा प्रयास करें। एक सम्मानित सदस्य ने मॉडल स्कूलों की बात कही कि कलस्टर लैवल पर मॉडल स्कूल बनाए जाएं ताकि उसमें क्वालिटेटिव एजूकेशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगी कि केवल पलवल जिले को छोड़कर हमारी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का निर्णय किया है। उसमें हमने हर प्रकार की शिक्षा देने की और क्वालिटेटिव टीचर्स देने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि ये स्कूल इंगलिश मीडियम होने चाहिएं तो मैं बताना चाहूंगी कि शुरू में जो हमारे एग्जस्टिंग स्कूल थे उनको हमने इंगलिश मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट करवाया जब बहुत सी जगहों से हमें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो हमने बाद में डबल शिफ्ट करके हिन्दी और इंगलिश दोनों मीडियमों में इन स्कूलों को शुरू किया। इसके अलावा हमने एजूकेशनिली बैकवर्ड ब्लाक्स में 36 स्कूल खोले हैं जिस बारे में अभी चर्चा हो चुकी है। गरीब तबके की, दलित समाज की, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए पूरे हरियाणा में जहां पर बैकवर्ड लोग हैं और जहां जरूरते हैं वहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले हैं ताकि हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनको होस्टल की भी पूरी सुविधा दी है। इसके अलावा हमारे हरियाणा प्रदेश में किसानों को लेकर बड़े से बड़े फैसले हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। किसानों के हकों में न केवल किसानों से संबंधित चीजों का ध्यान रखा गया बल्कि उन्हें कृषि से संबंधित नोलेज देने की तरफ भी हमने पूरी कोशिश की है। हम 5–6 जिलों में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के साथ मिलकर किसान मॉडल स्कूल खोलेंगे ताकि कृषि के साथ–साथ गरीब किसान का बच्चा जिले लैवल के एक मॉडल स्कूल में आ पाए और अच्छी एजूकेशन ले पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी की यह

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

सोच है कि हम न केवल क्वांटिटी बल्कि क्वालिटेटिव एजूकेशन देने की बात करें। हमारे सम्मानित सदस्य ने एक यह चिंता भी ठीक जताई कि केवल हम बच्चों को स्कूल में लाने का कार्य न करें बल्कि हम उनको पढ़ायें। जो इस तरह के आंकड़े सामने आये हैं कि 1st और 2nd क्लास के इतने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो बच्चा किसी वजह से स्कूल के बाहर है उसकी अंगुली पकड़ कर हम उसको स्कूल में लेकर आयें और जिम्मेवारी से बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि करीबन 124 स्कूल सरकार ने प्रदेश में बंद किए हैं मैं बताना चाहूंगी कि 80 के करीब स्कूल बंद हुए हैं। क्योंकि कुछ स्कूल्ज अब चालू कर दिए गए हैं। जिन प्राईमरी स्कूल्ज में 25 बच्चों से कम की संख्या है यह चिंता का विषय है। राईट टू एजूकेशन एक्ट के आने से यदि हम बच्चों को फेल या पास नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे स्कूल ही नहीं आयेंगे। हमने सी.सी.ए. (Comprehensive Co-curricular Activities) सिस्टम एडोप्ट किया और यह कोशिश की है कि जिन स्कूल्ज में 25 से कम छात्र थे उनको बंद करके उसी गांव में जो और स्कूल हैं या उस गांव से एक कि.मी. के दायरे में जिन स्कूलों में टीचर्स और पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं उनमें बंद किए गए स्कूल के बच्चों को शिफ्ट करने का कार्य किया हैं हम यह भी कोशिश करेंगे कि यदि किन्हीं कारणों से बच्चे वहां स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं तो उसको भी हम जरूर एग्जामिन करायेंगे। जो स्कूल बंद हो गये हैं उनको दोबारा से चलाने के लिए न केवल सभी सदस्यों की जिम्मेवारी बनती है बल्कि हम सुनिश्चित करें कि गांव लैवल पर ऐसी मुहिम चलायें कि सारे बच्चे स्कूल आयें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री महोदया को इस बात के लिए बधाई देती हूं कि शिक्षा के लिए बजट में सबसे ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है और बहुत से नये सकूल और कालेज बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टीचर्स की भी भारी मात्रा में भर्ती की गई हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बजट में शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करके पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में दी जा रही हैं उसके बावजूद भी बच्चे प्राईवेट स्कूलों की तरफ क्यों जा रहे हैं? केवल गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी भी थोड़ी गुंजाइश होती है तो वे भी अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है फिर भी बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिन स्कूलों में ड्रॉप आऊट ज्यादा हैं या बच्चे फेल होते हैं उन स्कूलों में प्रिंसीपल या टीचर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर भी यहां विचार किया जाना चाहिए।

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, it is a question of grave concern. In spite of so much funding in the Education Department, the standard of the education in the Government Schools is not up to the mark. This has to be remitted and in this respect what awakening is to be given by the department it is theirs duty. It is not the duty of the

Legislators to make awakening so far as admissions in the Government Schools and standard are concerned. It is to be made by the department all the efforts how we can increase the standard of education in the Government Schools. It has rightly concern raised by Shri Sampat Singh. My second point is that there should be some flying squads made by the Government to check the schools. There is an example and I will request the Hon'ble Education Minister कि किन स्कूलों के अंदर बोगस एंट्री दिखाई जाती है कि 10 बच्चों की जगह 25 बच्चे दिखाये जाते हैं ताकि संबंधित टीचर की पोस्ट वहां बनी रहे। इस तरह से रिकार्ड सारे का सारा मैनेज होता है और एक्च्युअल में बच्चे कम होते हैं इसी तरह से मिड डे मील का भी मिसयूज हो रहा है। जो लोग मिस यूज कर रहे हैं for the government is not responisble, it is the mentality of the person who is there but on that person check should be there because Government money is being siphoned on the basis of the mid-day-meal. Where the strength of the students come 25 की जगह 10 बच्चे होते हैं और 15 बच्चों का पैसा उनकी जेब में जाता है। So, there should be flying squad of competent officers may be even HCS Officers who should visit and make surprise checking in the Government Schools and strict action should be taken where the irregularities are found there.

Mr. Speaker : I think even a Legislator can do that.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, there is no as such power with the legislator. Un-necessarily, if we make the extra jurisdiction power that is not desirable.

Mr. Speaker : You can visit a school.

13.00 बजे

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, राईट टू एजूकेशन एक्ट के सैक्शन 134–ए में वीकर सैक्शन के 25 प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में फ्री एडमिशन देने का प्रॉविजन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहती हूं कि वीकर सैक्शन नापने का क्या माप–दण्ड है? इसके अलावा माननीय मंत्री महोदया जी ने राईट टू एजूकेशन एक्ट के तहत एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल खोलने की बात कही है मैं मंत्री महोदया जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या ये यह बताने की कृपा करेंगी कि अब तक इस प्रकार से कितने स्कूल खोले गये हैं?

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थागत और प्रक्रियागत सुधारों का मुद्दा उठाकर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनहोंने गुणात्मक शिक्षा के महत्व को जिस प्रकार से समझा है वह काबिलेतारीफ है। वर्तमान सरकार द्वारा मेरे जिले मेवात में शिक्षा के मामले में अभूतपूर्व प्रगति के जो प्रयास किये गये हैं वे अपने आप में ऐतिहासिक हैं। हमारे जिले के लिए जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती की घोषणा सरकार द्वारा की गई है उसके

[श्री आफताब अहमद]

लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्ष मंत्री महोदया का धन्यवाद करता हूं। हमारे जिले को जिस प्रकार से शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ ब्लॉक घोषित किया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदया का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गये हैं वे सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही हैं। हमारे यहां पर हजारों बच्चियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं इसलिए मैं यह चाहता हूं कि अगर इन विद्यालयों को दसवीं से अपग्रेड करके 10+2 के स्तर का किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही बच्चियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि इन विद्यालयों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पूर्व ही पूरी तरह से कम्पलीट कर लिया जाये ताकि वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही बच्चियों का एक साल बर्बाद न हो। इसके अलावा मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सभी जिलों में किसान विद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है उसके मुताबिक ये किसान विद्यालय कब तक खोल दिये जाएंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बात के लिए मैं पहले ही अपने कालिंग अटैंशन मोशन में एप्रीशिएट कर चुका हूं कि शिक्षा के मामले में सुधार के लिए मौजूदा सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बच्चों को फाईनैंशियल स्पोर्ट देने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व प्रयास किये हैं इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रत्येक समझदार आदमी इसको एप्रीशिएट की करता है लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम स्टेट की पर–कैपिटा इन्कम और पर कैपिटा इनवैस्टमैंट को देखते हैं तो we are at No. 1 position in the country लेकिन जब हम एजूकेशन इंडीकेटर्ज और अनफॉर्चूनेटली हैल्थ इंडीकेटर्ज की बात पर आते हैं तो we are at the lowest level. इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल मात्र Right to Education का एक्ट बना देने से बात बनने वाली नहीं है। केवल मात्र बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज कर लेना ही पर्याप्त नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में राईट टू एजूकेशन एक्ट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और न ही राईट टू फूड की इतनी ज्यादा जरूरत है। इन सभी की तो देश में जरूरत है और जहां तक हमारे प्रदेश की जरूरत का सवाल है तो हमें तो क्वालिटी एजूकेशन की जरूरत है जैसा कि मैं बार–बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। स्पीकर सर, यह आपने भी देखा होगा कि अपने कालिंग अटैंशन नोटिस के लास्ट पैरा में मैंने यह लिखा था और इसमें भी मेरा कंसर्ड वही है कि हमें अपने सरकारी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में इतनी एडवांस स्टेज पर ले जाना चाहिए कि जो टीचर हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। मैं तो यह भी चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी में सुधार पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर शिक्षा की क्वालिटी नहीं सुधरेगी तो बात बनने वाली नहीं है। आज हालत यह है कि

सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर भी आज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में न पढ़ाकर प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। यहां तक कि सरकारी स्कूल का एक चपड़ासी भी जिसकी सैलरी लगभग 12000 रुपये है वह भी अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों के अंदर दाखिल करवाता है। हमें कोशिश करके ऐसे स्थिति लानी है कि चाहे सरकारी स्कूल में कोई स्वीपर है, कोई पियन है और चाहे टीचर ही क्यों न हो उन सभी के बच्चे भी उसी सरकारी स्कूल में ही दाखिला लें। इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी ने यह भी कहा है कि वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मॉडल स्कूल खोलने जा रही हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की इस योजना को लागू करने से हमारे प्राईमरी स्कूल सस्टेन नहीं कर पायेंगे। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि प्राईमरी मिडल स्कूलों की संख्या निरंतर गिरती जा रही है। जैसे आज ये स्कूल 100 की संख्या में बंद हो चुके हैं, कल को 200 स्कूल बंद हो जायेंगे और आगे चलकर 500 स्कूल भी बंद होंगे और एक किलोमीटर का दायरा भी खत्म हो जायेगा इसलिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि बजाये इस सब चाहे 10 किलोमीटर का रेडीएस हो चाहे 5000 बच्चों की संख्या हो, दोनों में से जो भी लैस हो वहां पर एक ऐसा बढ़िया सरकारी स्कूल खोला जाये जो सरकारी स्कूल तो क्या प्राईवेट स्कूलों से भी 100 गुणा ज्यादा बेहतर हो। इसके लिए चाहे हमें आस–पास के छोटे–छोटे स्कूलों को ही बंद क्यों न करना पड़े। उन्हें आप बंद कर दीजिए क्योंकि अगर इस प्रकार से एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जायेगी। इसके साथ–साथ उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा फ्री की जाये तथा दूसरी सभी सुविधायें बच्चों को दी जायें। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केयरिंग स्टाफ की भी व्यवस्था कर दी जाये ताकि उनको केयरफुली घर से लाया जाये और छुट्टी होने पर उनको घर छोड़ा जाये। इसके साथ–साथ बच्चों के लिए मिल्क और फूड की फ्री व्यवस्था कर दी जाये जो उन्हें स्कूल में भी और रास्ते में भी दिये जायें। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे सरकारी स्कूल खोले जायें जो हरेक मामले में बेजोड़ हों। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हवा और पानी के बाद जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है वह है क्वालिटी एजूकेशन की। क्वालिटी एजूकेशन की जरूरत हमारे लिए आज के समय में टॉप प्रॉयरिटी पर है। अगर ऐसा हो जाये तो लॉ एण्ड आर्डर की समस्या भी अपने आप ही दूर हो जायेगी और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप सुधर जायेगा। कुल मिलाकर अगर हमारे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा आ जाती है तो सारा समाज और सभी का पूरा जीवन अपने आप सुधर जायेगा। मैं प्रोफैशन से अध्यापक रहा हूं इसलिए यह चिंता मुझे निरंतर सताती रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी को यह भी कहता हूं कि हम सभी विधायक साथियों की जैसी भी स्पोर्ट चाहिए चाहे being a teacher हमारे अनुभव की हो या चाहे दूसरे किसी भी प्रकार की स्पोर्ट हो हम सभी वह स्पोर्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सभी भी यही चाहते हैं कि आप कम से कम ऐसे भगीरथ प्रयास करें कि बच्चों को दी जा रही एजूकेशन की क्वालिटी सुधर जाये। जैसा कि इन्होंने खुद ही माना कि आरोही स्कूल खोल दिये लेकिन एक साल से वहां पर कोई अध्यापक ही नहीं है।

[प्रो. सम्पत सिंह]

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूल के लिए चाहे आप बिल्डिंग न बनायें क्योंकि बिना बिल्डिंग के तो काम चल ही जायेगा क्योंकि पहले समय में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ लिया करते थे। हम भी पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़े हैं और जहां हम पढ़ें हैं वहां पर बैठने का कोई प्रॉपर अरेजमैंट नहीं था इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि बिल्डिंग के बिना काम चल जायेगा लेकिन अच्छे और हाई क्वालीफाईड टीचर की जरूरत सबसे ज्यादा है। अच्छे और हाई क्वालीफाईड टीचर के बिना काम नहीं चल सकता इसलिए अच्छे और हाई क्वालीफाईड टीचर्ज की व्यवस्था हर हाल में सबसे पहले होनी ही चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी स्कूल विशेष के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बने तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अगर किसी स्कूल के लिए अच्छे और हाई क्वालीफाईड टीचर्ज की व्यवस्था नहीं हुई है तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई नहीं हो सकती है। सरकार द्वारा अच्छी पॉलिसी तो बना दी जाती है लेकिन उसका कम्पलीट इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रहा है और न ही ठीक तरह से मानिटरिंग हो रही है यह भी सबसे बड़ी चिंता की बात है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister why can't we have the schools in ten kilometer radius which will be on the pattern of public schools where children will be transported, they will be given food and quality teachers. Why don't we close all those schools which do not cater to such type of education?

श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल : अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस बारे में बहुत वाजिब चिन्ता जताई है। हमारे सम्मानित सदस्य ने एक आश्वासन दिया है और सभी सदस्यों की तरफ से भी यह आश्वासन होना चाहिए कि जो भी स्पोर्ट एम.एल.ए. की तरफ से होनी चाहिए वह मिलनी चाहिए। स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं इस बात का आश्वासन चाहती हूं कि हम लोग आर.टी.ई. को देने में, स्कूल खोलने में, स्कूल अपग्रेड करने में और टीचर भर्ती करने में, क्वालिटी ऐजूकेशन देने में सरकार का सहयोग करेंगे लेकिन हमारे ज्यादातर विधायक साथी टीचरों की ट्रांस्फर के नोट लेकर 365 दिन घूमते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है। हमने हरियाणा में इस समय समैस्टर सिस्टम लागू किया है। हम क्वालिटी ऐजूकेशन की बात कर रहे हैं और हमें टीचर्ज की बहुत चिन्ता हो रही है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती अनीता यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में ए.डी.सी. की अध्यक्षता में गांवों में 6 प्रार्थियों में से एक मेल और एक फिमेल टीचर को सिलैक्ट किया जायेगा, मैं यह जानना चाहती हूं कि उसमें भी क्वालिटी ऐजूकेशन के क्या नार्म्ज होंगे?

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, क्या उस पैनल में जो अधिकारी होंगे आप उनकी क्वालिटी की बात कर रही हैं?

श्रीमती अनीता यादव : सर, ए.डी.सी. की तरफ से हमारे पास मैसेज आया

है कि गांव में से तीन लेडीज और तीन जैन्ट्स जो पढ़े लिखे होंगे उनको चुना जाएगा और उन 6 प्रार्थियों में से एक लेडी और एक जैंट्स को सिलैक्ट किया जाएगा। उस योजना का नाम क्या है, क्या इस बारे में भी शिक्षा मंत्री जी कुछ बतायेंगी कि शिक्षा की यह स्कीम कितनी कामयाब है?

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनीता जी शायद उस स्कीम का जिक्र कर रही हैं जिसमें 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को पढ़ाया जाता है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, टीचर्स के बारे में और क्वालिटी टीचर्स के बारे में जैसा कि हमारी सम्मानित बहन अनीता यादव जी ने कहा और पहले भी काफी सदस्यों ने कहा है। टीचर्स की भर्ती के लिए हमने अलग से टीचर्स भर्ती बोर्ड का गठन कर लिया हैं एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. के प्रिव्यू से टीचर्स की सभी भर्तियां बाहर कर ली हैं। साढ़े 9 हजार टीचर्ज की नई पोस्ट्स सैंक्शन हो चुकी हैं। बच्चें की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि टीचर्स को सैशन के बीच में रिटायर नहीं किया जायेगा। अगर वे साल के बीच में रिटायर हो रहे होंगे तो उनको रिइम्पलाई किया जायेगा ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। हमारे साथी ने जो 36 बैकवर्ड ब्लॉक आरोही स्कूलों के बारे में चिन्ता जताई है उस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पहली बार हरियाणा सरकार ने इस बारे में एक अच्छा केस बनाकर भारत सरकार को भेजा। हमने पहले भी भारत सरकार से आरोही स्कूल मांगे थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाये लेकिन इस बार हमने भारत सरकार को 36 केस भेजे थे और 36 के 36 केस हमारे मंजूर होकर आये और हमें इन स्कूलों के लिए पैसे मिल गये। अध्यक्ष महोदय, जब कोई आदमी अपना नया घर बनाता है तो वह पहले उसकी नींव रखता है फिर बिल्डिंग बनती है। अध्यक्ष महोदय, किसी काम में समय जरूर लगता है लेकिन हमारी इस बात में बिल्कुल क्लीयर इन्टेन्शन है और क्वालिटी एजूकेशन देने के लिए हमने डेपुटेशन पर अपने लैक्चरर्ज को लगा दिया है। आरोही स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ये जहां-जहां भी खोले गये हैं वहां हम इनको सोसायटल मोड पर चला रहे हैं। अति शीघ्र अच्छे क्वालिटी टीचर्स हम भर्ती कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित सदस्यों से दूसरा आश्वासन यह चाहती हूं कि शिक्षा के सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादलों के लिए न कहे ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। हमने सरकारी स्कूलों में अध्यापक पात्रता परीक्षा पास अध्यापक लगाये हैं। हमारे कुल 47 लाख बच्चों में से लगभग 27 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 20 लाख बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमारे सरकारी स्कूलों की क्वालिटी और सरकारी टीचर्ज की हायर क्वालिफिकेशन के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। सर, यह एक चिंता का विषय है। हमने अपने स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने की पूरी कोशिश भी की है। इसके लिए हमने मोनिटरिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट भी किया है। जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि सरकारी स्कूलों में केवल गरीब तबके के एस.सी., बी.सी. और बी.पी.एल. परिवारों के ही बच्चे पढ़ने आते हैं वह भी तब जब हरियाणा सरकार और माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

जी ने यह निर्णय लिया है कि गरीब परिवार का कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से घर पर न बैठे। हम हर स्कूल में आने वाले बच्चे का बैंक में खाता खोलकर उसको जहां स्टाईफंड दे रहे हैं वहीं राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं और अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से घर पर न रहे और पढ़ने के लिए स्कूल में आए। हमने विशेष तौर से जहां रिटायर हुए टीचर्ज को रिइम्पलॉय किया है उसी के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी में पिछले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण पुरस्कार योजना घोषित की थी। हमने इस बार 26 जनवरी को मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण पुरस्कार योजना के तहत हमारे ब्लॉक लैवल, डिस्ट्रिक्ट लैवल और राज्य लैवल पर जो भी स्कूल हैं उनके लिए अच्छे अवॉर्ड घोषित किये हैं ताकि उनका इन्फारस्ट्रक्चर बेहतर हो पाए और उसके बड़े ही सकारात्मक नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि टीचर्ज के साथ-साथ स्कूलों की अपग्रेडेशन और बिल्डिंग्ज के इन्फास्ट्रक्चर में भी कोई कमी न रहे। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी स्कूलों में पीने के पानी की पूरी सुविधा हो, लड़कियों के लिए विशेष तौर से अलग से टॉयलट हों। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी चिंतित हैं जहां कोर्ट इस बात के लिए मोनिटरिंग कर रही है वहीं सरकार भी इस बात को सुनिश्चित कर रही है। जब भी इस तरह की कहीं से रिक्वैस्ट आती है हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य बतरा जी जो रोहतक विधान सभा क्षेत्र से हैं उन्होंने मिड-डे-मील के बारे में अपनी चिन्ता जताई है। स्पीकर सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मिड-डे-मील योजना एक बहुत बढ़िया योजना है जो केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और हरियाणा सरकार ने भी उसे अच्छे ढंग से शुरू किया हुआ है। मिड-डे-मील के तहत पहले दलिया या खिचड़ी दी जाती थी। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि हमने कोशिश की है कि हमारे स्कूलों में अलग से किचन बनें किचन्ज की अलग से व्यवस्था के लिए पैसा सरकार की तरफ से दिया गया हैं कई जगह स्कूलों में तो किचन्ज बनाई जा चुकी हैं और कई जगह बनाई जानी बाकी हैं। स्पीकर सर, मैं सदन में यह आश्वासन देना चाहूंगी कि मिड-डे-मील के तहत अच्छा खाना, पौष्टिक प्रोटीन, बढ़िया खाना बच्चों को मिले इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मिड-डे-मील के तहत हमने करीबन सोलह आईटम्ज़ अपने मीनू में रिवाईज किए हैं। जिसमें सरकार स्कूली बच्चों को छोले, पूरी, चावल दाल, कढ़ी चावल, हलवा और खीर आदि सारे आईटम्ज खाने के लिए दिए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हम स्कूलों को अच्छे इन्फास्ट्रक्चर दें। मिड-डे-मील के तहत सरकार ने जो मीनू रिवाईज किया है। उसका नतीजा यह निकला है कि बच्चे पहले स्कूल में जो खाना खाते थे उसकी बजाए अब हमारे बच्चों में होमाग्लोबीन बहुत ज्यादा बढ़ा है। बच्चों की हैल्थ भी काफी इम्प्रूव हुई है। अब खाने की अच्छी क्वालिटी का भोजन हम बच्चों को दे रहे हैं। हर जिला लैवल पर डी.सी. की अध्यक्षता में हमने एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया है ताकि सभी स्कूलों में यह निगरानी की जा सके कि मिड-डे-मील के लिए जो भी चीज दी जाती हैं जैसे अनाज,

चावल, दाल, तेल आदि ये सब चीजें हमारे बच्चों को जरूर मिलें इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना जोकि हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है की भी घोषणा की है। यह योजना जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं उन सभी बच्चों के लिए है। इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत हरेक बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उन बच्चों के पेट में चाहे कीड़े हैं, चाहे उनकी नजरें कमजोर हों या दांत खराब हों, सरकार द्वारा न केवल बी.पी.एल. बच्चों को बल्कि शत प्रतिशत बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं उन सबका मुफ्त में ईलाज किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने और जैसा कि बहन सुमिता जी ने कहा कि इन्होंने स्कूलों में जाकर जो कुछ देखा है इस बारे में हमें बताया है कि वहां बच्चों की संख्या कम होने के बावजूद हम बच्चों को फैसीलिटीज दे रहे हैं। हमारी कोशिश मोनिटरिंग को स्ट्रैथन करने की है हमारे सरपंच हों, पंच हों, जिला परिषद् के मैम्बर हों, ब्लॉक समिति के मैम्बर हों, हमारे पक्ष या विपक्ष के विधायक साथी हों, मंत्री हों, या अफसर हों इन सभी की ओर मीडिया के लोगों की यह जिम्मेवारी है कि हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करें कि हमारी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रैथन होगी। सम्पत सिंह जी ने भी इस बात का समर्थन किया हे कि जो पैसा सरकार देती है उसको हमें अच्छे ढंग से मोनिटर करना चाहिए।

Mr. Speaker : Why can't an MLA go and visit as Mr. Bharat Bhushan said.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि अनेक कमेटियों का गठन जिला लैवल पर किया गया हैं जब हमारे पास स्कूल की अपग्रेडेशन, कमरों या टीचर्ज के बारे में शिकायतें आती हैं तो हम उन पर यथासंभव कार्यवाही करते हैं। स्पीकर सर, हमारी बहन अनीता यादव ने ए.डी.सी. के माध्यम से कमेटीज के गठन के बारे में एक चिंता जताई है। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू करने की कोशिश की गई हैं चाहे स्कूलों में कमरें बनाने की बात हो, चाहे नई बिल्डिंग्स बनाने की बात हो, चाहे स्कूलों में अच्छे टीचर्स देने की बात हो हमने डिस्ट्रिक्ट लैवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजैक्ट कोर्डीनेटर डी.पी.सीज. लगाये हुए हैं। हमने स्टेट लैवल पर स्टेट प्रोजैक्टर डायरेक्टर की नियुक्ति की हुई है जो सर्व शिक्षा अभियान को पूरी तरह से मोनिटर करते हैं। स्टेट लैवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके चेयरमैन हैं। चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में साल में दो बार एक्जैक्टिव काऊंसिल और जनरल काऊंसिल की मीटिंग्ज होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा जिलों में दिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने जिलों के ए.डी.सीज. को उसका चेयरमैन बनाया हुआ है।

Mr. Speaker : But why do you want to leave everything with the officers, why don't you allow the MLAs to look into all these aspects.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं इस विषय में बताना चाहूंगी कि हमारी बहुत सी कमेटियों में हमारे सदन के माननीय सदस्य भी मैम्बर हैं तथा समय-समय पर इनको भी कमेटियों की इंटीमेशन दी जाती है (विघ्न) स्पीकर सर, ए.डी.सीज. की अध्यक्षता की मीटिंग की बात नहीं हो रही है। स्टेट लैवल की मॉनिटरिंग कमेटीज में जहां मुख्यमंत्री जी चेयरमैन हैं, चीफ सैक्रेटरी तथा खुद मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें मैम्बर्स भी कार्यरत हैं। जिले लैवल पर भी हमारे विधान सभा के सम्मानित सदस्यों ने हमारे सांसदों ने और मैंने स्वयं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर शिक्षा की जोत और अलख जगाने का तथा एक विकास यात्रा चलाने का काम शुरू किया है। हरियाणा के मेवात जिले से हमने "शिक्षा का हक" कार्यक्रम लांच किया है। स्पीकर सर, हमने हर स्कूल में आदेश दिये हैं कि 15 अगस्त तथा 26 जनवरी जोकि हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नैशनल फैस्टिवल हैं उस दिन हर स्कूल में झंडा फहराया जायेगा तथा बच्चों को हमारे राष्ट्रीय त्यौहारों के बारे में जानकारी दी जायेगी। स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगी कि यह केवल एक मंत्री की या मुख्यमंत्री की ही नहीं बल्कि हम सबकी एक कोलैक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी है कि हम यह बीड़ा उठायें कि हमारा हर बच्चा स्कूल में आये। इस दिशा में हमने एक कदम यह और उठाया है कि न केवल वे बच्चे जो गांव में रहते हैं बल्कि ऐसे बच्चे जो लेबर्स के हैं, जो घुमंतु जाति के हैं उनके लिए हमने भट्ठा पाठशाला चलाने का काम किया है। जहां पर भट्ठे बहुत ज्यादा संख्या में हैं वहां पर हमने भट्ठा पाठशालायें एन.जी.ओज. के माध्यम से चलाई हैं। जिन एन.जी.ओज. ने बढ़िया काम किया है उनको हम दोबारा भी काम देंगे तथा जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनका दोबारा काम नहीं देंगे (विघ्न)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो भट्ठा पाठशालाएं चलाई गई थीं और उनमें दस टीचर्ज भी लगाए गए थे, उन पाठशालाओं को दस दिन बाद ही क्यों बंद कर दिया गया?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : ये भट्ठा पाठशाला क्या है?

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगी कि गांव में भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के 20-25 बच्चे वहां स्थित बड़े भट्टे पर पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और वहां टीचर उनको पढ़ाने के लिए जाते थे। वहां टीचर लगाने के बाद 10 दिन बाद ही टीचर हटा दिये, इसका क्या कारण है। मैं यह जानना चाहूंगी? जब कि A.D.C. व जिला शिक्षा अधिकारी की कमेटी ने उन अध्यापकों को नियुक्त किया था।

Mr. Speaker : I think enough has been said on this issue. Let us move on to the next subject. I think sufficient discussion has taken place. Now there are three questions. ये छोटे-छोटे से सवाल हैं। एक तो यह है कि जो एम.एल.एज. हैं मैं समझता हूं कि वे भी इंस्पैक्शन कर सकते हैं। इंस्पैक्शन करके वे जितने नोट माननीय मंत्री जी को भेजेंगे उससे यह भी पता लग जायेगा कि आप जो कंसर्न यहां ऐक्सप्रैस कर रहे हो, वह आपने दस स्कूलों को विजिट करके मंत्री

जी की कॉलेज में कुछ लाए और आपने इस बारे में कुछ ऐफर्ट्स किये? दूसरा सवाल मॉडल स्कूल बनाने के बारे में जरूर पैदा होता है कि जैसे किसी स्कूल में 25–30 स्टूडैंट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा है तो उसकी बजाए आप एक स्कूल पब्लिक स्कूल पैटर्न पर 10 किलोमीटर के एरिया में बनाने का कोई सुझाव आया है, थर्डली जो इन्होंने मिड डे मील के बारे में पूछा है और अनीता यादव जी ने जो भट्ठा पाठशाला के बारे में पूछा है या सुमिता जी ने पूछा है, इन तीनों के बारे में आप ब्रीफ स्टेटमैंट सदन में दे दीजिए and that is over.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कंसर्न जाहिर किया है, ऐज ए कस्टोडियन ऑफ दि हाउस आपका बड़ा ही वाजिब कंसर्न है। अध्यक्ष महोदय, पहले डी.सी. के दो काम होते थे, एक तो ला एंड ऑर्डर को मेन्टेन करना और दूसरे रेवेन्यू कलैक्शन करना। यह मैंने पोलिटिकल साइंस में पढ़ा था। आज डी.सीज को 113 कमेटीज का चेयरमैन बना रखा है, किस–किस कमेटी में डी.सी. जाएगा। पब्लिक रिप्रजैंटेटिव का कहीं भी जिक्र नहीं आता। उसकी कमेटी में एम.एल.ए. होता है। He is the Chairperson and M.L.As. are the Member. How can MLA attend the meeting chaired by the Deputy Commissioner who is at so low level of protocol? Our protocol is above the Chief Secretary. इस प्रकार स्पीकर सर, हम विधायकों को तो ऐसा बना दिया जैसे पंगू हों। हमारे पास और कोई काम नही रह गया है। मंत्री महोदया ने पॉलिसी की बात की, हम स्पोर्ट करते हैं। एक महीने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई। There was no transfer made in June. ट्रांसफर के लिए जून का महीना हर मंत्री को दिया गया था। ये बताएं कि इन्होंने जून के महीने में एजूकेशन डिपार्टमैंट में कितनी बदलियां की ? यदि किसी व्यक्ति की जैनुअन तकलीफ है तो वह तो बार–बार हमारे पास आएगा ही। अगर आप उसको पॉलिसी के हिसाब से बदल दो तब तो ठीक है लेकिन आप बदली करेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, एक महीना इनको इस काम के लिए मिला उसमें एक भी बदली नहीं हुई।

Mr. Speaker : Now, this is the final statement by the Minister, जगबीर जी, अब आप भी कह लीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री महोदया बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात शिक्षा के सुधार के लिए लगा रही हैं लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने परसैंट बच्चे स्कॉलरशिप लेने की बजाय क्वालिटी ऐजूकेशन के लिए स्कूल में पढ़ने जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह जवाब आ गया है। Hon'ble Minister this is the last. We have to move on the next subject also. We can not just remain here also.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वैश्चन का आंसर आ जाए उसके बाद आप मूव कर देना।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister please be brief. I think you made a very exhaustive statement and most of the queries have been answered. So, be brief on this please. Give pointed answers to the pointed questions.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, हमारे सभी सदस्यों ने और पूरे सदन ने ऐजूकेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिन्ता की है। इतनी ज्यादा चिन्ता हमारे सभी सदस्यों द्वारा करना बहुत ही अच्छी बात है। बहन अनिता जी ने भट्ठा पाठशालाओं के बारे में बात की है। कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई किए बगैर न रह जाए इसलिए ऐसा प्रयास सरकार ने किया है। हमने एन.जी.ओज. के माध्यम से भट्ठा पाठशालाओं में पढ़ाई करवाई और उन बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था वहां के नजदीक के सरकारी स्कूलों के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश की गई। जिन संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया उनको हम दोबारा भट्ठा पाठशालाओं के लिए रिएलोकेट कर रहे हैं। दूसरी बात प्राईवेट स्कूलों में बच्चें की संख्या बढ़ने के बारे में कही गई है। यह भी बहुत चिन्ता का विषय है। मेवात के बारे में हमारे माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी और दूसरे सम्मानित सदस्य जानते होंगे कि एन.जी.ओज. के माध्यम से दस्तके तालीम कार्यक्रम मेवात में हमने चालू किया और हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर एक–एक दरवाजे पर दस्तक दी और करीबन सात हजार बच्चों में से साढ़े पांच हजार बच्चों ने वहां पर एडमिशन लिये हैं। इसी प्रकार की कोशिश हमने सभी जिलों में करनी है ताकि आर.टी.ई. के तहत कोई भी बच्चा किसी भी कक्षा में ड्राप आऊट कर गया है और उस बच्चे को हम स्कूल में लेकर आते हैं तो एप्रोप्रिएट क्लास में उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जायेगा। हमें इस बात पर पूरा जोर देना होगा कि सरकारी स्कूलों में टीचर्ज पर सख्ताई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसके लिए अपने माईंड लैवल और माईड सैट को चेन्ज करने की बहुत आवश्यकता हैं आज समय है कि हम अपने टीचर्ज की एकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। प्रिंसिपल और हैड मास्टर्ज की पूरी मोनिटरिंग कर रहे है और इसके लिए सभी सदस्यों का पूरा सहयोग अगर हमें मिलेगा तो हम लोग हरियाणा में और ज्यादा अच्छे ढंग से शिक्षा के स्तर को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मॉडल स्कूल्ज की जो बात कही गई है यह बहुत ही बढ़िया बात है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रयास किए हैं। वर्ष 2005 से पहले श्री सम्पत सिंह जी भी यहां पर थे और वर्ष 2005 के बाद भी हैं मॉडल स्कूल हमने ऐजूकेशन बैकवर्ड ब्लॉक में खोले, किसान मॉडल स्कूल खोले, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमने खोले और बहुत से साईंस स्कूल, कामर्स स्कूल, खेल विश्वविद्यालय खोलने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं सरकार का पूरा प्रयास है कि अगर बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो वे खेलने के लिए स्कूल में आयें। इसलिए हमारी सरकार ने "SPAT Play for India" कार्यक्रम शुरू किया। स्पीकर सर, हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह बच्चे स्कूल में आयें। बच्चे प्राईवेट स्कूलों में भी जाते हैं और अगर प्राईवेट स्कूल अच्छी ऐजूकेशन दे रहे हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार की कोशिश यह है कि गांवों में पैसे की कमी के कारण या किसी दूसरी वजह से बच्चे अपने घर पर न रहें और वे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आयें। स्पीकर सर, हमारी बहन ने जो आर.टी0ई0 एक्ट की धारा 134–ए के बारे में बात कही हैं कि उसके लिए प्राईवेट स्कूलों की एसोसिएशंज ने बहुत लम्बे समय तक धरने दिए और जलूस निकाले। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों के एडमिशन देने का प्रोविजन

भी किया है। हमारे प्राईवेट स्कूल बी.पी.एल. परिवार के बच्चों को 25 प्रतिशत आर.टी.ई. एक्ट की धारा 134–ए के तहत एडमिशन देंगे। यह नया प्रावधान नहीं है बल्कि वर्ष 2007–2008 में यह प्रावधान शुरू किया गया था। अब केवल हमने उस पर मोनिटरिंग करनी शुरू की है। बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने, बहुत से पेरेन्ट्स ने और मीडिया के बहुत से सदस्यों ने यह बात कही कि प्राईवेट स्कूल 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो सरकार ने इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया है और इसके साथ–साथ हाई कोर्ट ने भी इसको मोनिटर करना शुरू कर दिया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर प्राईवेट स्कूल जिन–जिन 25 प्रतिशत बच्चों को एडमिशन देता है उन बच्चों की लिस्ट वह अपने स्कूल में डिस्पले करे। कई प्राईवेट स्कूलों ने वह लिस्ट डिस्पले नहीं की और कई प्राईवेट स्कूलों ने इस बारे में हल्ला किया। स्पीकर सर, इसके लिए मैं सदन में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी क्योंकि यह कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि 25 प्रतिशत प्राईवेट स्कूलों को 134–ए के तहत एडमिशन देना पड़ेगा या 25 प्रतिशत बच्चों को राईट टू ऐजूकेशन ऐक्ट के तहत एडमिशन देना पड़ेगा। स्पीकर सर, इसके बारे में मैं यह बात क्लीयर करना चाहूंगी कि धारा 134–ए के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को जो बी.पी.एल. का क्राइटेरिया हरियाणा सरकार ने फिक्स किया है, उसी के तहत एडमिशन दिए जायेंगे और राईट टू ऐजूकेशन ऐक्ट के तहत जो 25 प्रतिशत एडमिशन दिए जायेंगे उसमें केवल हम जो नेबरहुड स्कूल आईडैंटिफाई करेंगे जहां पर हमारे सरकारी स्कूल नहीं होंगे उन्हीं प्राईवेट स्कूलों को केवल 25 प्रतिशत एडमिशन देना पड़ेगा। स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगी कि उन बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों को सरकार खुद रिफण्ड करेगी जहां पर वे पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे। मेवात से आफताब अहमद जी ने कहा कि चाहे मॉडल स्कूल की बात हो या स्कूल ऐजूकेशन की बात हो, मेवात में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं। वैसे तो हमने हर ब्लाक में आई.टी. आईज., पोलटैक्निक कालेज देने का भी काम किया है। हमने अलग से उर्दू के 552 टीचर्स की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमैंट भी निकाल दिया है और अति शीघ्र ही उनकी भर्ती हो जाएगी। सैंट्रल गवर्नमैंट से फण्डिड जो कस्तूरबा गांधी स्कूल की स्कीम है इसके बारे में हमारे माननीय साथी ने चिंता जाहिर की कि ये स्कूल 10वीं तक हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि विशेष तौर से बैकवर्ड एरिया की जो बच्चियां हैं वे जरूर पढ़ें। मैं इस सदन में इस बात की घोषणा करना चाहूंगी कि हम स्टेट फण्ड से ही कस्तूरबा गांधी स्कूल जो हमारे 10वीं तक चल रहे हैं। उनको हम 12वीं तक कर देंगे ताकि हमारी बच्चियां 12वीं तक अच्छी प्रकार से शिक्षा ले सकें। (विघ्न)

Mr. Speaker : Let me ask a question. Hon'ble Minister, this is only just one Model Sanskrit School in district Sonepat that happens to be in Gannaur. It was opened in a school which is a building of 60 years vintage and a portion of the school was declared unsafe. There are 1700 students. The School is in huge success. The teachers are quality teachers but the premises that you have provided to a model school in Gannaur, you must look at it. 1700 Children study in an area of about less than 2 acres, that is the situation.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मॉडल संस्कृति स्कूल जो बनाए गए हैं उसके लिए हमने अलग से फण्डस का प्रोवीजन किया है। हमने इन स्कूलों में साईंस लैब का भी और टीचर्स का भी प्रोवीजन करवाया है।

Mr. Speaker : Are you assuring me that you will give new premises to that model school in Gannaur?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, हम गन्नौर के मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए फण्डस का प्रोवीजन जरूर करवा देंगे।

Mr. Speaker : Thank you very much. (Interruption) अनीता जी, भट्ठे पर स्कूल खुलवाने के बारे में कह रही हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, भट्ठे पर हर जगह स्कूल खुलेंगें।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे छोटी सी अर्ज यह है कि ढाणियों में या छोटे गांवों में जो स्कूल हैं वहां नार्म्स के हिसाब से अगर 2–4 बच्चे कम रह जाते हैं तो उन स्कूलों को बंद करने का प्रावधान हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस नार्म्स के मुताबिक हमारे यहां के कई स्कूल बंद हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि क्या इस तरह की जो ढाणियां हैं जो गांव से दो–दो या तीन–तीन किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है, वहां के स्कूलों के लिए इन नार्म्स में ढील दी जाए और इन स्कूलों को बंद न किया जाए।

Mr. Speaker : It is a very important question and this will be answered.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहकर अपना स्थान ले लूंगी। पूरे देश में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने राइट टू एजूकेशन एक्ट लागू करवाया। माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस राइट टू एजूकेशन एक्ट को लागू करने के लिए पूरा प्रयास किया और इसके लिए मैक्सीमम बजट भी अलॉट किया गया। माननीय सदस्यों ने एक चिंता जाहिर की इसलिए मैं सदन को बताना चाहूंगी कि हमने जब राइट टू एजूकेशन एक्ट नोटिफाई किया था तो हमने हर सदस्य को इसकी कापी भेजी और हमने इस एक्ट को वैबसाइट पर भी डाला। हमें केवल एक आध सदस्य के ही इस पर सुझाव आए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब हम इस एक्ट को नोटिफाई कर चुके हैं फिर भी हमारा कोई भी सम्मानित सदस्य राइट टू एजूकेशन एक्ट को लेकर कोई सुझाव देना चाहेगा तो हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। इसके साथ–साथ हम लोग इस बारे में सुनिश्चित करेंगे कि sensitization of media and sensitization of our own MLAs, we will organize some type of workshop ताकि हमारे सदस्यों की जो चिंता है इसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके। धन्यवाद सर।

आधे घंटे की चर्चा

(i) मेवात क्षेत्र में विकास कार्य संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now half an hour discussion regarding development works in Mewat area will take place. Mr. Aftab Ahmed may continue please.

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस गरिमामय सदन का इतना महत्वपूर्ण समय मेवात जैसे क्षेत्र के विकास पर एक विशेष बहस के लिए दिया और सरकार के सामने मेवात के डिवैल्पमैंट वर्क्स पेश करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास पुरुष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने सराहनीय और ऐतिहासिक प्रगति की है, यह बात सभी को मालूम है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी इलाके की तरक्की के लिए मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी होता है और मौजूदा सरकार ने मेवात में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले की गरीब जनता की प्यास बुझाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां 343 गांवों को लगभग 100 कि.मी. दूर से पाईप लाकर उनकी पीने के पानी की समस्या दूर की हैं इसके अतिरिक्त मेवात की गरीब जनता की बेहतर सेहत के लिए वहां अस्पताल, सी.एस.सी., पी.एच.सी. और सब सैंटर आदि विकसित किए गए हैं और 678 करोड़ रुपये की लागत से मैडीकल कालेज बनवाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर हैं अध्यक्ष महोदय, तालीम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चाहे वह प्राथमिक शिक्षा की बात हो, माध्यमिक शिक्षा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो या कालेजों की बात हो, मेवात में सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए तथा सबसे ज्यादा नये स्कूल खोले गये। इसी तरह से मेवात में नये कालेज भी खोले जा रहे हैं और विशेषतौर से मेवात को महिला कालेज भी दिया गया हैं इसके साथ–साथ वोकेशनल एजूकेशन देने के लिए नूंह में सबसे बड़ी को–एजूकेशन की आई.टी.आई. आने वाले सत्र में खुल जायेगी जो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। इसके अतिरिक्त मेवात में अन्य सात आई. टी.आईज. को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने बताया कि दस्तके तालीम के माध्यम से बच्चों को दावत दी गई और उसमें 7000 बच्चों में से 5500 बच्चे अब तालीम ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त 542 उर्दू टीचरों की भर्ती की भी बात कही गई है। कोई भी जुबान किसी मजहब या कौम की नहीं होती। हमारे यहां संस्कृत भी पढ़ाई जाती है लेकिन तहजीब और इस गौरवमय देश की जुबान उर्दू, जो आजकल नहीं पढ़ाई जाती। वह हमारे मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री महोदया ने प्रयास करके इस जुबान को आगे बढ़ाने के लिए जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने का कदम उठाया है यह आने वाली नस्लों में हमारी तहजीब, संस्कृति व सभ्यता को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई इलाका या कोम तब तक नहीं पिछड़ता जब तक वह इलाका अपनी वतन परस्ती और देश के प्रति वफादार रहता हैं हमारे देश में विदेशी शासक आये उन्होंने इस देश की जब भी अस्मिता पर हाथ डाला तो हमारे इलाके ने हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ीं

[श्री आफताब अहमद]

इसी तरीके से अंग्रेजों से भी हमारे एरिया ने लोहा लिया। हमारा देश आजाद हो गया और उसके बाद हमारे इलाके में दूसरी सरकारों की वजह से बहुत कम काम हुए, जिसके कारण वह एरिया पिछड़ता चला गया। प्रदेश की आजादी के बाद यहां कुछ कार्य शुरू हुए लेकिन जो हक हमारे एरिया का था वह हमें नहीं मिला। जिसके कारण यहां जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। अध्यक्ष महोदय, मेवात पहले गुड़गांव जिले का हिस्सा हुआ करता था। यदि विदेशों में भी दिल्ली और गुड़गांव का नाम लिया जाये तो सभी लोग जानते हैं कि गुड़गांव हिन्दुस्तान का बहुत उम्दा तरक्की आफता शहर है लेकिन उसी का हिस्सा होते हुए हमारा इलाका पिछड़ गया। इसमें कहीं न कहीं जो पिछली सरकारें थी उनकी जवाबदेही बनती है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तमाम परिस्थितयों को भांपते हुए हमारे इलाके के लिए अनेकों अच्छी–अच्छी योजनाएं बनाई और उनको क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। उन्होंने 2005 से हरियाणा प्रदेश की बागडोर सम्भाली और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप कार्य करना शुरू किया और सम्पूर्ण मानव जाति के विकास की सोच के तहत उन्होंने हमारे विशेषकर शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए इलाके का पूर्ण विकास करने का प्रयास किया जो काबिलेतारीफ है। हमारे इलाके को विकसित करने के लिए उन्होंने जो नियत और सोच बनाई और जो प्राथमिकताएं निर्धारित की और विकासशीलता के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिये गये वह काबिले तारीफ हैं। तमाम विकास योजनाओं को उन्होंने हमारे यहां क्रियान्वित किया और पेश आ रही सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए पिछले सात साल में जो बदलाव आया है उसके नतीजे आने वाले वक्त में सामने आयेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रयासों से आज हमारा इलाका गंगा–यमुना की संस्कृति का जीवंत उदाहरण बन गया हैं सारी की सारी कौमें मिलकर तरक्की करना चाह रही हैं और जीवन के पथ पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं। हमारे यहां भाई चारा, अमन और साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण मजबूत रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे अभी भी हमें खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरी पानी नहीं मिल रहा है और हमें सिर्फ बरसात के पानी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हमारे पूरे इलाके के लिए पर्याप्त नहरी पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाये इसके लिए अभी तक जो प्रयास किये गये हैं उनमें तीव्रता लाई जाये ताकि पानी के अभाव में हमारी फसलें न सूखने पायें। इसी के साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के भी समुचित अवसर उपलब्ध करवाये जायें। रोजगार के नये–नये अवसर पैदा किये जायें जिनको हमारे नौजवान अपनी–अपनी योग्यता के मुताबिक प्राप्त कर सकें और जिससे उनका जीवन खुशहाल बन सके। स्पीकर सर, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने आप पर भरोसा है और अपने इलाके के ऊपर भी भरोसा है और इस सबसे बढ़कर विशेष तौर पर हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि अगर हम इसी तर्ज पर

इसी नियत से, इसी नीति से और साथ में इसी लगन से आगे बढ़ते रहेंगे तो मेवात का इलाका पूरी तरह विकसित हो जाएगा। बेशक गुड़गांव का एक हिस्सा रहते हुए हमें वह तरक्की और वह हक नहीं मिला हो जिसके हम सही मायनों में हकदार थे लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो गुड़गांव से अलग होने के बाद भी हम गुड़गांव जैसी तरक्की के मुकाम को इसी सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के सद्प्रयासों से हर हाल में हासिल करके ही दम लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीतियों में तो हमारे मेवात क्षेत्र को विशेष स्थान प्राप्त है लेकिन आपकी विशेष कृपा की वजह से सदन में भी हमारे मेवात जिले को विशेष महत्व प्रदान किया गया है इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी हमें तरक्की का और सफर तय करना है। हमें उम्मीद है कि अगर हम इसी तर्ज पर और इसी रफ्तार से चलते रहेंगे तो मेवात भी सम्पूर्ण विकास के मामले में बाकी हरियाणा की तुलना में बराबरी पर आ जायेगा और हमने जो विकसित मेवात की कल्पना की है वह भी पूर्ण रूप से साकार हो जायेगी। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will make a Statement.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं यह रिप्लाई सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

वक्तव्य–

(i) वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त चर्चा सम्बन्धी

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatta) : Speaker Sir, I immediately after the present government assumed office, it restored the dignity of people of Mewat and notified Mewat as a separate district on 4th April, 2005, superseding the earlier notification of December, 2004 which named the District as Satyamev Puram, denying the people their historic discinct identity. From the very beginning, the Government decided to make the development of the District Mewat as one of its top priority. The Government has undertaken major schemes and projects in the region which involve an amount of approximately Rs. 3000 Crore in the last seven years. An estimated expenditure of more than Rs. 2480 Crore has already been incurred as per details at Annexure I. In comparison, as per figures available, a sum of approx. Rs. 250 Crore only was spent in the Mewat area during the period from the year 1999 to march, 2005. The total flow of funds to MDA from 1999 to 2005 was only Rs. 17.75 Crore which increased to Rs. 89 Crores between April, 2005 and December 2011 as per details at Annexure-II.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

The priority of the government has been the sectors of Roads & Infrastructure, Education, Health, Drinking Water, Industrial Growth, Technical Education and Power. The progress in various sectors during the last seven years, in Mewat is as follows :

2. Infrastructure (Roads)

This Governmen has laid emphasis on development of the infrastructure in the region specially improving the connectivity by laying a network of roads.

(a) An amount of Rs. 265 Crores has been spent on four-laning and widening & strengthening of Gurgaon-Alwar Road.

(b) An amount of Rs. 99 Crores has been spent for the improvement of Hodal-Punhana Nagina Road, Bori Kothi-Punhana Road and Uttawar-Sikrawa Bhadas Road.

(c) An amount of Rs. 94 Crores has been spent on the improvement of Hodal-Nuh-Pataudi Patauda Road.

(d) An amount of Rs. 49 Crores has been spent on Punhana-Jurhera Road and service lanes on Gurgaon-Alwar Road. This has resulted in the better accessibility of the region from the neighbouring Gurgaon-Sohna belt, NH2 and NH8 thereby attracting industrial growth in the region.

(e) The construction of a new road from Nagina to Tijara is in the pipeline.

(f) KMP Expressway will be passing through Mewat region and 27 Kilometers length of KMP Expressway falls in District Mewat. This would trigger growth of industry and commerce on both sides of the highway in the Mewat region and will open up the entire area for rapid growth. The sector falling within Mewat region is almost complete. Sports City and Leather City have been planned along the expressway.

3. Education Sector

Improving literacy has been a thrust area for development of the region. A number of steps have been taken to expand the infrastructure and increase enrolment. Special efforts are being made to promote literacy amongst girls. The following are some of the initiatives :

(a) Upgradation of 230 schools from Primary to Middle, Middle to High Schol and High School to Senior Secondary. Thirty-four new primary schools have been opened. Mewat Development Agency is also running six Mewat Model Schools upto Senior Secondary level to provide English Medium quality education

and five Aarohi Schools are being run by the Education Department.

(b) To promote education amongst girls, six Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas have been opened. While setting up a College for Girls has been approved at Village Salaheri, a residential school for girls is under construction at village Khanpur Ghati.

(c) To overcome the shortage of teachers more than 1500 teachers were appointed. To promote Urdu in schools, more than 500 Urdu Teachers are proposed to be appointed.

(d) An amount of Rs. 14.21 Crore has been distributed to 85,197 students of SC, BC, BPL and Minority Categories under the incentive schemes of the Government. All these measures have attracted an additional number of 50,000 students for enrolment to schools and colleges.

(e) An Engineering College has been set up by Waqf Board in Village Palla near Nuh.

4. Health

Improving the health parameters in the Mewat was the utmost concern, because compared to the rest of Haryana the Mewat region was poor in respect of the parameter when this Government took over. The most important initiative in this sector is setting up of a Medical College & Hospital at Nalhar, with an outlay of Rs. 678 Crores. The Hospital Section of the project is expected to start very shortly. A number of 27 specialist Doctors including the Medical Superintendent have already been appointed for the Institution. Apart from the medical college being set up, 12 PHCs (7 new and new buildings for 5 existing PHCs) one CHC and 54 Sub centres are under construction. An amount of Rs. 45.67 Crores has been allocated for this additional infrastructure. Further, in order to provide better health services, the vacancies in the hospitals have been filled up and the vacancies percentage which was as high as 75% has now been brought down to less than 20% (at present 64 doctors are working against sanctioned strength of 79). The Al-Afia Hospital in Mandi Khera has already been upgraded by the Government from 50 to 100 bedded.

In 2005, there was not a single specialist doctor in the Mewat region, whereas now nine specialist doctors are posted. While only seven Staff Nurses were available in the entire Mewat region in 2005, now 68 Staff Nurses are in position. Special drive for immunisation has been carried on door-to-door basis resulting in increase in the rate of immunisation from 12% to 40%, Infant Mortality Rate (IMR) has decreased from 80 per thousand to 65 per thousand. Referral transport system has been introduced by providing 16 Ambulances especially for Ante-Natal Check up and

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]
Institutional Delivery. In 2011 alone, 12000 women have benefited from referral services. Institutional deliveries have increased by more than four times and are now at 38%.

5. Public Health

Providing potable quality drinking water has been a challenge in Mewat region because of the quality of underground water being brackish. The drinking water supply availability and network for distribution have been augmented. For improving the drinking water supply in rural and urban areas a number of steps have been initiated which include the following.

6. Rural Areas

(a) Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme costing Rs. 205.19 Crores has been commissioned for providing water as service level of 55 litres per capita per day.

(b) In addition to above, project amounting to Rs. 94.58 Crores for raising drinking water allowance of 258 villages of Ranneywell segment from 55 lpcd to 70 lpcd has been approved. Project amounting to Rs. 43 Crores has been approved for developing Deep Tubewells.

7. Urban Areas

(a) A project amounting to Rs. 105.61 Crores for improvement of water supply scheme in Nuh and Nalhar Medical College along with 17 villages has been approved by NCRPB. Project amounting to Rs. 35.07 Crores for sewerage facilities along with STP in Nuh, Punhana and Hathin towns has been approved.

(b) Two projects costing Rs. 9 Crores and 12.30 Crores for water supply fo Punhana and Hathin towns respectively have been approved under Thirteenth Finance Commission.

(c) The laying of water supply and sewerage lines in Ferozepur Jhirka towns is in progress and total cost of the project is Rs. 5.64 Crores.

(d) Two projects costing Rs. 2.66 Crores and Rs. 11.88 Crores for augmentation of water supply and sewerage system in Taoru town respectively are in progress.

8. Industrial Growth and Technical Education

To promote industrial growth in the region, HSIIDC has acquired more than 1500 acres adjacent to Rozka Meo industrial township and also adjacent to KMP Expressway at a cost of Rs. 375 Crores. This would further attract investment in the region and would generate employment opportunities for the youth of the Mewat region. The setting up of Industrial Complexes adjacent to the KMP Expressway have already been planned.

MMTC-PAMP India Private Limited has established a gold and silver refining and minting unit in the year 2011. This unit is expected to contribute an amount of more than Rs. 600 Crores annually in the form of VAT to the State Kitty from the next financial year onwards.

To support the increasing demand of skilled manpower, existing ITIs have been strengthened and SC/ST Wings opened in two ITIs at Ferozepur Jhirka and Nagina. Further, there is a proposal to open three polytechnics and eight new ITIs. More than 400 seats in various trades have been added in the existing ITIs.

9. Power Sector

The Government has also taken up various measures to improve the supply to electricity to the consumers and also to improve the distribution of electricity in the region. Some of the measures are as under :

(a) Construction of 220 KV Sub Station at Rangala Rajpur at a cost of Rs. 28.75 Crores, The project is likely to be completed this year.

(b) An amount of Rs. 12.85 Crores spent on improving the distribution system in 37 villages.

(c) Sub Station of 66 KV at Punhana completed at a cost of Rs. 3.70 Crore.

(d) 20507 household connections to BPL families provided under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana at a cost of Rs. 20.65 Crores.

(e) 1027 new tubewell connections provided at a cost of Rs. 15.40 Crores.

(f) 8 domestic feeders were separated at a cost of Rs. 10.15 Crores.

(g) 7 new Sub stations of 33 KVA capacity are proposed to be set up at a cost of Rs. 42 Crores in the year 2012-13.

(h) New 66 KV Sub stations at Mohammadpur Ahir Taoru will be set up at a cost of Rs. 10 Crores.

(i) Improvement of 25 feeders of 11 KV Sub stations will be done at a cost of Rs. 22.46 Crores in the current year.

10. Buildings

After the setting up of the District in 2005, the construction of a number of buildings has been taken up namely ;

(a) Construction of Mini Secretariat at Nuh at a cost of Rs. 24.32 Crores.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

(b) Construction of Judicial Block at Nuh at a cost of Rs. 25.60 Crores.

(c) Construction of residential houses for revenue officers and officials at Nuh at a cost of Rs. 29.26 Crore.

(d) Construction of residential houses for judicial officers and officials at a cost of Rs. 4.56 Crores.

(e) Construction of Circuit House at Nuh at a cost of Rs. 2.72 Crores.

(f) The work of the construction of Canal Rest House has already been completed.

(g) The construction of Sub Divisional Level Administrative & Judicial Block has been completed at Ferozepur Jhirka.

11. Irrigation

A project for development of Kotla lake amounting to Rs. 116 Crores has been prepared. This will help in recharging of the ground water and for using the rain water for irrigation purposes.

12. Development & Panchayat including Rural Development

From April, 2005 to December, 2011 an amount of Rs. 69.66 Crores has been spent including the funds from HRDF. An amount of Rs. 7.27 Crores has been spent in village Gandhi Gram Ghasera which has been declared as a model village.

Under Rural Development, DRDA Mewat has spent Rs. 132.32 Crores on various schemes such as MNREGS, SGSY, IAY MP Lad, Total Sanitation and Integrated Waste Land Development Project, SJSRY etc. from April, 2005 to December, 2011. Rs. 27 Crores have been spent on various development projects under Decentralized Plan. Whereas during 1999 to March, 2005, an amount of Rs. 20.40 Crores was spent by DRDA in Mewat area.

13. Urban Local Bodies

(a) There are five municipal committees in Mewat area. Four of these namely Nuh, Ferozepur Jhirka, Punhana and Taoru fall in district Mewat and one namely Hathin falls in district Palwal.

(b) From 1999-2000 to 2004-05, an amount of Rs. 99.88 Lacs was released to these municipal committees whereas from 2005-06 to 2010-2011 an amount of about Rs. 20 Crores has been released for various works such as construction/repair of roads, drains, development of parks, provision of street lights, sanitation services and construction of community centres.

14. Agriculture

Due to IEC efforts and providing quality inputs the per hectare field of major crops in Mewat has shown a tangible upward trend. In the year

2005-06, the yield of wheat per hectare was 30.66 Qtl. which crossed the figure of 42 Qtl. per hectare in the year 2010-11. Similarly, per hectare yield of gram in the Mewat area was 5.54 Qtl. in the year 2005-06, which has increased to 11.82 Qtl. per hectare in the year 2010-11. During this period the yield of mustard has also increased from 10.52 Qtl. per hectare to 18.45 Qtl. per hecatare.

15. Residential Sectors

Land for setting up of residential sectors by HUDA in Nuh and Taoru is already under acquisition process.

16. Misc.

The Government has been instrumental in setting up two community radio stations in Nuh and Ghaghas. 'Radio Mewat' and 'Alfaz-e-Mewat' are additional feathers in the cap of Mewat and serving the community at large by keeping the people updated on new ideas, projects and welfare schemes.

A perusal of aforesaid facts should leave nobody in doubt that a multi front strategy has been put into operation in the District of Mewat to accelerate the much sought after transformation in the region.

Annexure-I

Total expenditure on development works in Mewat *w.e.f.* 01-04-1999 to 31-12-2011

Name of Department	1.4.1999 to 4.4.2005 amount in crores	2005 to Dec. 2011 Amount in crores
PWD (B&R)	54.53	188.98
HSRDC	0	459.31
MLI (DHBVN&HVPN)	33.48	124.26
Public Health	29.26	280.76
Education	1.48	161.34
Technical Education	0	18.3
Health	0.76	294.34
DRDA	20.4	132.32
Panchayat & Development	9.58	54.06
Marketing Board	9.01	24.55
Animal Husbandry & Dairing	0.096	5.13
HSIIDC	0	374
HUDA	0	16.94
Women and Child	0.302	42.57
DSWO	0	186.14
Sports	0	3.23
DWO	0	6.65
Police	0	27.09
MDA	17.75	79.86
Grand Total	176.648	2479.83

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

Annexure-II

Mewat Development Agency, Nuh

Year wise details of State Budget provision under On-Going Scheme for the year 1999-2000 to 2004-05 and 2005-06 to 2011-12

(Rs. in lacs)

S.No.	1999-2000 to 2004-05 Year	Budget Provision	2005-06 to 2011-12 Year	Budget Provision
1	1999-2000	100.00	2005.06	800.00
2	2000-01	100.00	2006-07	1000.00
3	2001-02	350.00	2007-08	1200.00
4	2002-03	425.00	2008-09	1300.00
5	2003-04	435.00	2009-10	2000.00
6	2004-05	365.00	2010-11	1800.00
			2011-12	2000.00
Total		**1775.00**		**10100.00**

During the year 1999-2005, an amount of Rs. 1775.00 lacs was received and Rs. 1742.19 lacs was spent on various developmental activities in the Mewat area.

During the year 2005-06 to 2011-12 (upto Dec. 11), an amount of Rs. 8506.87 lacs is received and Rs. 7986.87 lacs is spent on various developmental activites in the Mewat area. The balance amount is released to various implementing Agencies and the works are in progress.

(ii) गत 10 से अधिक वर्षों से राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा भूमि अधिग्रहण के अधीन निर्णित की गई न्यूनतम दरें संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now half an hour discussion was slated for today on the floor rates decided under the land acquisition policy by the various State courts over the last ten years will take place. Hon'ble Minister may please lay the statement on the Table of the House.

वक्तव्य—

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त चर्चा संबंधी

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to lay the statement on the Table of the House.

1. Land Acquisition : Approach and protection of farmers interests.

1. Farmers' concerns have always remained the top most priority of the present day Government of Haryana. Land acquisition and protection of interests of the landlosing farmers received a focused attention of the Government. The Government realised that the compensation for the land acquired by Government for various purposes did not reflect the reality on ground. Moreover, the farmers of the land owners, whose land was acquired, were not given any other relief in terms of any rehabilitation package. So, soon after assuming the office, the Government came out with a farmer friendly and pathbreaking initiative in the form of fixing floor rates for determining ; (a) fair compensation for land losers ; and (b) a rehabilation policy as an integral part of compensation.

2. One of the first steps taken by the present Government, soon after it assumed office, was the prescription of minimum floor rates for different parts of the State, based on which the compenstion amount was to be paid to the farmers. Prior to this, there was no system of prescription of minimum floor rates the compensation amounts were determined at rates below the reasonable rates, thus depriving the farmers of their rightful due. The minimum floor rates as prescribed by the Government *vide* its letter dated 28-04-2005 are given in the following table :

Table-1

Sr. No.	Area	Basic Minimum Floor Rate	30% Solatium	Interest as per law, say for 2.5 years	Total amount
(i)	Urbanisable area of Gurgaon	Rs. 15.00 lakh	Rs. 4.5 lakh	Rs. 4.50 lakh	Rs. 24.00 lakh
(ii)	Haryana sub-region of of the NCR, including Panchkula and area of Chandigarh periphery in Haryana State.	Rs. 12.50 lakh	Rs. 3.75 lakh	Rs. 3.75 lakh	Rs. 20.00 lakh
(iii)	Rest of the Haryana State	Rs. 5.00 lakh	Rs. 1.50 lakh	Rs. 1.50 lakh	Rs. 8.00 lakh

3. There after, the Government revised these minimum floor rates *vide* its orders dated 6th April, 2007 and also announced a Rehabilitation & Resttlement Policy in December 2007, implemented with retrospective effect *i.e.* from 5th March 2005. A concept of payment of Annuity for a period of 33 years was introduced for the first time in the country in order to provide an assured Social Security benefit to the farmers while respecting their emotional bond with the land. The revised rates were as under :

[Rao Narender Singh]

Table-2

Sr. No.	Area	Basic Minimum Floor Rate	30% Solatium	Interest as per law, say for 2.5 years	Gross amount
(i)	Urbanisable area of Gurgaon	Rs. 20.00 lakh	Rs. 6.00 lakh	Rs. 6.00 lakh	Rs. 32.00 lakh
(ii)	Haryana sub-region of of the NCR, including Panchkula and area of Chandigarh periphery in Haryana State.	Rs. 16.00 lakh	Rs. 4.80 lakh	Rs. 4.80 lakh	Rs. 25.60 lakh
(iii)	Rest of the Haryana State	Rs. 8.00 lakh	Rs. 2.40 lakh	Rs. 2.40 lakh	Rs. 12.80 lakh

4. There after, the Government carried out a comprehensive review of its Land Acquisition and R&R Policy, effective from 07-09-2010. The floor rates were again revised updated along with certain other benefits. The details are as follows :

Table-3

Sr. No.	Particulars	Min. Floor Rate	Solatium @30%	Amount under Section 23(1A) for 30 months on col. 3	No Litigation incentive@ 20% of the Floor Rate	Total Amount/ Acre
1	2	3	4	5	6	7
1	Land situated within the notified limits of Gurgaon Municipal Corporation	40.00 lakh	12.00 lakh	12.00 lakh	8.00 lakh	72.00 lakh
2	Land situated within the notified limits of Faridabad and Panchkula Municipal Corporations; Areas forming part of the Development Plans of Gurgaon-Manesar Urban Complex (excluding the areas falling within the limits of Municipal Corporation Gurgaon) Sohna,	30.00 lakh	9.00 lakh	9.00 lakh	6.00 lakh	54.00 lakh

1	2	3	4	5	6	7
	and Sonepat-Kundli Urban Complex.					
3	Areas situated within the Final Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Controlled Areas-2011 (excluding the areas forming part of the notified limits of Faridabad Municipal Corporation limits as mentioned under Sr. No. 2 above) and the areas situated within the Development Plans of Bahadurgarh, Rohtak, Rewari, Dharuhera, Bawal and Panipat towns.	25.00 lakh	7.50 lakh	7.50 lakh	5.00 lakh	45.00 lakh
4	Rest of the National Capital Region, areas situated out side the limits of Panchkula Municipal Corporation in Panchkula District, and the land situated within the Development Plans of all other district headquarters outside the NCR	20.00 lakh	6.00 lakh	6.00 lakh	4.00 lakh	36.00 lakh
5	Area situated within the Development Plans of Towns (other than the district headquarters) outside the NCR	16.00 lakh	4.80 lakh	4.80 lakh	3.20 lakh	28.80 lakh
6.	Remaining Parts of the State	12.00 lakh	3.60 lakh	3.60 lakh	2.40 lakh	21.60 lakh

Notes :

* The figures given under Column 5 are indicative only as the actual period for payment of 12% amount per annum u/s 23(1A) would vary from case to case ;

* 'No Litigation incentive' would be admissible only in the cases where the landowners execute an agreement to this effect and accept it as an agreed settlement compensation.

[Rao Narender Singh]

5. Apart from ensuring a minimum rate of compensation payable to the farmers, and payment of Annuity amount of Rs. 21,000 per acre per annum for a period of 33 years, with a fixed increase of Rs. 750/- every year, the Government has introduced a number of other benefits for the individual land oustees, which include (i) assured allotment of residential plots at rates discounted by 20% to each of the co-shares, (ii) allotment of commercial sites at reserve price or industrial plots at subsidised rates to farmers whose 75% or more land situated in a revenue estate is acquired. A provision for employment has been made in cases where land is acquired for other infrastructure projects in such cases. Besides, provisions have been made for provision of Community facilities and skill development facilities for the land-oustees and those dependent upon the landowners in a rural set-up.

6. The material difference made to the lot of the land-owning farmers through these policy interventions can be gauged from a perusal of the compensation amount paid for land acquisition to the farmers during the period of INLD Government (July 1999-Feb. 2005) and during the period of the present Government (March 2005 till date.) Some instances of the gross compensation amount (basic price + solatium+Interest) paid to the farmers during 1999 to February 2005 are given below in Table 4 :

Table-4

Sr. No.	Particulars of land acquired	Land Acquired	Year of Award	Average amount of Gross Compensation paid per acre
1	Bahadurgarh	710 acres	2003-04 and 2004-05	Rs. 8.60 lakh
2	Barhi Phase-II	322 acres	2004-05	Rs. 8.38 lakh
3	Narwana	108 acres	2004-05	Rs. 3.90 lakh
4.	Saha	410 acres	2004-05	Rs. 2.94 lakh
5.	IMT Manesar			
6.	Phase-I	256 acres	28-03-1997	Rs. 6.08 lakh
7		1490 acres	3-4-1997	Rs. 6.59 lakh
8	Phase-II	172 acres	22-7-2003	Rs. 6.35 lakh
9.	Phase-III	598 acres	24-12-2003	Rs. 5.36 lakh
10.	Phase-IV	657 acres	20-5-2004	Rs. 4.74 lakh

7. Pursuant to the introduction of a system of Minimum Floor Rates after the present Government assumed office, the average gross compensation amount paid to the farmers in some of the major acquisition by the Industries Department is given in the following table :

Table-5

Sr. No.	Particulars of land acquired	Land Acquired	Year of Award	Average amount of Gross Compensation paid per acre
1	Bahadurgarh	176 acres	2007-08	Rs. 24.00 lakh
2	Barhi Phase-III	646 acres	2009-10	Rs. 49.07 lakh
3	Bawal Phase-II	1015 acres	2006-07	Rs. 16.44 lakh
4.	Bawal Phase-III	452 acres	2008-09	Rs. 23.12 lakh
5.	Bawal Phase-IV	679 acres	2009-10	Rs. 23.46 lakh
6.	IMT Faridabad	1784 acres	2008-09	Rs. 25.88 lakh
7	IMT Rohtak Phase-I	859 acres	2007-08	Rs. 23.49 lakh
8	IMT Rohtak Phase-II	1893 acres	2009-10	Rs. 28.74 lakh
9.	Karnal Sector 3-A	81 acres	2005-06	Rs. 10.98 lakh
10.	Karnal Ext.	62 acres	2008-09	Rs. 21.84 lakh
11.	Karnal Sector 37	226 acres	2009-10	Rs. 22.44 lakh
12.	Saha	250 acres	2008-09	Rs. 14.68 lakh
13.	IMT Roz-Ka-Meo IMT Manesar	1501 acres	2010-11	Rs. 24.65 lakh
14.	Phase-V	956 acres	2005-06	Rs. 18.45 lakh
15.	Phase-VI (part-I)	466 acres	2006-07 2007-08	Rs. 18.09 lakh Rs. 16.98 lakh
16.	Brwala Phase-II	566 acres	2011-12	Rs. 49.00 lakh
17.	IMT Manesar Pataudi Road	53 acres	2011-12	Rs. 108.45 lakh
18.	IMT Rohtak (for CETP)	92 acres	2011-12	Rs. 36.73 lakh
19.	Power Plant Jhajjar	175 acres	2011-12	Rs. 36.31 lakh
20.	IMT Manesar Integrated Complex*	1128 acres	2011-12	Rs. 80.08 lakh

(*) award announced and stay ordered against dispossession.

[Rao Narender Singh]

As a matter of fact, the Government has acquired about 3,770 acres of land for the KMP Expressway from 2004 till date. The compensation paid for about 18 acres of land acquired in December 2004 (near Kundli) was only Rs. 11.00 lakh per acre.

Since the balance acquisition was completed during the tenure of the present Government, the average gross compensation was paid @ 19.99 lakh/acre for the entire stretch, notwithstanding that it covered the entire right of way of 135 kms. A perusal of the comparative position given in the above table-4 (period 2000-Feb 2005) and the table-5 above (March 2005-2011) would prove the point.

8. Similarly, the details in respect of land acquired by the Urban Estates Department are given in the following Table.

Table-6

		From Oct. 1999 to 4 March 2005			From 5 March 2005 to 17 Feb. 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Name of Districts	Total land acquired (in acre)	Total cost of land (Rs. in lacs)	Average rate (Rs. in lacs)	Total land acquired (in acre)	Total cost of land (Rs. in lacs)	Average rate (Rs. in lacs)
1	Faridabad	61.17	325.96	5.32	1885.34	6904.13	36.60
2	Gurgaon	1928.773	17891.50	9.27	4584.22	201526.99	43.96
3	Hisar	27.64	61.36	2.22	1155.55	21772.49	12.84
4.	Jind	29.53	95.55	3.23	851.90	13510.62	15.86
5.	Jhajjar	1238.74	4688.47	3.78	498.67	6555.49	13.15
6.	Karnal	710.69	2846.04	4.00	185.18	3735.05	20.17
7	Panchkula	1037.80	7146.02	6.88	1235.44	28042.98	22.70
8	Panipat	577.37	2104.53	3.64	185.40	88071.14	43.52
9.	Rohtak	1035.76	4242.54	4.09	2727.74	49332.42	18.08
10.	Rewari	31.08	52.20	1.68	1222.37	16289.68	13.32
11.	Sirsa	1.36	2.04	1.50	764.96	18604.92	24.32
12.	Sonipat	1166.86	5060.87	4.34	2781.86	42252.21	15.37
13.	Yamunanagar	353.46	2120.76	6.00	1248.11	29115.31	23.33

9. All the above measures have been taken primarily keeping in view that acquisition of land is a pre-requisite for basic infrastructure projects

and other planned development works in the state. An effort has been made through these policies to minimize the pain of farmers by ensuring a reasonable rate of compensation and a sustained social security benefit to them over a period of 33 years.

10. This policy has been hailed as the most progressive initiative at the national level. Some States in the country have tried to adapt Haryana's Policy. A comparison may not be out of place :

2. Comparative position of the R&R Policies of Haryana & UP States

1. Haryana Government took a lead in the country by announcing a Rehabilitation and Resettlement (R&R) Policy for the land owners whose land is acquired for various development projects in the State. While the major breakthrough was made with the announcement of minimum floor rates for determining the compensation amount for different parts of the State, the R & R Policy was notified on 7th December, 2007, but made effective from 5th March, 2005 (the day the Congress Government assumed charged in the State). The path breaking initiativge of grant of Annuity @ Rs. 15,000/- per acre per annum for a period of 33 years with a fixed increase of Rs. 500/- every year was introduced for the first time in this Policy, apart from other facilities.

2. Following the Haryana Policy as a trendsetter, the Government of Uttar Pradesh also announced its R&R Policy in September, 2010 providing for payment of Annuity to the land owners on Haryana pattern.

3. The Government of Haryana undertook a comprehensive revision of its Land Acquisition Package, including the revision of minimum floor rates and the R&R Policy, following an announcement by the Chief Minister, Haryana on the floor of the House on 7th September, 2010. The revised policy was notified on 9th November, 2010 and made effective from 07.09.2010. Major features of the Haryana Policy and the U.P. Policy are as under :

3. Scheme of Annuity :

Uttar Pradesh :

(i) The State of U.P. has provided for grant of Annuity amounting to Rs. 20,000/- per acre per annum payable for a period of 33 years with a fixed increase Rs. 600/- every year.

[Rao Narender Singh]

(ii) Further, the Policy also gives the option that where a landowner does not want to take the Annuity, he would be given a one-time Rehabilitation Grant of Rs. 2,40,000/- per acre.

(iii) It has been further provided that where land is acquired for a Company, the land owner would be entitled to allotment of shares of the Company equal to 25% amount out of the rehabilitation grant (*i.e.* equal to Rs. 60,000/-) at market or at face-value in case the company goes for an IPO.

Haryana State :

As compared to the above features of the annuity scheme of the U.P. State, the Haryana R&R Policy provides for :

(i) Annuity of Rs. 21,000/- per acre per annum payable for a period of 33 years with a fixed annual increase of Rs. 750/-

(ii) The issue of giving the option of a one-time 'Rehabilitation Grant' was considered and debated in depth. It was observed that it would not be desirable to give an option for 'down-payment of the NPV of the Annuity amount' across the Board for the reason that the annuity amount is meant to serve as a social and financial security to the land owner on the one hand and it ensures the continuity of emotional attachment of a landowner to the land for the annuity period. However, the option of down-payment has been allowed in cases where a land owner's share is less than one acre ;

(iii) in cases of one-time commutation of annuity, the value of upfront commutation of annuity has been fixed at 30% of the total annuity amount which works out to Rs. 3,26,700/- per acre as compared to Rs. 2,40,000/- per acre in case of U.P. Thus, the commuted value of annuity, wherever permissible, is higher by an amount of Rs. 86,700/- per acre in Haryana.

(iv) Barring exceptions, Haryana Government does not acquire land for private companies. However, wherever any such acquisition is found absolutely justified for the purpose of contiguity of projects, the Haryana policy provides for payment of Annuity at double the rates *i.e.* @ Rs. 42,000/- per acre per annum with an fixed annual increase of Rs. 1500/- in addition to implementation of other features of the policy. This is much more than what the UP Policy provides for. The Company shares are a high risk-bearing option whereas the Haryana Provisions are for more remunerative.

4. Allotment of Residential Plots :

Uttar Pradesh :

(i) It has been provided in the R&R Policy of the U.P. **State that in 'land for development'** acquisitions, 7% of the acuqired land would be given to the original affected farmers for residential purposes on payment of acquisition and development cost. It further states that minimum size of the plot allotted to the original farmer in this category would be 120 sq. mtrs., while the maximum size would be determinant by the concerned authority. (This provision appears to be self-limiting, given the cap of 7% of the gross land prescribed to be dedicated for the purpose and the number of affected landowners) ;

(ii) The U.P. Policy further provides that in the event of utilization of the acquired land by the Authority for a 'Residential Scheme', 17.5% of the residential plots in such scheme shall be reserved for the affected farmers.

Haryana State :

(i) The R&R Policy of Haryana Government is far more liberal in this behalf wherein a provision has been made for allotment of residential plots to each and every land owner irrespective of the land being acquired for Government Development Projects (*e.g.* Roads, Canals, Water-works etc.) or for development projects implemented through the State Government entities such as Haryana Urban Development Authority (HUDA), Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) or Haryana State Agricultural Marketing Board (HSAMB). It is not limited to the land acquired and used for a 'Residential Scheme' ;

(ii) The plot sizes vary between 90 sq. mtrs. to 450 sq. mtrs. linked with the size of land acquired. For instance, in case of a co-shares whose acquired land is more than one acre, he is entitled to a residential plot of 450 sq. mtrs. whereas in the case of land owner whose share of acquired land is up to 500 sq. yards, he is entitled to a residential plot of 90 sq. mtrs. Further, each of the co-shares in a land-holding is entitiled to this facility. Thus, the Haryana Policy ensures allotment of a residential plot to each and every co-share with the cap being at 50% of the acquired land, as against 7% or 17.5% in the case of UP ;

(iii) While the residential plots in case of Government development

[Rao Narender Singh]

projects (roads, canals, water works etc.) are allotted on the cost basis, the residential plots in the case of land acquired for HUDA, HSIIDC and HSAMB are to be allotted at 20% lower price than the general allotment price ;

(iv) In addition to the provision for allotment of residential plots to 100% of the affected land owners, provision has been made for allotment of commercial sites at reserve price (which are otherwise auctioned) to such of the landowners whose land is acquired for the State entities to the extent of 75% or more in a Revenue Estate, subject to a minimum of one acre, as a means of long term sustenance ;

(v) In case of the land acquired for the HSIIDC, the land owner has been given the option between a commercial site or an industrial plot of 450 sq. mtrs. at 20% concessional rates.

5. Employment to the dependent of a land-owning family :

Uttar Pradesh :

The R&R Policy of U.P. State provides for employment to a dependent of the land owning family in **the concessionaire company** where 100% of the land is acquired rendering such landowners as landless.

Haryana :

Since it has not been found feasible to provide for allotment of commercial sites/industrial plots in case of land acquired for Government Projects (roads, canals, water works etc.) the policy provides for a Government job to one dependent member of the landowning family in the case of landowners whose 75% or more land, subject to a minimum of one acre, in a Revenue Estate is acquired for these purposes. It is clear that the Haryana Policy is far more farmer-friendly, liberal and progressive in this behalf.

6. Social & Community Infrastructure Facilities :

The U.P. Policy provides that wherever the land is acquired for an authority/company, such authority/company would provide for basic social amenities in such villages. In case of Haryana State, the R&R Policy provides for a dedicated 2% of the compensation amount of land acquisition cost to be incurred on provision of social and infrastructure facilities in the villages and another 1% on capacity building initiatives for improving the employability of these dependent and other landless categories of people.

7. Haryana State Policy is far more comprehensive and provides for the following additional benefits to the landowners, on which there is no mention in the UP State Policy :

(i) A 'No Litigation Incentive' equal to 20% of the basic market

price determined for compensation amount ;

(ii) Assured allotment of Residential Plots for persons whose self-occupied residential structures get acquired for unavoidable reasons - almost equal or bigger than the acquired sites ;

(iii) Exemption from payment of Stamp Duty and Registration Charges on purchase of agricultural land anywhere in the State of Haryana from out of compensation amount ;

(iv) Protection of Electricity Connections on tube-wells at agricultural tariff in alternate land ;

(v) Scheme for skill development/capacity building for the landless persons dependent upon the landowners whose land is acquired so as to increase their employability ;

(vi) Provision of Investment Advisory Services for the landowners whose land is acquired so as to advise them on prudent investment of their compensation amount ;

(vii) A well explained Grievences Redressal Mechanism with all processes determined and explained upfront in order to ensure a transparent and effective administration of the Schemes.

8. Comparative analysis of the Haryana Policy and the UP Policy

1. Acquisition of land placed under three broad categories in UP State ;

A. For Government Infrastructure Development Works *e.g.* Roads, Canals, Water works, Sub-stations, Power plants etc.

B. For Government Undertakings / Development Organisations *e.g.* PSEs, Development Authorities, Industrial Development Authorities, Housing Development Organisations etc.

C. Planned Development of Residential, Commercial, Industrial, Services Sector Projects by the Private Sector/or allotment of land in bulk to such private developers.

2. Land Acquisition for Category 'C' in Haryana is highly restrictive with a graded focus on development of the hinterland areas. Normally, the State expects the private developers to acquire land on their own through direct negotiations with the landowners. The State intervention is limited to 10% of the total project land in the developed areas, 20% in the areas with intermediate development, and up to 30% in the backward areas. Further, the State intervention is meant only for providing contiguity.

[Rao Narender Singh]

Sr. No.	Subject	R&R Policy of UP State dated 02.06.2011	R&R Policy of Haryana State dated 9.11.2010
1.	Minimum Floor Rates	None ; However, the compensation amount in UP is determined through Arbitral settlement with the landowners. In case of acquisition for private developers, if less than 80% landowners agree for acquisition by negotiation, the scheme shall be reviewed. The landowner can opt for cash or 16% of total land after development to be given free of cost in lieu of cash compensation.	Yes ; Minimum Floor Rate revised ; It varies from Rs. 12.00 lakh/acre to Rs. 40.60 lakh/acre. Indicative Total amount payable in each category is given in the statements at **Annexure-1.** The Gross amount may vary between Rs. 21.60 lakh to Rs. 72 lakh per acre. The LAC may award higher compensation wherever the market value is higher a the rates announced are the minimum floor rates.
2.	No Litigation Incentive	None	Equal to 20% of the Basic Price of land.
3.	Annuity	Rs. 23,000 per acre per annum payable for a period of 33 years with a fixed increase of Rs. 800/- every year	Rs. 21,000 per acre per annum payable for a period of 33 years with a fixed increase of Rs. 750/- every year.
	Upfront payment of Annuity	Permissible without any limits-dibursed as Rehabilitation Grant Amount Rs. 2.76 lakh which works out to 23.36% of the total amount	Primarily a social security benefit scheme ; upfront commutation permissible only in case of less than one acre; Amount of upfront payment is @ 30% of the Gross Amount.
4.	Company shares	In case of land acquisition for companies, the	Purchase of Company shares is a high-risk investment without any

Sr. No.	Subject	R&R Policy of UP State dated 02.06.2011	R&R Policy of Haryana State dated 9.11.2010
		landowners have the option of availing company shares equal to 25% amount of the Rehabilitation Grant amount of Rs. 2,76,000/- as per market rate on the appointed day or at the face value of the share in case of an IPO	assured returns/ dividends. Accordingly, no such provision has been kept in Haryana Policy. Instead, in cases of acquisition of land for Private Development, the rates of Annuity and the annual increase are twice the normal amount, which is a much better, safer and assured option.
5.	Allotment of Developed Land	In cases where the land is acquired for Development, 16% of the acquired land will be allotted to the landowners free of coast, out of which 50% will be of residential and 50% non-residential use. Landowner may opt for part cash in lieu of it.	Haryana Policy provides for allotment of commercial sites/ industrial plots in cases where 75% or more land, subject to a minimum of one acre, is acquired in all cases of acquisitions for HUDA, HSIIDC and HSAMB. these plots are allotted at 20% discounted price and are free from any transfer-ability restrictions.
6.	Allotment of Residential Plots	If a person becomes landless, a 40 sq. metre residential plot shall be given free.	Haryana Policy provides for assured allotments of residential plots to 100% of the landowners in the case of HUDA, HSIIDC and HSAMB at a price discounted by 20%. The maximum ceiling for allotment of land under these plots is capped at 50% of the acquired land.
7.	Employment	Where 100% of the land is acquired for private development, one dependent of the family	Haryana Policy provides for assured employment in Government sector for those whose 75% or more

[Rao Narender Singh]

Sr. No.	Subject No.	R&R Policy of UP State dated.02.06.2011	R&R Policy of Haryana State dated 9.11.2010
		rendered landless would be adjusted in jobs in the Company as per their educational qualifications. Further sum equal to minimum wages for 5 years will be given cash. In case of part acquisition, wages for 500 days shall be given.	land, subject to a minumum of 2 acres, is acquired for any Government Project other than those for HUDA, HSIIDC and HSAMB.
8.	Allotment of Residential Plots in case of acquisition of self-occupied residential house	If a person becomes landless, a 40 sq. metre residential plot shall be given free.	The Policy provides for assured allotment of a residential plot in these cases where a self-occupied residential house gets acquired for unavoidable reasons.
9.	Scheme for landless persons/ artisans dependent on agricultural operations	Agricultural / non-agricultural labourer affected shall be given wages ranging from 250 to 625 days.	Speciafic provision made for capacity-building and skill development of these categories for improving their employ-ability with 1% of the compensation amount allocated/earmarked for the purpose.
10.	Exemption from payment of Stamp Duty & Regn. Charges on purchase or agricutural land in Haryana	The facility granted to the landowners who buy agricultural land within the amount of compensation within one year in the State of Uttar Pradesh.	The facility granted to the landowners who buy agricultural land within the amount of compensation within two years in the State of Haryana.
11.	Social & Community	Kisan Bhawan cum Community Center and Model School (VIII std.)	2% of the compensation amount will be spent on creation of community

Sr. No.	Subject	R&R Policy of UP State dated 02.06.2011	R&R Policy of Haryana State dated 9.11.2010
	Infrastructure facilities	along with play ground will be developed by the Private Developer	infrasturcture facilities and 1% on skill-development initiatives, which is much larger in scale.
12.	Investment Advisory Services	No Provision	These services would be arranged for the landowners for alternate investment options bridging the knowledge gap.
13.	Grievences Redressal Mechanism	No Provision	Specific provision for a Grievances/Disputes Resolution mechanism made so as to save the landowners from any litigation
14.	Efficient administration of the benefits	No mention	The Policy targets at a transparent and hassle-free administration of benefits in a time-bound manner all application forms devised in advance.
15.	Implementation issues	It is difficult to understand as to how the landowners would allocate the 16% developed land amongst themselves. There is also uncertainty about the allocation of inter-se-non-agricultural users in respect of 50% of the returned land. It is likely to lead to disputes. Further, the identification of affected landless persons to whom wages are proposed to be paid remains a major issue.	The Policy is being implemented without any bottlenecks.

[Rao Narender Singh]

3. Just as development is a dynamic process so is the process of land acquisition. The Government of the day is alive and sensitive to this reality. Its efforts at revising and updating the policy have been inspired by this concern. In the same spirit, the Government will continue to explore the possibilities of further improving its policy of land acquisition. However, the Government does understand that such a policy cannot be frozen at any point in time. It necessarily has to be responsive to the ever-changing circumstances. Accordingly, our Government reaffirms its commitment to continue to strive to further improve the policy as per requirements from time-to-time.

वर्ष 2012–13 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on the Budget Estimates for the year 2012-13 will be resumed. Anybody wants to speak on the Budget or everybody wants to leave ?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, हाऊस की सैंस तो यही है कि at 2.00 O'Clock, everybody wants to go and the House may be adjourned.

Mr. Speaker : I wish Smt. Kavita ji, may speak on budget estimates for the year 2012-13.

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : स्पीकर सर, आप मुझे बोलने का कितना समय देंगे? मुझे कम से कम 15–20 मिनट का समय तो बोलने के लिए दिया ही जाना चाहिए क्योंकि मैं तो अपोजीशन में अकेली हूँ?

Mr. Speaker : Kavita ji, ten minutes is enough. आप तो अकेली ही बोलने के लिए बहुत हो, फिर भी आपको पांच मिनट ज्यादा दे देंगे।

श्री कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी प्रदेश के विकास का आईना होता है लेकिन वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बिल्कुल नीरस और अर्थहीन बजट है यहां तक कि उसमें दिये गये आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। इस बजट से प्रदेश के विकास की कोई साफ झलक दिखाई नहीं देती। सोनीपत की अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि सोनीपत एन.सी.आर. एरिया में लगता है और नैशनल हाईवे पर है। सोनीपत में आर्थिक विकास की बहुत ज्यादा संभावनायें हैं। पिछले बजट के दौरान सोनीपत के अंदर एक मैट्रो ट्रेन चलाने का जिक्र किया गया था। हम चाहते हैं कि जहांगीर पुरी दिल्ली से सोनीपत तक मैट्रो ट्रेन चलाई जाये जिससे सोनीपत का समुचित विकास होगा तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव है वह भी काफी कम होगा। सोनीपत में मैट्रो ट्रेन के चलाने से सोनीपत का विकास भी गुड़गांव और नोएडा की तरह हो सकता है। सोनीपत में 16 सैक्टर के अंदर 15.78 एकड़ में टाऊन पार्क का प्रपोजल था जिसे रद्द करके प्लाट काटने का प्रस्ताव कर दिया गया है जोकि सरासर गलत है। मैं सोनीपत के सैक्टर 16 का एक मामला सदन में रखना चाहूंगी। सरकार ने 2005 में सोनीपत में टी.डी.आई. ग्रीन के नाम से 125 एकड़ में

एक बिल्डर को रैजिडैंशियल कालोनी बनाने का लाइसैंस दिया था लेकिन आज सात साल बीतने के बाद भी वहां पर केवल एक सुंदर गेट के अलावा कुछ नहीं बनाया गया हैं वहां सड़क, बिजली, पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। प्लॉट होल्डर्स दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले की जानकारी सदन के नेता को तो है ही और मैं समझती हूं कि शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी। अगर सरकार हमारे सोनीपत की जनता के प्रति चिन्तित है तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और प्लाट होल्डर्ज को प्लॉट दिलवाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त जब भी हाउस में विधायक निधि कोष का मामला उठता है तो हमारे माननीय सदन के नेता हमेशा कहते हैं कि डी.पी.सी. के पास जाइये, डी.पी.सी. को कामों की सूची देने से काम हो जायेगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोनीपत में दो साल से डी.पी.सी. का तो गठन ही नहीं हुआ है। 2010–11 में 8 करोड़ 50 लाख की किश्त भेजी गई थी जो यूटिलाईज नहीं हुई और वापिस चली गई। इसी तरह से 2011–12 में एक रुपया भी नहीं भेजा गया। अतः अध्यक्ष महोदय, अब आप ही बतायें कि विधायक कहां पर जायें और कैसे अपना काम करायें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में भी अभी यहां बहुत कुछ डिस्कस हुआ है लेकिन मैं यहां पर केवल बजट के संबंध में ही बोलना चाहूंगी। हर बार बजट में हजारों करोड़ों रुपये शिक्षा के लिए दिये जाते हैं और खर्च किये जाते हैं। आज हमारे प्रदेश के अंदर 221 एडिड स्कूल हैं जिनको 75 प्रतिशत गवर्नमैंट द्वारा एड दी जाती है वहीं पंजाब, दिल्ली व हिमाचल में उनको 95 प्रतिशत एड दी जाती है। यदि 20 परसैंट ऐड की राशि बड़ा दी जाए तो उससे सरकार पर 18 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो कि कोई खास मायने नहीं रखता। इससे कुछ अच्छे स्कूल्स चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। सर, शिक्षा विभाग की लापरवाही के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग में ऐजूकेशनल टूर के नाम पर कुछ राशि बजट में एलोकेट की जाती हैं इसके लिए चालू वर्ष का जो बजट एलोकेशन अमाउंट था वह पूरे साल के दौरान नहीं दिया गया और एंड में आकर दिया गया और उस पैसे को यूटीलाइज करने के लिए आनन–फानन में फरमान जारी कर दिया गया है कि बच्चों को टूर कराया जाए। पहले इस टूर की 300 किलोमीटर की लिमिट थी उसे अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। मैं चाहती हूं कि इस बारे में ध्यान दिया जाए।

14.00 बजे

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2012–13 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बच्चों के अच्छे भविष्य की बात आती है। मेरे हल्के में मोती लाल नेहरू हाई स्कूल के टीचर्स कई महीनों से

[श्रीमती कविता जैन]

बार–बार हड़ताल पर जाते रहते हैं। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और उन टीचर्ज की जो भी प्रोब्लम है उसको सोर्ट आउट करना चाहिए। स्पीकर सर, जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है तो कल भी मैंने सोनीपत शहर के सिविल अस्पताल की व्यथा सदन में बताई थी इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सरकार द्वारा पिछले बजट में हरियाणा में अलग से डैंटल क्लीनिक्स बनाने का निर्णय लिया गया था, यह भी कहा गया था कि तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा होगा, उसके बाद यहां काफी सारे डैंटल सर्जन लगा दिये गये लेकिन गांव में डैंटल चेयर तक नहीं भेजी गई, अतः मैं यह भी चाहूंगी कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए कि जो डैंटल सर्जन लगाए थे वे अब कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं? स्पीकर सर, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात यहां पर की जाती है। बी.पी.एल. कार्ड बनाए गए थे लेकिन उनमें से काफी सारे बी.पी.एल. कार्ड काट दिये गये हैं। इसके अलावा बी.पी.एल. कार्ड का क्या फार्मूला क्या आधार बनाया गया है इस बारे में बताया जाए। 443.21 रुपये प्रति माह जिनकी आय होगी उनको बी.पी.एल. में रखा गया है। अगर बी.पी.एल. का यही आधार रखेंगे तो मंत्री जी यह बताएं कि जो वृद्ध पैंशन ले रहे हैं, विकलांग पैंशन ले रहे हैं, विधवाएं पैंशन ले रही हैं वे सब इसमें किस प्रकार कवर होंगे? जैसा शिक्षा मंत्री महोदया ने भी कहा कि 134–ए में भी उसका आधार भी बी.पी.एल. कार्ड वाले होंगे लेकिन इस प्रकार इसमें तो वे सभी निगलैक्ट हो गए, सब कट हो गए। इसलिए मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगी कि इस आमदनी के आधार को सर्वसम्मति से बढ़ाया जाए तभी इस योजना का फायदा ज्यादा लोग उठा सकते हैं। जहां तक 100–100 गज के प्लाट देने की बात है, उसके लिए अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है तो प्लॉट कहां से दिये जायेंगे, यह बात विचारणीय है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं व्यापारियों की समस्याओं के बारे में बात यहां पर रखना चाहूंगी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी वर्गों के बारे में यहां बात रखी है। वैसे तो सभी वर्ग आज सरकार से असंतुष्ट हैं लेकिन व्यापारी वर्ग के बारे में मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि व्यापारी ही सरकार के खजाने को भरते हैं सरकार को टैक्स भी देते हैं लेकिन जब उनका कोई नुक्सन हो जाता है तो उसके नुक्सान की भरपाई नहीं की जाती है। मैं चाहूंगी कि जितना भी टैक्स व्यापारी वर्ग से आता है उसकी 5 परसैंट राशि से व्यापारी कल्याण कोष बनाया जाए ताकि व्यापारियों पर कोई आफत आने की स्थिति में उनको मुआवजा दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सीनियर सिटीजन महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है उसी तरह से यह छूट पुरुषों को भी दी जाए और जो इम्प्लाइज रिटायर हो चुके हैं उनको मैडीकल भत्ते के रूप में 500 रुपये प्रति माह के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाए और एल.टी.सी. जो चार वर्ष में एक बार मिलती है वह दो वर्ष में एक बार मिले, यह मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पंजाब सरकार विकलांगों को प्रमोशन में तीन परसैंट का कोटा देती है। हरियाणा सरकार वीकर सैक्शन की हमेशा बात करती है तो हरियाणा में भी विकलांग कर्मचारियों को प्रमोशन में कोटा दे, यह मेरा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा युवा वर्ग घोषित किया गया है ऐसे

में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2012–13 में मात्र 55.20 करोड़ रुपये का अमाउंट रखा गया है, जो कि बहुत कम है। हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की इतनी गंभीर समस्या है जो कि इतने कम बजट से दूर नहीं हो सकती। इसी तरह से खेल एवं युवा मामले के लिए 127.17 करोड़ रुपये बजट में ऐलोकेट किए गए हैं जोकि काफी कम हैं। स्पीकर सर, मैं एक बहुत ही अहम सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे के बारे में कहना चाहूंगी। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई नागरिक तो सुरक्षित नहीं हैं। जो कानून के रखवाले हैं उनकी तरफ से कहीं लाठी चार्ज और कहीं गोली बारी की जाती है। तो क्या उसके बारे में उस स्थान और व्यक्ति का नाम जाने बिना उस पर चिन्ता जाहिर नहीं कर सकते? मैं यह जानना चाहूंगी कि अगर हमें घटना के एक्चुअल प्लेस के बारे में नहीं पता तो क्या उसके लिए हमें चिन्ता जाहिर नहीं करनी चाहिए? आज प्रदेश के अन्दर भयावह और अराजकता चारों ओर फैली हुई है।

Mr. Speaker : thank you very much. Now the Hon'ble Finance Minister will give the reply on Budget Estimates for the year 2012-13.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : स्पीकर सर, मैं आपका बहुत मशगुर हूं कि कल सुबह से आपने बजट पर बहस सुनी जिसमें सबसे पहले चौधरी सम्पत सिंह जी ने अपना बजट भाषण शुरू किया। चौधरी सम्पत सिंह जी बहुत सुलझे हुए और सयाणे इकोनोमिस्ट हैं। मैंने उनको वित्त मंत्री होते हुए छः बार बजट पेश करते हुए देखा और सुना है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और वे पहले भी सुझाव देते रहते हैं। उन्होंने इस बजट पर जो सुझाव दिए हैं उनमें कोई कमी नहीं है और उनको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद जब चौटाला साहब ने बजट पर बोलना शुरू किया तो चौटाला साहब ने वही दो पुरानी बातें कही। एक तो यह बात कही कि हम कर्जा बहुत ले रहे हैं। पांच साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कर्जा बहुत ले रहे हैं। दूसरी बात वे हमेशा करते हैं कि सरकार के कर्जे की मैनेजमैंट ठीक नहीं है। ये दो बातें वे हर सत्र में कहते हैं और यह मैं पांच–छः साल से सुनता आ रहा हूं। जहां तक कर्जा लेने की बात है उसके बारे में सारी दुनिया कहती है कि कर्जा लेना कोई गलत नहीं हैं बात केवल इतनी है कि कर्जे का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए। कर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए। पैसे का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए और उससे तरक्की दिखती नजर आये। उन पांच–छः सालों में जब तक चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के हरियाणा को देखो और जब से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने हैं उस वक्त के हरियाणा को देखो तो कितना अन्तर है। यह अन्तर इतना ज्यादा है कि इस की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। चौटाला साहब यह कहते हैं कि उनकी सरकार के समय कर्जा 20268 करोड़ रुपये था और अब वह कर्जा 60000 करोड़ रुपये के नजदीक पहुंच गया हैं मैं एक बात कहता हूं कि इस डेट से स्टेट में कितनी तरक्की हुई है और स्टेट कितनी डिवैल्पमैंट हुई है। हमारी स्टेट ने हिन्दुस्तान में बहुत नाम कमाया है। हर आदमी यह कहता है कि यह स्टेट हिन्दुस्तान में नम्बर 2 है कोई कहता है कि नम्बर 1 है। इस हिसाब से जो कर्जे की रिपेमैंट है उसको हम बाकायदा उसी तरह से दे रहे हैं और उसमें कोई कोताही नहीं हो रही है कर्जे के यूटिलाईजेशन की जितनी

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]

अच्छी मैनेजमैंट हमारी है उतनी अच्छी मैनेजमैंट किसी की भी नहीं है। दूसरी बात चौटाला साहब ने प्लॉन एक्सपैंडीचर के बारे में कही। चौटाला साहब की सरकार ने समय प्लॉन एक्सपैंडीचर 2108 करोड़ रुपये था और इस सरकार के समय में अब 12500 करोड़ रुपये हो गया है जोकि छः गुणा ज्यादा बढ़ा है। इसी तरह से चौटाला साहब ने कैपिटल एक्सपैंडीचर की बात कही। इनकी सरकार के समय से हमारा कैपिटल एक्सपैंडीचर 129 गुणा ज्यादा बढ़ गया हैं इसी तरह से बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिवैल्पमैंट पर ज्यादा जोर दिया है जिसमें स्कूल अपग्रेड किये गये। दस जमा दो के कई स्कूल बनाये गये number of schemes for Scheduled Castes and Backward Classes were given, Women के लिए हैंडीकेप्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एस.सी. बी.सी. के लिए इन सब के बैनीफिट के लिए बजट में स्कीम्ज दी गई हैं। एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है जिसमें 200 रुपये पैंशनर खुद देगा, 100 रुपये हम देंगे और एक हजार रुपये गवर्नमैंट ऑफ इंडिया देगी। यह पैंशन ज्यादा से ज्यादा लोग लेगें और हमें उम्मीद है कि यह योजना बहुत कामयाब होगी। इस योजना पर लोगों की बड़ी अट्रैक्शन भी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, जो बी.पी.एल. के बच्चे थे वे पहले स्कूलों में कम आते थे लेकिन आज उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और बी.पी.एल. के बच्चे स्कूलों में आने लगे हैं। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक शगुन योजना बनाई है। इस योजना का लाभ पहले बी.पी.एल. और बैकवर्ड क्लास की बेटियों को मिलता था लेकिन अब इस योजना के तहत जिस किसी की ढाई एकड़ तक जमीन है उसकी बेटी को 10 हजार रुपये शादी के समय गवर्नमैंट देगी। यह शगुन योजना एक नई योजना है जो कि इस सरकार ने शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यूथ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार इस वर्ष को युवा वर्ष मना रही है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, 10 हजार रुपये ढाई एकड़ तक जमीन वाले किसान को देने की जो बात कही गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत बी.पी.एल. के लोग ही इसका फायदा ले सकेंगे या यह पोलिसी जनरल है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत चाहे वह कोई भी हो उसको इसका फायदा मिलेगा। अब मैं अखाड़ों की बात करना चाहूंगा। हमारे नौजवानों ने खेलों में बहुत से मैडल जीतकर हरियाणा का नाम ऊंचा किया है और हिन्दुस्तान में हरियाणा ने सबसे ज्यादा मैडल जीते हैं। अखाड़े जो बहुत पुराने हो गए थे यानि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उसके लिए गवर्नमैंट ने 5 लाख रुपये प्रति अखाड़े के हिसाब से रखे हैं ताकि नौजवान अपनी एक्सरसाइज ठीक तरह से कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इनाम जीतकर लाएं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हॉकी खेल में भी हरियाणा के जो दो लड़के जीतकर आए हैं उनको कई लाख रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं। यूथ डिवैल्पमैंट के लिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने और इस सरकार ने बहुत काम किए हैं। पैंशन इंट्रस्ट की रिकवरी रिसीट्स उनकी 50 परसैंट थी और हमारी at the time 66 percent है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह पावर के क्षेत्र में भी बहुत काम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भाई कृष्ण पाल गुर्जर जी कह रहे

थे कि बिजली 4 घंटे मिलती है जोकि बिल्कुल गलत है। अर्बन क्षेत्र में पावर 20--22 घंटे तक मिल रही है और गांव में जो ट्यूबवैल्ज हैं उनको 8 घंटे डेली बिजली मिल रही है, जो इस बात का परिचायक है कि स्टेट में बिजली की कमी नहीं है। पिछले दिनों हमने जितना अनाज पैदा किया और हरियाणा नम्बर एक पर आया वह इसलिए ही आया है कि हमारे ट्यूबवैल्ज को पूरी बिजली मिली है। बिजली की कमी इस सरकार ने नहीं होने दी अगर बिजली की कमी होती तो इतना अनाज पैदा न होता। इसलिए गुर्जर जी ने जो बात कही है वह गलत है। बिजली की आज हरियाणा में कोई कमी नहीं है। शहर में कंज्यूमर्ज को 20--22 घंटे, गांव में 10--11 घंटे और एग्रीकल्चर को 8 घंटे डेली बिजली दी जा रही है। इस सरकार ने बिजली की कोई कमी नहीं आने दी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह बिजली की प्रोडैक्शन की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने यह बात कई बार कही कि इनके वक्त में बिजली की कितनी प्रोडैक्शन थी और हमारे वक्त में बिजली की प्रोडैक्शन कहां चली गई। आज कई कारखाने लग रहे हैं और इनके लगाने से हरियाणा और तरक्की करेगा। अध्यक्ष महोदय, छठे पे कमीशन लागू करने से हमने एकदम 13930 करोड़ रुपये तनख्वाहें बढ़ाई हैं और तनख्वाहें दी भी हैं। इसी तरह हमने टीचर्स की भर्ती की है और स्कूलों की बिल्डिंग्ज बनाई हैं। हमने बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्ज बनाई हैं। लीडर ऑफ दि अपोजीशन जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी यही दोनों बातें की और इसके अलावा उन्होंने कोई तीसरी बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने जो बिजली की बात की है उसका जवाब मैंने दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि बजट को पास किया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House is extended for five minutes ?

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for five minutes.

वर्ष 2012—13 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान.

Mr. Speaker : Hon'ble Member, now discussion and voting on the demands for grants on Budget Estimates for the year 2012-13 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding **₹ 47,85,67,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 1 — **Vidhan Sabha.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding ₹ **75,35,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 2 — **Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **128,44,18,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 3 — **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **822,72,22,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 4 — **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **121,69,34,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 5 — **Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3516,59,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 6 — **Finance.**

That a sum not exceeding ₹ **387,49,48,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 7 — **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1148,47,72,000 for revenue expenditure and ₹ 1540,13,80,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 8 — **Building & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **8177,35,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 9 — **Education.**

That a sum not exceeding ₹ **307,55,06,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 10 — **Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **123,87,09,000 for revenue**

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 11 — **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **10,64,79,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 12 — **Arts & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **1648,80,08,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 13 — **Health.**

That a sum not exceeding ₹ **90,01,03,000 for revenue expenditure and ₹ 420,00,05,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 14 — **Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **1251,26,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **33,07,49,000 for revenue expenditure and ₹ 20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 16 — **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **74,79,89,000 for revenue expenditure and ₹ 1,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 17 — **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **146,81,04,000 for revenue expenditure and ₹ 43,89,33,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 18 — **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **206,90,25,000 for revenue expenditure and ₹ 2,63,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand

[Mr. Speaker]

No. 19 — **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1727,05,02,000 for revenue expenditure and ₹ 2,83,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **631,95,78,000 for revenue expenditure and ₹ 50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **64,11,37,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **206,98,00,000 for revenue expenditure and ₹ 5410,70,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1406,77,06,000 for revenue expenditure and ₹ 474,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 24 — **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **83,19,86,000 for revenue expenditure and ₹ 2,02,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 25 — **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **16,16,30,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 26 — **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **894,53,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of

charges under Demand No. 27 — **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **465,36,14,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 28 — **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **29,54,49,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 29 — **Fisheries.**

That a sum not exceeding ₹ **266,10,19,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 30 — **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **5,40,53,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 31 — **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **1461,08,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 32 — **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding ₹ **186,88,00,000 for revenue expenditure and ₹ 19,05,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 33 — **Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1422,98,05,000 for revenue expenditure and ₹ 164,69,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 34 — **Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **2,79,23,000 for revenue expenditure and ₹ 22,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 35 — **Tourism.**

That a sum not exceeding ₹ **1896,48,03,000 for revenue**

[Mr. Speaker]

expenditure and ₹ 95,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 36 — **Home.**

That a sum not exceeding **₹ 21,70,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 37 — **Elections.**

That a sum not exceeding **₹ 1074,54,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1156,10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 38 — **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding **₹ 67,53,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 39 — **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding **₹ 3913,96,98,000 for revenue expenditure and ₹ 910,63,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 40 — **Energy & Power.**

That a sum not exceeding **₹ 25,80,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 41 — **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding **₹ 307,74,19,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 42 — **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding **₹ 95,43,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 43 — **Prisons.**

That a sum not exceeding **₹ 43,64,30,000 for revenue expenditure and ₹ 11,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 44 — **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **874,09,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 45 — **Loans & Advances by State Government.**

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding ₹ **47,85,67,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 1 — **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding ₹ **75,35,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 2 — **Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **128,44,18,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 3 — **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **822,72,22,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 4 — **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **121,69,34,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 5 — **Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3516,59,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 6 — **Finance.**

That a sum not exceeding ₹ **387,49,48,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will

[Mr. Speaker]

come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 7 — **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding **₹ 11,48,47,72,000 for revenue expenditure and ₹ 1540,13,80,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 8 — **Building & Roads.**

That a sum not exceeding **₹ 8177,35,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 9 — **Education.**

That a sum not exceeding **₹ 307,55,06,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 10 — **Technical Education.**

That a sum not exceeding **₹ 123,87,09,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 11 — **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding **₹ 10,64,79,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 12 — **Arts & Culture.**

That a sum not exceeding **₹ 1648,80,08,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 13 — **Health.**

That a sum not exceeding **₹ 90,01,03,000 for revenue expenditure and ₹ 420,00,05,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 14 — **Urban Development.**

That a sum not exceeding **₹ 1251,26,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding **₹ 33,07,49,000 for revenue expenditure and ₹ 20,000 for capital expenditure** be granted

to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 16 — **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **74,79,89,000 for revenue expenditure and ₹ 1.000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 17 — **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **146,81,04,000 for revenue expenditure and ₹ 43,89,33,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 18 — **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **206,90,25,000 for revenue expenditure and ₹ 2,63,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 19 — **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1727,05,02,000 for revenue expenditure and ₹ 2,83,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **631,95,78,000 for revenue expenditure and ₹ 50,00,33,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **64,11,37,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **206,98,00,000 for revenue expenditure and ₹ 5410,70,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1406,77,06,000 for revenue expenditure and ₹ 474,50,00,000 for capital expenditure** be

[Mr. Speaker]

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 24 — **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **83,19,86,000 for revenue expenditure and ₹ 2,02,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 25 — **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **16,16,30,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 26 — **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **894,53,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 27 — **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **465,36,14,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 28 — **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **29,54,49,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 29 — **Fisheries.**

That a sum not exceeding ₹ **266,10,19,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 30 — **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **5,40,53,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 31 — **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **1461,08,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 32 — **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding **₹ 186,88,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1905,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 33 — **Co-operation.**

That a sum not exceeding **₹ 1422,98,05,000 for revenue expenditure and ₹ 164,69,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 34 — **Transport.**

That a sum not exceeding **₹ 2,79,23,000 for revenue expenditure and ₹ 22,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 35 — **Tourism.**

That a sum not exceeding **₹ 1896,48,03,000 for revenue expenditure and ₹ 95,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 36 — **Home.**

That a sum not exceeding **₹ 21,70,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 37 — **Elections.**

That a sum not exceeding **₹ 1074,54,00,000 for revenue expenditure and ₹ 11,56,10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 38 — **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding **₹ 67,53,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 39 — **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding **₹ 3913,96,98,000 for revenue expenditure and ₹ 910,63,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 40 — **Energy & Power.**

That a sum not exceeding **₹ 25,80,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1,00,000 for capital expenditure** be granted

[Mr. Speaker]

to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 41 — **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **307,74,19,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 42 — **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **95,43,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 43 — **Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **43,64,30,000 for revenue expenditure and ₹ 11,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 44 — **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **874,09,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2012-13 in respect of charges under Demand No. 45 — **Loans & Advances by State Government.**

(The motion was carried)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Friday the 9th March, 2012.

*14.16 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Friday the 9th March, 2012).

50101—H.V.S.—H.G.P., Chd.